भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/05/2023-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक 29 जून 2024

<u>अंतिम जांच परिणाम</u>

<u>मामला सं. - एडी(ओआई) - 05/2023</u>

विषय: चीन जन.गण., रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "आइसोब्यूटिलीन-आइसोप्रीन रबड़" ("आईआईआर") के आयातों से संबंधित जांच।

मामले की पृष्ठभूमि

समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे ''अधिनियम'' भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा ''एडी नियमावली'' भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, रिलायंस सिबूर इलेस्टोमर प्राइवेट लिमिटेड (जिसे यहां आगे ''आवेदक'' भी कहा गया है) ने चीन जन.गण., रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर तथा संयुक्त राज्य अमरीका (जिन्हें आगे ''संबद्ध देश'' भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "आइसोबुटीलीन-आइसोप्रीन रबड़ (जिसे यहां आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" अथवा या ''पीयूसी'' या "आईआईआर" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है ।

प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र, असाधरण में प्रकाशित की गई दिनांक 30 जून, 2023 की अधिसूचना सं. 6/05/2023-डीजीटीआर

के तहत एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी मात्रा की सिफारिश करने के लिए, जिसे यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, नियमावली के नियम 5 के अनुसार एक पाटनरोधी जांच शुरू की गई।

क. प्रक्रिया

1. संबद्ध जांच के बारे में प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के बाद नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

   क. जांच की शुरूआत के अनुपालन में और हितबद्ध पक्षकारों को संगत सूचना देने और अपने हितों की रक्षा का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात और रिकार्ड में सूचना और साक्ष्य के आधार पर पाटनरोधी अधिनियम और नियमावली को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हुए दिनांक 16 अप्रैल को प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए कि विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों से उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है और इस प्रकार संबद्ध वस्तु का पाटन हुआ है, ऐसे पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है तथा घरेलू उद्योग को यह क्षति ऐसे पाटित आयातों के कारण हुई है। प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी।

   ख. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को निम्नलिखित प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जिसे प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के बाद अपनाया गया था।

      i. प्रारंभिक जांच परिणाम के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों से उन जांच परिणामों के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर टिप्पणियां मंगाई गई थी।

      ii. यह अधिसूचित किया गया था कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार मौखिक सुनवाई आयोजित की जाएगी।

iii. आवश्यक समझे जाने पर आगे सत्यापन किया जाएगा।

iv. अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पहले अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन किया जाएगा।

ग. प्रारंभिक जांच परिणाम की एक प्रति केंद्र सरकार को अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लागू करने के लिए उनके विचारार्थ भेजी गई थी।

घ. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने 24 मई, 2024 को हुई जन सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मौखिक सुनवाई में विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों और उनके बाद खंडन अनुरोधों यदि कोई हों, को लिखित में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

ङ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, दिए गए तर्कों और जांच की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना पर साक्ष्य द्वारा उनके समर्पित होने और वर्तमान जांच से संगत होने की सीमा तक प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम में समुचित रूप से विचार किया गया है।

च. यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रारंभिक जांच परिणाम इस अंतिम जांच परिणाम का अभिन्न अंग है। इस अंतिम जांच परिणाम को पहले जारी किए गए प्रारंभिक जांच परिणाम के साथ पढ़ा जाना चाहिए। अपनाई गई प्रक्रिया हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों की, जिन पर हितबद्ध पक्षकारों ने कोई कष्ट नहीं उठाया है, उन तथ्यों को उस अंतिम जांच परिणाम में दोहराया नहीं गया है। प्रारंभिक जांच परिणाम को वर्तमान अंतिम जांच परिणाम से असंगत नहीं होने की सीमा तक वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में शामिल समझा जाना चाहिए।

छ. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की सत्यता से स्वयं को संतुष्ट किया है जो संभव सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम का आधार बनती है और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों / दस्तावेजों की संगत और आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया है।

ज. प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक अतिरिक्त सूचना मांगी है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के आंकड़ों पर विचार और उन्हें सत्यापित किया है।

झ. घरेलू उद्योग के परिसर, कारखाना, कार्यालय दोनों में मौके पर सत्यापन किया गया था जिसमें घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न दावों और समर्थक सूचना का संगत समझी गई सीमा तक सत्यापन और संग्रहण किया गया था। इस सत्यापन में उत्पादन प्रक्रिया, विनिर्माण सुविधाओं, आईआईआर और एचआईआईआर की सुविधाओं, विभिन्न उत्पादों आदि के उत्पादन की जांच शामिल थी।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

2. प्राधिकारी ने निम्नलिखित पर प्रारंभिक जांच परिणाम में विचाराधीन उत्पाद के दायरे के रूप में विचार किया है।

''वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद आइसोब्यूटिलीन-आइसोप्रीन रबड़ ("आईआईआर") है, जो एक सिंथेटिक रबड़ है, जिसे टायरों की आंतरिक ट्यूबों और अन्य उच्च दाब ट्यूबों के विनिर्माण में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में च्युंगम के उत्पादन में एक अवयव के रूप में प्रयुक्त फूड ग्रेड आईआईआर शामिल नहीं है। आईआईआर का प्रयोग ट्यूब और टायर के इनर लाइनर में होता है जो न्यूमेटिक टायर विनिर्माण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इसे डाया फ्रेगेम्स, गैस किट, वायर और केबल इंसुलेशन, लाइनर, ओरेंज्स, सील वेदर स्टिपिंग और बाटल क्लोजर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।''

विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची के टैरिफ कोड 40023100 के अंतर्गत अध्याय 40 के अधीन वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ख.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

3. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के बाद विचाराधीन उत्पाद को समान वस्तु के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध निम्नानुसार है:

i. ब्लेडर प्रयोग के लिए आईआईआर के रेगुलर ग्रेड को बाहर रखा जाए, क्योंकि आवेदक का उत्पाद टायर क्यूरिंग ब्लेडर के निर्माण के लिए अनुमोदित नहीं है।

ii. घरेलू उद्योग ब्लेडर में प्रयोग के लिए विशिष्ट ग्रेडों की आपूर्ति करने में असमर्थ है। आयातित ग्रेडों को ब्लेडर के उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है जो 330-340 टायर के क्यूरिंग में प्रयोग होते हैं जबकि घरेलू ग्रेड से निर्मित टायर लगभग 260 टायर का उत्पादन कर सकते हैं। घरेलू उद्योग ने ऐसे विशिष्ट ग्रेडों की बिक्री का प्रस्ताव प्रयोक्ताओं के लिए कभी नहीं किया है और केवल सामान्य ग्रेडों का उत्पादन किया है।

iii. अंतिम प्रयोग आधारित छूट को भी ग्लेडरों के उत्पादन में प्रयुक्त विशिष्ट ग्रेडों के लिए दिया जा सकता है ताकि प्रवंचना की संभावना से बचा जा सके।

iv. आवेदक विशिष्ट ग्रेड का उत्पादन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास संयंत्र और उपकरण नहीं हैं। ऐसे ग्रेड मूनी डिस्कोसिटी और अनसेचुरेशन स्तर का एक संयोग होते हैं। यदि आवेदक मूनी और अनसेचुरेशन स्तरों का उत्पादन करता भी है तो उसका यह अर्थ नहीं है कि वह अपेक्षित संयोजन का उत्पादन कर सकता है। प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिर्देशन शीटों को किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार से साझा नहीं किया गया है।

v. किसी उत्पाद प्रकार का आयात ऐसे उत्पाद को बाहर रखने के लिए कानूनी अपेक्षा नहीं है। वास्तविक उत्पादन और बिक्री शामिल करने का कानूनी मानक है और न कि इसका समर्थ्य है।

vi यदि भारतीय बाजार में कोई मांग नहीं है तो विदेशी बाजारों में मांग थी, परंतु आवेदक ने साक्ष्य दिए कि विशिष्ट उत्पाद का उत्पादन और आपूर्ति निर्यात बाजार में हुई है।

vii. विशिष्ट ग्रेड और रेगुलर ग्रेड के प्रयोग में अंतर की जांच की जानी चाहिए। एक्सोन का उत्पाद उच्चतर मूनी रिटेंशन इंडेक्स वाला है। आरएसईपीएल के रेगुलर ग्रेड में उच्चतर अनसेचुरेशन मात्रा है जो उत्पाद की सुरक्षा और आयु संबंधी विशेषता की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। प्राधिकारी को तीसरे पक्ष की लैब रिपोर्ट मंगानी चाहिए और उक्त मापदंडों का विश्लेषण करना चाहिए।

viii. घरेलू उद्योग का दावा कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा पहले से निश्चित हो गया और इसे बाद में बदला नहीं जा सकता है, गलत है। जैसा कि एचआईआईआर में उत्पाद के दायरे को अंतिम रूप देने की अधिसूचना से देखा जा सकता है, दायरे को बाद में संशोधित / आशोधित किया जा सकता है। दायरे और पीसीएन पद्धति का केवल नोटिस जो एक राजपत्रित दस्तावेज नहीं है और सभी प्रभावित पक्षकारों को सूचित नहीं किया गया है, प्राधिकारी को बाध्य नहीं करता है।

ix. आवेदक की दलील के विरोध में जांच शुरूआत अधिसूचना में दायर करने की समय सीमा प्रश्नावली के उत्तर से संबंधित है और ऐसे उत्तर देने के बाद क्षति संबंधी अनुरोध प्रस्तुत करने पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है।

ख.2 घरेलू उद्योग के विचार

4. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के बाद विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध निम्नानुसार है:

i. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई नए तथ्य रिकार्ड में नहीं दिए गए हैं और प्रारंभिक जांच परिणाम में माने गए उत्पाद के दायरे को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

ii. टायर क्यूरिंग ब्लेडर को बाहर रखने का अनुरोध देरी से किया गया है और उसे अस्वीकार किया जाए। एटीएमए द्वारा समय सीमा के भीतर उत्पाद दायरे संबंधी टिप्पणियों में बाहर रखने का अनुरोध शामिल नहीं है। घरेलू उद्योग ने घरेलू तथा निर्यात दोनों बाजारों में ऐसे उत्पादों का उत्पादन और बिक्री की है।

iii. आईआईआर के लिए जारी बीजकों में ट्यूबों और या टायर क्यूरिंग ब्लेडर में उनका प्रयोग नहीं दर्शाया गया है और यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि क्या आईआईआर ने ट्यूब अथवा टायर क्यूरिंग ब्लेडर की खपत की है।

iv. हितबद्ध पक्षकारों ने यह साक्ष्य नहीं दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद उपयुक्त गुणवत्ता का नहीं है। ऐसे आरोप गलत इरादे से लगाए गए हैं क्योंकि घरेलू उद्योग ने ब्लेडर निर्माण के लिए उपभोक्ताओं की संतुष्टि के अनुसार आईआईआर की बिक्री की है।

v. भावी मांग की धारणा के आधार पर विशिष्ट ग्रेड को बाहर रखने के अनुरोध पर अपवर्जन के आधार के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है। घरेलू उद्योग भविष्य में ऐसी नई मांग को भी पूरा कर सकता है।

vi किसी उत्पाद प्रकार को केवल तभी बाहर किया जा सकता है, यदि ऐसी उत्पाद किस्म को भारत ने आयात किया हो और घरेलू उद्योग ने समान वस्तु की आपूर्ति नहीं की हो। ऐसा प्राधिकारी द्वारा अनेक पूर्ववर्ती मामलों में निर्धारित किया गया है जैसे सीमलेस ट्यूब और पाइप्स, एसडीएच उपकरण और कोटेड / प्लेटेड टिन मिल फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पाद सेस्टेट ने एसबीएच उपकरण में प्राधिकारी के निष्कर्षों को माना था।

vii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के विपरीत आवेदक की स्थापना हाल की है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह नया प्रवेशक है जो अपनी स्थापना से ही पाटन का सामना कर रहा है।

viii. घरेलू उद्योग पर यह दर्शाने का कोई दायित्व नहीं है कि उसने निर्यात बाजार में उत्पाद की आपूर्ति की है।

ix. यदि भविष्य में उत्पाद की मांग बढ़ती है और घरेलू उद्योग उसकी आपूर्ति करने में असमर्थ होता है तो अन्य हितबद्ध पक्षकार मध्यावधि समीक्षा के लिए प्राधिकारी के पास जाने के लिए स्वतंत्र हैं।

ख.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

5. विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन को स्पष्ट करने और टिप्पणी करने का अवसर सभी हितबद्ध पक्षकारों को जांच शुरूआत के नोटिस द्वारा दिया गया था। उसके बाद 25 अक्टूबर 2023 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनके अनुरोध प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति के संबंध में अपने अनुरोध स्पष्ट किए थे। हितबद्ध पक्षकारों ने संगत समर्थक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर भी लिया था। विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर विचार करने के बाद और इस संबंध में कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति का निर्णय लिया है। इसे 22 नवंबर, 2023 को डीजीटीआर की वेबसाइट पर अधिसूचित किया गया था।

6. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) ने हितबद्ध पक्षकारों को दी गई समय सीमा के भीतर किसी उत्पाद को बाहर रखने का कोई अनुरोध नहीं किया। तथापि, विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति को अंतिम रूप देने के बाद और समय सीमा की समाप्ति के काफी बाद एटीएमए ने टायर क्यूरिंग ब्लेडर के उत्पादन के लिए प्रयुक्त आईआईआर के रेगुलर ग्रेड को बाहर रखने का अनुरोध किया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एटीएमए द्वारा प्रस्तुत अनुरोध देरी से थे और विचाराधीन उत्पाद के दायरे को अंतिम रूप देने के बाद किए गए थे और प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के आलोक में उन्हें स्वीकार नहीं किया गया है।

"(8) किसी मामले में जहां हितबद्ध पक्षकार ***तर्कसंगत समय सीमा के भीतर*** *सूचना देने से मना करता है* ***या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है*** *या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो* ***निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज***

<u>कर सकते हैं</u> *और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जिन्हें वे ऐसी परिस्थितियों में उचित समझते हों।''*

7. यद्यपि प्राधिकारी इस निष्कर्ष का प्रस्ताव करते हैं कि टायर क्यूरिंग ब्लेडर के उत्पादन के लिए आईआईआर को बाहर रखने संबंधी एटीएमए के अनुरोध देरी से हैं और प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं। फिर भी प्राधिकारी ने जांच और निर्धारण के हित में दिए गए तर्कों की जांच की है।

8. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने टायर क्यूरिंग ब्लेडर के उत्पादन में प्रयुक्त उत्पाद के कोई तकनीकी ब्यौरे नहीं बताए हैं। सभी हितबद्ध पक्षकारों ने बताया है कि आईआईआर के रेगुलर ग्रेड की खपत टायर क्यूरिंग ब्लेडर के उत्पादन में की जा रही है। घरेलू उद्योग ने बताया है कि आईआईआर की उसी ग्रेड का प्रयोग टायर क्यूरिंग ब्लेडर और टायरों के रेगुलर ट्यूब दोनों के उत्पादन में होता है। घरेलू उद्योग ने बताया है कि उसने टायर क्यूरिंग ब्लेडर के निर्माण के लिए ऐसे ग्रेड का उत्पादन और आपूर्ति की है।

9 अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने बताया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई ग्रेड की गुणवत्ता टायर क्यूरिंग ब्लेडर के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी इस दलील के समर्थन में *** से *** तक के पत्र में बताया है कि घरेलू उद्योग का उत्पाद स्वीकार्य नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

(क) उक्त पत्र घरेलू उद्योग के पास नहीं हैं और दो पक्षकारों के बीच में जिनके बारे में घरेलू उद्योग को जानकारी नहीं है।

(ख) उक्त पत्र यह सिद्ध नहीं करता है कि घरेलू उद्योग के उत्पाद का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह केवल घरेलू उद्योग के उत्पाद को प्रयोग करने में कुछ प्रचालन संबंधी कठिनाइयां बताता है, (ग) घरेलू उद्योग को यह स्पष्ट करने का कोई अवसर नहीं मिला है कि क्या घरेलू उद्योग के उत्पाद में कोई समस्या थी या कोई अन्य कारक था,

(घ) घरेलू उद्योग एक नया उत्पादक है और अपने उत्पादन की शुरूआत में प्रचालन संबंधी कुछ कठिनाइयों (उक्त पत्र वर्ष 2021 से संबंधित है) का यह अर्थ नहीं है कि घरेलू उद्योग समान वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता है,

(ड) घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार तथा निर्यात बाजार में भारी मात्राओं की बिक्री की है। अत: यह स्वीकार्य नहीं है कि घरेलू उद्योग समान वस्तु देने में असमर्थ है। घरेलू उद्योग ने यह भी बताया है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में *** में *** उपभोक्ता को सामग्री की आपूर्ति की है। घरेलू उद्योग ने उक्त ग्राहक से प्राप्त पत्र की एक प्रति साझा की है। यद्यपि जांच अवधि के बाद प्राप्त सकारात्मक फीडबैक आवेदक की टायर क्यूरिंग ब्लेडर के उत्पाद के उत्पादन की क्षमता को सिद्ध करता है। उपभोक्ता ने न केवल टायर क्यूरिंग ब्लेडर के लिए घरेलू उद्योग की सामग्री के प्रयोग की पुष्टि की है बल्कि टायर क्यूरिंग ब्लेडर के लिए घरेलू उद्योग की सामग्री के निष्पादन पर संतुष्टि भी व्यक्त की है।

10. हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह तर्क देते हुए एक महत्वपूर्ण अनुरोध के आलोक में कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सामग्री टायर क्यूरिंग ब्लेडर के लिए अच्छा निष्पादन नहीं करती है, एटीएमए और एक्सेल रबड़ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदत्त सूचना और साक्ष्य की विस्तार से जांच की गई थी। यह देखा गया है कि एक्सेल रबड़ प्राइवेट लिमिटेड ने दोनों पक्षों के बीच पत्र उपलब्ध कराए हैं। उक्त पत्र घरेलू उद्योग के साथ नहीं है। घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री की गुणवत्ता पर प्रश्न उठाते हुए घरेलू उद्योग को उपभोक्ता द्वारा भेजे गए पत्र की एक प्रति की बार-बार मांग की है। तथापि, अन्य हितबद्ध पक्षकार ने उक्त पत्र की प्रति घरेलू उद्योग को देने से मना किया है। प्राधिकारी मानते हैं कि यदि उक्त पत्र घरेलू उद्योग द्वारा भेजी गई सामग्री की गुणवत्ता से संबंधित है तो घरेलू उद्योग से यह आशा नहीं की जा सकती है कि वह क्रेता की ऐसी शिकयतों पर तब उत्तर दे सकता है जबकि घरेलू उद्योग को सूचित भी नहीं किया गया है। चूंकि प्रस्तुत पत्र घरेलू उद्योग से इतर दो पक्षकारों के बीच है। इसलिए प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के दावे की अनुमति दी है। तथापि प्राधिकारी नोट करते हैं कि जब उक्त पत्र घरेलू उद्योग से शेयर भी नहीं किया गया है और यह दो पक्षकारों के बीच का पत्र है तो वह यह सिद्ध करने का पर्याप्त साक्ष्य नहीं हो सकता है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री को क्यूरिंग ब्लेडर के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि में *** एमटी की संचयी मात्रा की आपूर्ति की है, जिसका अधिकांश हिस्सा टायर उद्योग में खपत हुआ है। नीचे दी गई तालिका क्षति अवधि में विभिन्न उपभोक्ताओं को घरेलू उद्योग द्वारा की गई आपूर्ति दर्शाती है। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि उसने पीओआई के बाद की अवधि में इन उपभोक्ताओं को नियमित रूप से आपूर्ति की है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने

अनेक ग्राहकों और यहां तक उन ग्राहकों को भी उत्पाद की वास्तव में बिक्री की है जिन्होंने घरेलू उद्योग के उत्पाद के गैर निष्पादन के बारे में कथित शिकायतें की हैं।

क्र.सं.	उपभोक्ता का नाम	नियमित खरीदारी शुरू करने का महीना/वर्ष	कुल बेची गई मात्रा
			पीओआई तक (केटी)
1	***	***	***
2	***	***	***
3	***	***	***
4	***	***	***
5	***	***	***
6	***	***	***
7	***	***	***
8	***	***	***
9	***	***	***
10	***	***	***

11. इसके अलावा, यह नोट किया गया है कि प्रयोक्ता द्वारा दिए गए पत्र उनके बीच परस्पर पत्राचार हैं और इनकी तारीख जांच अवधि से पहले की है। यह पत्र आवेदक को नहीं भेजे गए है और इस प्रकार प्राधिकारी रिकार्ड में साक्ष्य के आधार पर इस निष्कर्ष का प्रस्ताव करते हैं कि ऐसे पत्राचार को आवेदक के उत्पाद के बारे में शिकायत नहीं माना जा सकता है।

12. एक प्रयोक्ता ने बताया है कि आवेदक उनकी बिक्री अनुमोदन सूची का हिस्सा नहीं है। ऐसे प्रयोक्ता ने एक ''विक्रेता अनुमोदन सूची'' दी है जो केवल खरीद के स्रोत को ''आयात'' बताती है और न कि घरेलू खरीद । तथापि प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक प्रयोक्ता की अनुमोदन सूची इस तथ्य का खंडन नहीं करती है कि घरेलू उद्योग ने घरेलू तथा वैश्विक प्रयोक्ताओं को वास्तव में उत्पाद की आपूर्ति की है और वह भी तब, जब घरेलू उद्योग द्वारा बेची गई मात्रा इतनी अधिक है और सितंबर 2019 से मार्च 2023 तक देश में उत्पाद की मांग के *** प्रतिशत हिस्से को घरेलू उद्योग ने पूरा किया था।

13. घरेलू उद्योग ने बताया कि ट्यूब और टायर क्यूरिंग ब्लेडर के निर्माण में एक ही ग्रेड का प्रयोग होता है। इस कारण घरेलू उद्योग का दावा निर्विवाद रहता है। यह भी देखा गया है कि प्रयोक्ताओं ने ट्यूब और टायर क्यूरिंग ब्लेडर बनाने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित पीयूसी से अलग किसी ग्रेड का आयात नहीं किया है। इस प्रकार ऐसी स्थिति में जहां उपभोक्ताओं ने ट्यूब और टायर क्यूरिंग ब्लेडर बनाने के लिए समान उत्पाद का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया है और ऐसी स्थिति में जहां विचाराधीन उत्पाद की अधिकांश खपत ट्यूब में हुई है, वहां प्राधिकारी मानते हैं कि प्रस्तावित उपायों से विचाराधीन उत्पाद के किसी प्रयोग विशेष को बाहर रखना न्यायोचित नहीं है। सीमा शुल्क प्राधिकारियों के लिए ऐसे किसी अपवर्जन को लागू करना तब असंभव होगा जबकि उपभोक्ता ट्यूब और टायर क्यूरिंग ब्लेडर बनाने के लिए उत्पादों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं।

14. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि 94 प्रतिशत आईआईआर का प्रयोग टायरों के लिए ट्यूब के उत्पादन में होता है जबकि केवल 6 प्रतिशत अन्य कार्यों में प्रयोग होता है। इस प्रकार प्राधिकारी इस निष्कर्ष का प्रस्ताव करते हैं कि टायर क्यूरिंग ब्लेडर प्रयोगों के लिए विचाराधीन उत्पाद को बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं है।

15. यह स्पष्ट किया गया है कि प्रारंभिक जांच परिणाम के पैरा 9 में उल्लिखित एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग उत्पाद के विभिन्न ग्रेडों के उत्पादन के लिए उत्पादन सुविधाओं के एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग से संबंधित है। विभिन्न प्रकार के उत्पादों के विनिर्माण के लिए समान उत्पादन सुविधाओं का प्रयोग होता है।

16. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने वास्तव में कम मूनी विस्कोसिटी के ग्रेड का उत्पादन किया है। वास्तव में यह देखा गया था कि घरेलू उद्योग की उत्पादन रेंज में 35 एमयू तक कम मूनी विस्कोसिटी शामिल है जबकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उत्पादित ग्रेड में 32 एमयू (+/-4) की मूनी विस्कोसिटी है। इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रेड में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उत्पादित विशिष्ट ग्रेड की सहनशीलता सीमा के भीतर मूनी विस्कोसिटी है।

17. इस तर्क के संबंध में कि विनिर्देशन शीट शेयर नहीं की गई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने उत्पादित किए जा सकने वाले ग्रेडों के विनिर्देशन दर्शाने के लिए अपने प्रौद्योगिकी लाइसेंस करार के उद्धरण प्रस्तुत किए हैं। चूंकि ऐसी सूचना गोपनीय व्यापार

स्वामित्व प्रकृति की है इसलिए उसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया जा सकता है। तथापि प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक के पास कम और उच्च अनसेचुरेशन मात्रा और कम तथा उच्च मूनी विस्कोसिटी की उत्पादन की क्षमता है। सत्यापन के बाद घरेलू उद्योग ने विभिन्न ग्रेडों की विनिर्देशन शीट भी प्रस्तुत की है जिसे बाद में सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया था।

18. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग मूनी विस्कोसिटी और अनसेचुरेशन स्तरों के वांछित संयोजन प्राप्त करने की अपनी अक्षमता के कारण विशिष्ट ग्रेड का उत्पादन नहीं कर सकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह बताया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्तित उत्पाद आयातित उत्पाद की समान वस्तु नहीं हो सकता है। यह भी नोट किया गया है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसा उत्पाद विनिर्देशन प्राप्त करने के लिए अपेक्षित संयंत्र और उपकरण का कोई ब्यौरा नहीं दिया है और यह नहीं बताया है कि कैसे आवेदक के पास ऐसी तकनीकी क्षमता नहीं है। इसके अलावा, जैसा प्रारंभिक जांच परिणाम में पहले ही नोट किया गया है भारत में इस उत्पाद की कोई मांग नहीं है और इसलिए ऐसे उत्पाद का न तो घरेलू उत्पादन है और न ही भारत में उत्पाद के आयात हैं। इस प्रकार, उत्पाद के आयात के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता है कि समान वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं हो रही है। आवेदक के लिए ऐसे उत्पाद के उत्पादन की उम्मीद करना अतर्कसंगत है जिसे बाजार में बेचा गया होता, क्योंकि बाजार में ऐसे उत्पाद की कोई मांग नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह स्थापित कानूनी स्थिति है कि केवल कोई उत्पाद किस्म जिसे देश में आयातित किया गया है तथा जिसकी समान वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति नहीं की गई है, को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। इस प्रकार प्राधिकारी प्रस्ताव करते हैं कि विशिष्ट ग्रेड को बाहर रखना न्यायोचित नहीं है।

ग. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

ग.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

19. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के बाद घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. रूसी निर्यातकों और घरेलू उत्पादक के बीच ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसे उन्हें अपात्र उत्पादक मानने के लिए पर्याप्त समझा जाए।

ii. संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए सिबुर के अनुमोदन के बाद भारी व्यय किया गया है, क्योंकि अनेक संबंधित पक्षकार सौदे आरआईएल के साथ किए गए हैं।

iii. आरएसईपीएल के संबंध के बारे में एनकेएनएच द्वारा गलत वक्तव्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए उसमें व्यापार सूचना 9 के अनुसार संबंधित पक्षकार की रिपोर्ट नहीं है।

iv. सिबुर इन्वेस्टमेंट एजी का एनकेएनएच तथा घरेलू उत्पादक पर नियंत्रक है। साझा कारपारेट ढांचा जानने के बावजूद प्राधिकारी ने केवल एनकेएनएच के उत्तर पर भरोसा किया है और घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग घोषित किया है।

v. चूंकि निर्यातकों को सीधे रूस से भेज गया था इसलिए एनकेएनएच को इसकी जानकारी थी।

vi गतिरोध प्रावधानों पर भरोसा अधूरा था क्योंकि ऐसे प्रावधान के प्रयोग के परिणाम का मूल्यांकन नहीं हुआ था, क्योंकि इसकी वजह से सिबुर संयुक्त उद्यम से बाहर हो सकता था तथा यह संयुक्त अनुमोदन और संबंधित पक्ष के सौदों पर लागू नहीं है। ऐसे प्रावधान को वास्तव में लागू करने का कोई साक्ष्य नहीं है।

vii. रूस के उत्पादक के आचरण का मूल्यांकन होना चाहिए क्योंकि वह आवेदक से जुड़ा हुआ है। उसने घरेलू उद्योग की पात्रता संबंधी तर्क का समर्थन किया है। सिबुर और आरएसईपीएल अपने बीच बिक्रियां रखने के लिए बाजार में पुन: व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि पहले भारत में रूस के आयात सर्वाधिक थे और आवेदक ने कम कीमत पर रूस से भारी आयात किया है। चूंकि आवेदक ने उत्पादन शुरू किया इसलिए रूस से आयात घट गए और आवेदक को बाजार मिल गया।

viii. नियम 2(ख) के अनुसार यदि कोई घरेलू उत्पादक निर्यातक से संबंधित हो तो प्राधिकारी के लिए कानून के अनुसार ऐसे किसी उत्पादक को घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल करने के लिए किसी विवेकाधिकार की गुंजाइश नहीं है।

ix. घरेलू उद्योग का यह अनुरोध कि क्योंकि उनके विरुद्ध एनकेएनएच भागीदारी कर रहा है, इसका अर्थ है कि सिबुर घरेलू उद्योग को नियंत्रित नहीं कर रहा है, एक

निराधार मान्यता है जो डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के विरुद्ध है। सिबुर की भागीदारी बिल्कुल समन्वित और व्यवस्थित कार्य लगता है जो घरेलू उद्योग पर उसका नियंत्रण दर्शाता है।

ग.2. <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

20. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी के बाद घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के बारे में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. संबंधित घरेलू उत्पादक को बाहर रखने को उचित ठहराने का पर्याप्त आधार होना चाहिए। संबंध का एक मात्र तथ्य घरेलू उत्पादक को अपात्र मानने के लिए अपर्याप्त है। वर्तमान स्थिति के मुकाबले उस स्थिति में आरएसईपीएल के व्यवहार में कोई अंतर नहीं है, जहां वह कथित संबंधित पक्षकार नहीं था।

ii. यह दर्शाने के लिए रिकार्ड में कोई साक्ष्य नहीं है कि आरएसईपीएल और सिबुर ने गठबंधन किया है। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि इन दोनों पक्षकारों के बीच संबंध के कारण आवेदक ने एक असंबंधित उत्पादक से अलग व्यवहार किया है।

iii. सिबुर, आरएसईपीएल पर न्यायिक नियंत्रण या वास्तविक नियंत्रण नहीं रखता है।

iv. आरक्षित मामले खरीद, उत्पादन, बिक्री, लागत, कीमत निर्धारण या पाटनरोधी जांच से संगत किसी अन्य साक्ष्य के संबंध में आवेदक के प्रचालनों पर सिबुर का नियंत्रण नहीं दर्शाते हैं।

v. संस्था के नियमों में गतिरोध के प्रावधान सिबुर को आरआईएल के निर्णय के अतिव्यापन से रोकते हैं। गतिरोध के प्रावधान औपचारिकता नहीं हैं और एक्सोन संस्था के नियमों के कतिपय प्रावधानों पर चुनिंदा भरोसा नहीं कर सकता है।

vi रूसी उत्पादक वर्तमान जांच का विरोध कर रहा है। रूसी उत्पादक ने आवेदक को कमतर कीमत के लिए बाध्य किया है और उसने अपनी कीमत को कम नहीं किया होता, यदि उसका इरादा आवेदक को बाजार पहुंच होने का था।

vii. गतिरोध के प्रावधान को इसलिए लागू नहीं किया गया क्योंकि सिबुर ने आवेदक या आरआईएल के हित के लिए हानिकारक ढंग से कभी नियंत्रण का प्रयोग नहीं किया है।

viii. आरआईएल से कच्ची सामग्री की खरीद का अनुमोदन सिबुर से सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार प्राप्त हुआ था।

ix. यदि यह भी पाया जाता है कि सिबुर ने भारत को सीधे निर्यात किया है तो सिबुर से निर्यातों को रोकने के लिए आवेदक की अक्षमता और शुल्क की मांग करने से आवेदक को रोकने में सिबुर की अक्षमता नियंत्रण के अभाव को सिद्ध करती है।

x. यह महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या भारत में आयात रूसी उत्पादकों की जानकारी में हैं। निर्यातक और उत्पादक शब्दों को नियम 2(ख) के अंतर्गत एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

xi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के विपरीत कि सिबुर ने आवेदक से मिलीभगत की है क्योंकि रूस से आयातों में कमी आई है, अन्य देशों से आयातों में भी भारत में घरेलू उत्पादन शुरू होने के बाद गिरावट आई है जिसका यह अर्थ नहीं है कि सभी देशों ने आवेदक से मिलीभगत की है। चीन से आयात 2020-21 और 2021-22 के दौरान न्यूनतम थे।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

21. नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले "घरेलू उद्योग" शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

22. प्रारंभिक जांच परिणाम में प्राधिकारी का अनंतिम निष्कर्ष है कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग है। यह अनंतिम निष्कर्ष है कि आवेदक के प्रचालनों पर सिबुर का न्यायसंगत और वास्तविक कोई नियंत्रण नहीं है और यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक से सिबुर द्वारा नियंत्रित होता है जो रूस में संबद्ध वस्तु के उत्पादक को भी नियंत्रित करता है।

23. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने प्रारंभिक जांच परिणाम के इस विवरण के कानूनी आधार पर प्रश्न उठाया है जो प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित बनाता है कि क्या उत्पादक ने उत्पाद के अन्य उत्पादकों से अलग व्यवहार किया है।

24. प्राधिकारी ने 21 जून 2024 को एक प्रकटन विवरण जारी किया जिस पर सभी इच्छुक पार्टियों की टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं। टिप्पणियों पर विचार करने पर, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के दायरे से संबंधित मुद्दे की फिर से जांच की।

25. नियम 2(बी) का स्पष्टीकरण उन स्थितियों के लिए प्रदान करता है जहां घरेलू उत्पादक कथित पाटन किए गए लेख के आयातक या निर्यातक से संबंधित है। प्रावधान नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> स्पष्टीकरण। - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, उत्पादकों को निर्यातकों या आयातकों से संबंधित तभी माना जाएगा, जब -
>
> (ए) उनमें से एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे को नियंत्रित करता है; या
>
> (बी) ये दोनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं; या
>
> (सी) साथ में वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति को इस शर्त के अधीन नियंत्रित करते हैं कि विश्वास करने या संदेह करने के लिए आधार हैं कि रिश्ते का प्रभाव ऐसा है कि उत्पादकों को गैर-संबंधित उत्पादकों से अलग व्यवहार करना पड़ता है।

26. उपरोक्त स्पष्टीकरण का नोट "नियंत्रण" का अर्थ प्रदान करता है।

नोट: इस स्पष्टीकरण के प्रयोजन के लिए, एक निर्माता को दूसरे निर्माता को नियंत्रित करने के लिए माना जाएगा जब पहला कानूनी या परिचालन रूप से दूसरे निर्माता पर प्रतिबंध लगाने या निर्देश देने की स्थिति में हो।

27. यह कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को निम्नलिखित दो स्थितियों में से किसी एक में नियंत्रित कर सकता है:

(i) पूर्व कानूनी तौर पर बाद वाले पर संयम या निर्देश देने की स्थिति में है, (कानूनी नियंत्रण) या

(ii) पहला सक्रिय रूप से दूसरे पर संयम बरतने या निर्देश देने की स्थिति में है। (वास्तविक नियंत्रण)

28. "संयम" या " निर्देश" शब्दों का अर्थ एडी नियमों या डब्ल्यूटीओ एंटी-डंपिंग समझौते में परिभाषित नहीं है। "संयम" को किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्यों को रोकने या सीमित करने वाली कार्रवाई के रूप में समझा जा सकता है, जबकि " निर्देश" उस तरीके या मार्ग को दर्शाता है जिसमें एक निश्चित कार्रवाई की जानी है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रावधान विघटनकारी है यानी, या तो संयम या निर्देश मौजूद होना चाहिए।

29. आवेदन आरएसईपीएल द्वारा दायर किया गया है, जो रिलायंस और सिबुर इन्वेस्टमेंट्स एजी के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें रिलायंस की 74.9% हिस्सेदारी है और सिबुर इन्वेस्टमेंट्स एजी (सिबुर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) की 25.1% हिस्सेदारी है। सिबुर इन्वेस्टमेंट्स एजी के अधिकृत प्रतिनिधि, श्री दिमित्री ख्रीचेंको, आवेदक के पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) हैं, जैसा कि पीओआई के लिए याचिकाकर्ता की लेखा परीक्षित वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है।

30. इसमें कहा गया है कि सिबूर रूस में पीयूसी के निर्माता एनकेएनएच पर नियंत्रण रखता है।

31. याचिकाकर्ता के एओए के अनुच्छेद 29 में प्रावधान है कि याचिकाकर्ता के व्यवसाय को निदेशक मंडल द्वारा प्रबंधित किया जाएगा जिसमें 10 निदेशक होंगे, जिनमें से दो स्वतंत्र निदेशक होंगे, छह निदेशक रिलायंस शेयरधारकों द्वारा नामित किए जाएंगे, और शेष दो

निदेशक सिबुर और उसके सहयोगी द्वारा नामित किए जाएंगे। एओए से प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

> *29 (ए) कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा। बोर्ड में दस (10) निदेशक होंगे जिनमें से दो (2) स्वतंत्र निदेशक होंगे, रिलायंस शेयरधारक छह (6) निदेशकों को नामित करने के हकदार होंगे और सिबुर शेयरधारक दो (2) निदेशकों को नामित करने के हकदार होंगे।*

32. इसके अलावा, याचिकाकर्ता के निर्णय लेने के लिए मतदान से संबंधित एओए का अनुच्छेद 38 निम्नानुसार है:

> *निर्णय*
>
> *38. (ए) अनुच्छेद 39 और 41 के अधीन, बोर्ड की बैठकों में मतदान उन निदेशकों के वोटों के साधारण बहुमत के माध्यम से होगा जो बैठक में भाग ले रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। प्रत्येक निदेशक (या निदेशक के स्थान पर बैठक में उपस्थित वैकल्पिक निदेशक) के पास एक (1) वोट होगा।*
>
> *(बी) अनुच्छेद 39 और 41 और अधिनियम के अधीन, शेयरधारकों की बैठक में मतदान बैठक में डाले गए वोटों के साधारण बहुमत के माध्यम से होगा। किसी भी शेयरधारक की बैठक में प्रत्येक शेयर पर एक (1) वोट होगा।*

33. उपरोक्त से, ऐसा प्रतीत होता है कि बोर्ड की बैठकों और शेयरधारकों की बैठकों में निर्णय साधारण बहुमत के माध्यम से किए जाएंगे। हालाँकि, यह नोट करना प्रासंगिक है कि अनुच्छेद 38 अनुच्छेद 39 और 41 के अधीन है, जो क्रमशः "आरक्षित मामलों" और "संबंधित पार्टी लेनदेन और संयुक्त अनुमोदन लेनदेन" से निपटते हैं। "आरक्षित मामलों" और "संबंधित पार्टी लेनदेन और संयुक्त अनुमोदन लेनदेन" के संबंध में याचिकाकर्ता का कोई भी निर्णय केवल साधारण बहुमत के माध्यम से नहीं लिया जा सकता है, बल्कि अनुच्छेद क्रमशः 39 और 41 के अनुसार निर्णय लेने की प्रक्रिया/अनुमोदन के अधीन है।

34. एओए का अनुच्छेद 39(ए) बोर्ड और शेयरधारकों की बैठक में आरक्षित मामले के लेनदेन के लिए आवश्यक निर्णय लेने की प्रक्रिया/अनुमोदन प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि जब तक सिबुर के शेयरधारकों के पास याचिकाकर्ता के योग्य शेयर हैं, तब तक बोर्ड और शेयरधारकों की बैठकों में निर्णय नहीं लिए जाएंगे, जब तक कि रिलायंस और सिबुर द्वारा नियुक्त कम से कम एक निदेशक ने मामले के पक्ष में मतदान नहीं किया हो (बोर्ड मीटिंग के मामले में) और रिलायंस और सिबूर के प्रत्येक शेयरधारक के कम से कम एक अधिकृत प्रतिनिधि ने ऐसे मामले के लिए अपनी मंजूरी दे दी है (शेयरधारकों की बैठक के मामले में)। अनुच्छेद 39 के प्रासंगिक भाग निम्नानुसार निकाले गए हैं:

39. (ए) जब तक सिबूर शेयरधारक सामूहिक रूप से योग्य शेयरधारिता रखते हैं, तब तक बचत करें और अनुच्छेद 43 (ई) और अनुच्छेद 44 (सी) में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई स्थितियों को छोड़कर, कंपनी ऐसा नहीं करेगी और शेयरधारक इसे खरीद लेंगे। कंपनी किसी आरक्षित मामले के संबंध में कोई निर्णय या कार्रवाई नहीं करेगी, जब तक कि:

(i) प्रत्येक शेयरधारक समूह से कम से कम एक शेयरधारक के अधिकृत प्रतिनिधि ने कंपनी को ऐसे आरक्षित मामले के लिए लिखित रूप में अपनी मंजूरी दे दी है, या, यदि ऐसा आरक्षित मामला अधिनियम के तहत पूरी तरह से शेयरधारकों की बैठक की क्षमता के अंतर्गत आता है तो एक प्रत्येक शेयरधारक समूह से कम से कम एक शेयरधारक के अधिकृत प्रतिनिधि ने शेयरधारकों की बैठक में ऐसे आरक्षित मामले के लिए अपनी मंजूरी दे दी है; और

(ii) प्रत्येक शेयरधारक समूह द्वारा नियुक्त कम से कम एक (1) निदेशक ने विधिवत बुलाई और आयोजित बोर्ड बैठक में मामले के पक्ष में मतदान किया है।

35. आरक्षित मामलों के समान, "संयुक्त अनुमोदन लेनदेन" के संबंध में, अनुच्छेद 41 (बी) (i) में कहा गया है कि ऐसे सभी लेनदेन के लिए रिलायंस और सिबुर दोनों से कम से कम एक निदेशक और एक शेयरधारक की मंजूरी की आवश्यकता होती है (जब तक सिबुर के पास अर्हक शेयर है)।

36. विशेष रूप से, एसोसिएशन के लेख (एओए) कुछ "आरक्षित मामले", "संबंधित पार्टी लेनदेन" और "संयुक्त अनुमोदन लेनदेन" को परिभाषित करते हैं, जिसमें बोर्ड और शेयरधारकों की बैठकों में क्रमशः व्यवसायिक लेन-देन के लिए सिबुर के निदेशकों और शेयरधारकों की मंजूरी आवश्यक है। इस प्रकार, यह देखा गया है कि अधिकांश शेयर रिलायंस के स्वामित्व में होने के बावजूद, सिबुर नियम 2(बी) के स्पष्टीकरण के संदर्भ में याचिकाकर्ता पर संयम बरत सकता है।

37. जबकि आवेदक एसोसिएशन के लेखों में गतिरोध प्रावधानों का प्रयोग कर सकता है, प्राधिकारी नोट करता है कि ऐसे प्रावधानों को कभी भी लागू नहीं किया गया है। ऐसे प्रावधानों के लागू होने की स्थिति में, संयुक्त उद्यम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

38. उपरोक्त के प्रकाश में, यह स्थापित किया गया है कि सिबुर, सिबुर इन्वेस्टमेंट्स एजी के माध्यम से, याचिकाकर्ता पर नियंत्रण रखता है और एडी नियमों के नियम 2 (बी) के संदर्भ में एक संबंध स्थापित होता है।

39. प्राधिकारी नोट करता है कि नियम 2(बी) केवल एक संभावित स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक घरेलू उत्पादक को अयोग्य माना जा सकता है। चूंकि नियमों के तहत कोई निर्देश या शर्तें निर्धारित

नहीं की गई हैं, इसलिए प्राधिकारी उन संभावित स्थितियों की जांच करता है जहां प्राधिकारी घरेलू उत्पादकों को संबद्ध देश/देशों में निर्यातक के साथ संबंध के बावजूद पात्र या अपात्र मान सकता है।.

40. प्राधिकारी का मानना है कि एक उत्पादक और एक विदेशी निर्यातक के बीच संबंध के अस्तित्व का तथ्य ही ऐसे घरेलू उत्पादक को नियम 2(बी) के तहत अयोग्य ठहराने के लिए अपर्याप्त है।

41. दरअसल, नियमों को 'किया जाये' से 'हो सकता है' तक संशोधित किया गया है ताकि प्राधिकारी को उस स्थिति में विवेकाधिकार दिया जा सके जहां एक घरेलू उत्पादक स्वयं आयातक है या आयातक या विदेशी निर्यातक से संबंधित है।

42. प्राधिकारी प्राधिकरण को ऐसा विवेक प्रदान करने के उद्देश्य को याद करता है। जब एंटी-डंपिंग नियम मूल रूप से पेश किए गए थे तो इस संबंध में प्राधिकारी को कोई विवेकाधिकार प्रदान नहीं किया गया था। कुछ श्रेणी के उत्पादकों को पात्र और कुछ श्रेणी के उत्पादकों को अपात्र मानने के लिए प्राधिकारी को विवेकाधिकार प्रदान करने के लिए नियमों में संशोधन किया गया था। चूंकि कानून के तहत कुछ भी विशिष्ट नहीं बताया गया है, इसलिए प्राधिकारी ने इस संबंध में न्यायशास्त्र और पिछले निर्धारणों पर भरोसा किया है, जहां प्राधिकारी ने संभावित स्थितियों की जांच की है जहां एक घरेलू उत्पादक को पात्र या अपात्र माना जाएगा। विशेष रूप से चीन और इंडोनेशिया से विस्कोस स्टेपल फाइबर और चीन से सर्कुलर बुनाई मशीन से संबंधित जांच का संदर्भ लिया गया है, जहां प्राधिकारी ने नियम 2 (बी) के प्रावधानों और उन स्थितियों की विस्तार से जांच की है जहां घरेलू उत्पादकों को पात्र या अपात्र माना जा सकता है.

43. जहां तक इस दलील का संबंध है कि रूसी उत्पादक ने आवेदक के साथ मिलीभगत की है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रूस से आयात की कीमत अन्य संबद्ध देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में रखी गई थी। यह भी नोट किया गया है कि रूसी उत्पादक द्वारा प्रस्तावित कीमतें कुछ संबद्ध देशों की तुलना में कम थीं जबकि अन्य संबद्ध देशों की तुलना में अधिक थीं। यदि रूसी निर्माता बाजार को फिर से व्यवस्थित करने और आवेदक को बाजार पहुंच देने की कोशिश कर रहा था, तो उसने आवेदक को न केवल बाजार पर कब्जा करने की अनुमति देने के लिए उच्च कीमतों की पेशकश की होगी, बल्कि अपनी बिक्री की सीमा तक बेहतर कीमतें भी प्राप्त की होंगी। हालाँकि, रूसी उत्पादक ने अन्य संबद्ध देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली कीमतों की पेशकश की है, जिससे पता चलता है कि रूसी उत्पादक बाजार में अपनी उपस्थिति बनाए रखने का प्रयास कर रहा था, और आवेदक को बाजार तक पहुंच नहीं दे रहा था। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध थी कि आवेदक ब्यूटाइल रबर के उत्पादन के लिए भारत में एक संयंत्र स्थापित कर रहा था और यह भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध था कि आवेदक ने देश में उत्पाद का उत्पादन और बिक्री शुरू कर दी थी। यदि विदेशी उत्पादकों ने डंप किए गए मूल्यों पर अपना निर्यात जारी रखा, तो यह दावा नहीं किया जा सकता है कि यह दो अन्य पक्षों,

यानी रूसी उत्पादक और आवेदक के बीच मिलीभगत का परिणाम था। यह भी नोट किया गया है कि रूस को छोड़कर अन्य संबद्ध देशों की सामूहिक रूप से पीओआई में उच्च बाजार हिस्सेदारी थी

44. प्राधिकरण मानता है कि घरेलू उत्पादक और विदेशी उत्पादक के बीच संबंध के अस्तित्व का मात्र तथ्य ऐसे घरेलू उत्पादक को नियम 2 (बी) के तहत अयोग्य ठहराने के लिए अपर्याप्त है।

45. वास्तव में, नियमों को 'करेगा' से 'कर सकता है' में संशोधित किया गया है, केवल ऐसी स्थिति में प्राधिकरण को विवेकाधिकार प्रदान करने के लिए जहां एक घरेलू उत्पादक स्वयं आयातक है या आयातक या विदेशी निर्यातक से संबंधित है। प्राधिकरण इस संबंध में मानता है कि वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियां यह वारंट नहीं करती हैं कि याचिकाकर्ता को नियम 2 (बी) के अर्थ के भीतर अयोग्य घरेलू उद्योग के रूप में माना जाना चाहिए, भले ही याचिकाकर्ता को विदेशी उत्पादक से संबंधित माना जाए।

46. जबकि प्राधिकरण नोट करता है कि याचिकाकर्ता विचाराधीन उत्पाद के विदेशी निर्माता से संबंधित है, प्राधिकरण, फिर भी, मानता है कि याचिकाकर्ता वर्तमान मामले के निम्नलिखित तथ्यों और परिस्थितियों के कारण घरेलू उद्योग का गठन करने के लिए पात्र है।

a) डंपिंग रोधी कानून का उद्देश्य भारतीय उद्योग को नुकसान पहुंचाने वाली डंपिंग की स्थिति का समाधान करना है। मात्र तथ्य यह है कि एक कंपनी जो किसी विदेशी उत्पादक से संबंधित हो सकती है और ऐसा विदेशी उत्पादक भी भारत में उत्पाद का निर्यात कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि देश में उत्पाद की डंपिंग की अनुमति दी जानी चाहिए।

नियमों के तहत विवेकाधिकार देने और पहले के नियम में संशोधन की मांग करने का उद्देश्य प्राधिकारी को विवेकाधिकार देना था ताकि घरेलू उत्पादकों को ऐसी स्थिति में उपाय मांगने से रोका न जाए जहां विदेशी उत्पादक भारतीय उद्योग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कानून की व्याख्या और कार्यान्वयन इस तरह से किया जाना चाहिए कि कानून का उद्देश्य पूरा हो, और विफल न हो

b) याचिकाकर्ता एक नई कंपनी है जिसने पहले देश में उत्पादित नहीं होने वाले उत्पाद के उत्पादन के लिए देश में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण निवेश किया है।
c) देश में विषय वस्तु का कोई अन्य उत्पादक नहीं है और इसलिए, यदि याचिकाकर्ता को अयोग्य माना जाता है, तो कोई घरेलू उद्योग नहीं है जो निवारण की मांग कर सके। ऐसी स्थिति का तात्पर्य हानिकारक डंपिंग को जारी रखने की अनुमति देना होगा।
d) जांच से घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण डंपिंग मार्जिन, क्षति मार्जिन और क्षति का पता चला है।

e) रूसी उत्पादक भारत में डंपिंग के अनुचित व्यापार व्यवहार में लिप्त है और आवेदक ने रूसी उत्पादक के खिलाफ भी उसी तरह से उपाय करने की मांग की है जैसे अन्य संबद्ध देशों में अन्य उत्पादकों के लिए किया गया है।

केवल यह तथ्य कि आवेदक रूसी उत्पादक को उत्पाद का निर्यात करने से रोकने में सक्षम नहीं है, इसका तात्पर्य यह है कि आवेदक विदेशी उत्पादक को भारतीय बाजार में डंपिंग से रोकने में किसी भी नियंत्रण या विवेक का प्रयोग करने में असमर्थ है।

f) घरेलू उद्योग शुरू हुआ 2019-20 में उत्पाद की महत्वपूर्ण मात्रा का उत्पादन किया और जांच की अवधि से ठीक पहले वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा की। उत्पादन शुरू करने और वाणिज्यिक उत्पादन घोषित करने के बीच महत्वपूर्ण समय अंतराल को घरेलू उद्योग द्वारा देश में होने वाली डंपिंग के आधार पर उचित ठहराया गया है। दूसरे शब्दों में, देश में उत्पाद की डंपिंग इतनी अधिक हो गई है कि इसने घरेलू उद्योग को उत्पादन और बिक्री की अपनी तकनीकी क्षमता पूरी तरह से स्थापित करने के बाद भी काफी लंबी अवधि के लिए वाणिज्यिक उत्पादन घोषित करने से रोक दिया है।

g) प्राधिकारी ने कथित रूप से संबंधित इकाई द्वारा निर्यात पर एंटी-डंपिंग शुल्क की सिफारिश की थी; और इसलिए, इस सिफारिश से इस आधार पर विरोधी इच्छुक पार्टियों के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा कि याचिकाकर्ता और विदेशी निर्यातकों में से एक संभावित रूप से संबंधित हैं।

h) रूसी निर्माता ने भाग लिया है और एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने का विरोध किया है जो याचिकाकर्ता और रूसी निर्माता के परस्पर विरोधी व्यावसायिक हितों को दर्शाता है, इस प्रकार किसी भी टकराव या सामूहिक कार्रवाई की अनुपस्थिति को दर्शाता है।

i) रूस से आयात की कीमत अन्य विषय देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में थी। रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है जो किसी टकराव या सामूहिक कार्रवाई की उपस्थिति को दर्शाता है। रूसी निर्माता ने पाटनरोधी शुल्क लगाने में भाग लिया है और इसका विरोध किया है जो याचिकाकर्ता और रूसी उत्पादक के परस्पर विरोधी व्यावसायिक हितों को दर्शाता है।

47. बहुत ही विचित्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी का मानना है कि याचिकाकर्ता को अयोग्य घरेलू उद्योग मानने का कोई आधार नहीं है।

48. उपरोक्त के मद्देनजर प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि आवेदक डंपिंग रोधी नियमों के नियम 2 (बी) के तहत परिभाषित घरेलू उद्योग है और आवेदन एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 5 (3) के अनुसार स्थिति सम्बन्धित अपेक्षाएं को पूरी करता है।

घ. <u>गोपनीयता</u>

घ.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

49. घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के संबंध में प्रारंभिक निर्धारण के बाद सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. सूचीबद्ध आंकड़े दिए बिना मालसूची से संबंधित समस्त आंकड़ों के गोपनीय होने का दावा किया गया है।

ii. यह दावा कि उसी निर्यातक ने विभिन्न कीमतों पर वही सामग्री आपूर्ति की है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अगोपनीय आंकड़े प्रदान नहीं किए गए हैं।

घ.2. <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

50. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. विभिन्न निर्यातकों द्वारा निर्यातों और विभिन्न आयातकों द्वारा आयातों से संबंधित आंकड़े गोपनीय संवेदनशील हैं। प्राधिकारी भागीदार निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर में दिए गए आंकड़ों पर भरोसा कर सकते हैं।

ii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत मालसूची के लिए सूचीबद्ध आंकड़े दर्शाए गए हैं।

घ.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

51. निर्यात आंकड़ों संबंधी गोपनीयता के दावों के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि विभिन्न कीमतों पर विभिन्न निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों से संबंधित आंकड़े गोपनीय आधार पर घरेलू उद्योग को दिए गए थे और इसलिए उनकी गोपनीयता का दावा सही था। तथापि, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रदत्त सूचना पर भरोसा नहीं किया है। प्राधिकारी ने भागीदार निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है। चूंकि प्राधिकारी ने आवेदक के आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया है। इसलिए गोपनीयता के ऐसे दावे से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के प्रति कोई पक्षपात नहीं हुआ है।

52. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना 10/2018 की अपेक्षा के अनुसार क्षति अवधि में औसत मालसूची के सूचीबद्ध आंकड़े दिए हैं।

ड. <u>विविध अनुरोध</u>

ड.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

53. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:

i. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत के निर्धारण और पाटनरोधी शुल्क की गणना की पद्धति का प्रकटन नहीं किया गया है।

ii. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने में प्राधिकारी पूर्वापेक्षा की पूर्ति करने में विफल रहे हैं जो जांच अवधि के दौरान पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के निर्धारण की है और आगे यह निर्धारण करना है कि क्षति अवधि के बाद जांच की प्रक्रिया में क्षति हुई है।

iii. प्राधिकारी प्रारंभिक निर्धारण के लिए कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहे हैं जो नियम 12 का घोर उल्लंघन है।

iv. प्रारंभिक निर्धारण जांच शुरूआत के 10 महीने बाद देरी का कोई कारण बताए बिना जारी किया गया है। अत: प्रारंभिक जांच परिणाम को अधिनियम की धारा 9क में यथापरिकल्पित शीघ्रता से जारी किया नहीं माना जा सकता है।

v. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने से पहले सुनवाई करने में विफलता निर्धारित प्रक्रिया का घोर उल्लंघन है।

ड.2. <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

54. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के बाद घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए है:

i. प्राधिकारी पर प्रारंभिक जांच परिणाम के स्तर पर पाटन मार्जिन की गणना बताने का कोई दायित्व नहीं है। चाहें क्षतिरहित कीमत की गणना किस स्तर पर शेयर न की गई हो।

ii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की इस दलील के विपरीत प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम में भारी पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध को सिद्ध किया है।

iii. पाटनरोधी शुल्क लगाने की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि घरेलू उद्योग को संबंध देश से आयातों के कारण भारी क्षति हो रही है।

iv. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने में देरी निर्यातकों द्वारा दिए गए अनेक समय विस्तार की वजह से और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा समय प्रतिबंधित टिप्पणियों के कारण हुई है।

v. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने से पहले मौखिक सुनवाई करने का कोई अधिदेश नहीं है।

ड.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

55. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य और भागीदार निर्यातकों द्वारा निर्धारित निवल निर्यात कीमत प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद निर्यातकों के साथ शेयर किए गए थे।

56. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करते समय प्राधिकारी ने पाटन, क्षति की मात्रा और कारणात्मक संबंध की जांच की हैं। इन खातों की विस्तृत जांच प्रारंभिक जांच परिणाम में की गई है। प्राधिकारी ने नोट किया कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को भारी क्षति हुई है और बाजार में एक नया प्रवेशकर्ता होने के कारण इतनी क्षति क्षति से संयंत्र अव्यवहार्य हो सकता है। चूंकि भारत में संबद्ध वस्तु का केवल एक उत्पादक है। इसलिए यह अनिवार्य है कि संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन को भारत में बनाए रखा जाए और ऐसे उत्पादकों को

समान अवसर दिए जाएं और पाटन की अनुचित व्यापार प्रथा से उनका उपचार किया जाए। यह नोट किया गया है कि आवेदक ने आवेदन में ही अंतरिम शुल्क के लिए अनुरोध किया था और उसके लिए कारण बताए थे। प्रारंभिक जांच परिणाम की विषय वस्तु स्वयं अंतरिम उपायों के लिए पर्याप्त औचित्य को सिद्ध करती है। तदनुसार, प्राधिकारी ने अनंतिम शुल्क लागू करने की सिफारिश की थी।

57. प्रारंभिक जांच परिणाम देरी से जारी करने संबंधी अनुरोध के बारे में और प्रारंभिक जांच परिणाम से पहले सुनवाई नहीं करने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रारंभिक जांच परिणाम से पहले सुनवाई करने के लिए कानून में कोई अधिदेश नहीं है और न ही प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के लिए कोई समय सीमा है। प्राधिकारी ने इस निष्कर्ष से पहले विस्तृत विश्लेषण और जांच की है कि वर्तमान जांच में प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने की आवश्यकता है।

च. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन</u>

च.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

58. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. पाटन मार्जिन निर्धारित करते समय प्राधिकारी ने रूसी उत्पादकों के दावे पर व्यापार के स्तर के लिए कोई समायोजन नहीं किया है।

ii. प्राधिकारी को घरेलू तथा निर्यात दोनों बिक्रियों के लिए मध्यवर्तियों हेतु रूसी उत्पादक द्वारा प्रस्तावित कीमत के आधार पर निर्यात कीमत और सामान्य कीमत पर विचार करना चाहिए।

iii. पीजेएससी सिबुर होल्डिंग, पीजेएससी निज़नेकमस्कनेफ्तेखिम और सिबुर इंटरनेशनल ने कीमत वचनबद्धता का प्रस्ताव किया है।

iv. रूसी उत्पादकों द्वारा प्रस्तावित कीमत वचनबद्धता को स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि रूसी उत्पादक ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, सहयोगी के रूप में

उत्पादक के दर्जे संबंधी निर्णय स्वीकृति या अस्वीकृति से पहले दिया जाना चाहिए। कीमत वचनबद्धता प्रारंभिक जांच परिणाम पर आधारित नहीं हो सकती है, नियम 15 के अंतर्गत वचनबद्धता नहीं दी गई है और उसकी निगरानी करना अव्यावहारिक है तथा इससे प्रवचंना होगी।

v. रूस से सभी सौदों और एनकेएनएच तथा निर्यातकों के बीच करारों की पत्तन पर लदाई का सत्यापन करना चाहिए। चूंकि केवल ट्रिगॉन ने भागीदारी की है और केवल 15 प्रतिशत आयात निर्यातित हुआ है इसलिए एनकेएनएच को सहयोगी नहीं माना जाना चाहिए।

vi ईएमएपीपीएल और केम्या ईएमएपीपीएल और केम्या के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु कंपनीवार लाभ जोड़ना कानून और प्राधिकारी की पूर्ववर्ती प्रक्रिया के विरूद्ध है। ईएमएपीपीएल और केम्या विचाराधीन उत्पाद से इतर उत्पादों में भी शामिल है।

च.2. <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

59. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध निम्नानुसार हैं:

i. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत व्यापार के स्तर संबंधी अनुरोध हितबद्ध पक्षकारों के साथ शेयर किए गए हैं। घरेलू उद्योग को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना ऐसे समायोजन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा।

ii. प्राधिकारी को अपनी पूर्ववर्ती प्रक्रिया के आधार पर निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य पर विचार करना चाहिए।

iii. भागीदार उत्पादकों द्वारा वास्तव में अर्जित लाभ की मार्जिन पर विचार करना चाहिए।

iv. निर्यातक की कीमत वचनबद्धता को केवल यह सुनिश्चित करने के बाद स्वीकार किया जाए कि विभिन्न कच्चे स्तरों पर गलत कीमत निर्धारण नहीं होना चाहिए

इसके लिए किसी समायोजक (उदाहरण के लिए स्थिर संख्या x (95 डॉलर - क्रूड) अपेक्षित है या अन्य कोई उपयुक्त तरीका) अपेक्षित होगा जिसे प्रस्तावित कीमत फारमूले में जोड़ा जाना है जिसमें क्रूड मल्टीप्लायर शामिल है। निर्यातक के देश में और भारत में ऊर्जा कीमत में अंतर के प्रभाव पर भी विचार करना चाहिए।

च.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

60. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) *व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम* (6) *के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा*

(ii) *जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:*

(*क*) *समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा* (6) *के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा*

(*ख*) *उपधारा* (6) *के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:*

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

61. चूंकि एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर और अल-जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी, सऊदी अरब की घरेलू बिक्रियां नहीं हैं। इसलिए प्राधिकारी ने बिक्री, सामान्य और

प्रशासनिक व्यय तथा लाभों के लिए तर्कसंगत योग के साथ कारखानाद्वार उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इस प्रयोजनार्थ लाभ मार्जिन पर कंपनी के लाभ पर समग्र रूप से विचार किया गया है।

62. इन निर्यातकों ने प्राधिकारी द्वारा लागू लाभ मार्जिन का विरोध किया है और यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी को रचनात्मक सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्राधिकारी की प्रक्रिया के संगत प्रक्रिया अपनानी चाहिए। इस दावे की जांच की गई है। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 4 में निम्नानुसार उल्लेख है:

''4. प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत तथा अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) में यथा उल्लिखित लाभ की राशि निर्यातक की समान वस्तु या जांच के अधीन उत्पादक की व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में उत्पादन और बिक्री के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित होगी। जब ऐसी राशि इस आधार पर निर्धारित नहीं हो सकती हो तो राशि को निम्नलिखित आधार पर निर्धारित किया जाए:

(i) वस्तु की समान सामान्य श्रेणी के उद्गम के देश के घरेलू बाजार में उत्पादन और बिक्री के संबंध में जांच के अधीन उत्पादक या निर्यातक द्वारा वहन की गई या प्राप्त वास्तविक राशि ।

(ii) उद्गम के देश के घरेलू बाजार में समान वस्तु के उत्पादन और बिक्री के संबंध में जांच के अधीन अन्य निर्यातकों या उत्पादकों द्वारा वहन की गई या प्राप्त वास्तविक राशियों का भारित औसत; या

*(iii) **<u>कोई अन्य तर्कसंगत पद्धति,</u>** बशर्ते कि इस प्रकार निर्धारित लाभ की राशि उद्गम के देश के घरेलू बाजार में समान सामान्य श्रेणी के उत्पादों की बिक्री पर निर्यातकों या उत्पादकों द्वारा सामान्यत: प्राप्त लाभ से अधिक नहीं होगी।*

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के अंतर्गत विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रावधानों में कोई क्रम नहीं है। यह भी नोट किया जाता है कि उक्त निर्यातकों ने वस्तु की समान सामान्य श्रेणी के उद्गम के देश के घरेलू बाजार में उत्पादन के बिक्री के संबंध में खर्च या प्राप्त की गई वास्तविक राशि के आधार पर या अन्य निर्यातकों द्वारा खर्च या प्राप्त की गई वास्तविक राशि के भारित औसत के आधार पर लाभ का दावा भी नहीं किया है या उद्गम के देश के

घरेलू बाजार में समान वस्तु के उत्पादन और बिक्री के संबंध में जांच के अधीन उत्पादकों के अनुसार दावा नहीं किया है।

64. तथापि, इस मामले के वास्तविक मैट्रिक्स और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि लाभ के निर्धारण के संबंध में ऊपर उल्लिखित प्रावधानों में से किसी के बारे में कोई सूचना रिकार्ड में नहीं है और निर्यातक ने तर्क दिया है कि प्राधिकारी ने व्यापारी गतिविधियों पर भी लाभ को शामिल किया है। प्राधिकारी वर्तमान मामले के बिल्कुल विचित्र तथ्यों और परिस्थितियों में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए दावे के अनुसार तर्कसंगत लाभ को अपनाना उचित समझते हैं। तदनुसार, दोनों सहयोगी निर्यातकों - सिंगापुर और सऊदी से निर्यातक के लिए तर्कसंगत लाभ प्रतिशत पर प्रकटन विवरण के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है।

65. प्राधिकारी ने तीन उत्पादकों अल-जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी ("केमिया"), एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड और एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सॉल्यूशंस कंपनी द्वारा दावा की गई उत्पादन लागत को स्वीकार नहीं किया है। उत्पादन लागत को अब प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार परिकलित किया गया है।

66. अल-जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी ("केमिया"), एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड और एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सॉल्यूशंस कंपनी के लिए संशोधित सामान्य मूल्य निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

67. सूचना के सत्यापन के प्रक्रिया के दौरान रूस के उत्पादक / निर्यातक द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर से यह पाया गया कि उत्पादक ने एक से अधिक निर्यातक को सामग्री दी है। उत्पादक से निर्यातक को आपूर्ति की गई मात्रा में से कुछ मात्रा भारत को निर्यातित की गई है। तथापि, यह पाया गया है कि ये वस्तुएं अंतत: दो निर्यातकों द्वारा भारत को निर्यात की गई हैं, इनमें से एक ने उत्तर नहीं दिया है। अत: उत्तर की विस्तार से जांच की गई थी।

68. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एनकेएनएच ने सिबुर होल्डिंग्स और सिबुर इंटरनेशनल जीएमबीएच को भारत को निर्यात के लिए *** एमटी सामग्री की बिक्री की सूचना दी है। इन दोनों कंपनियों ने वर्तमान जांच में उत्तर दायर किया है। सिबुर होल्डिंग्स ने भारत को निर्यात के लिए सिबुर इंटरनेशनल जीएमबीएच को *** एमटी

की बिक्री की अतिरिक्त सूचना दी है। सिबुर इंटरनेशनल जीएमबीएच ने ट्रिगॉन गल्फ एफजेडसीओ*** एमटी और ट्रिगॉन इंटरनेशनल एस (प्राइवेट) लिमिटेड के *** एमटी की बिक्री की। भारत को निर्यात के लिए सूचना दी है। यद्यपि ट्रिगॉन गल्फ एफजेडसीओ ने उत्तर प्रस्तुत किया है, परंतु ट्रिगॉन इंटरनेशनल एस (प्राइवेट) लिमिटेड ने प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं दिया है। अत: यह देखा गया है कि उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली का उत्तर लगभग *** एमटी के लिए अधूरा है और कुल निर्यातों के *** प्रतिशत के लिए उत्तर नहीं दिया गया है। अत: प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि उत्पादक और निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली का उत्तर अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए बिल्कुल अधूरा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति में जहां भारत को निर्यात के संबंध में पूरी सूचना रिकार्ड में नहीं है और जब संबंधित निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है, वहां प्राधिकारी संबंधित उत्पादक के लिए बिल्कल सही निर्यात कीमत निर्धारित करने की स्थिति में नहीं हैं। प्राधिकारी की यह स्थापित प्रक्रिया रही हैं कि प्राधिकारी केवल तब निर्यात कीमत निर्धारित करते हैं जब संबंधित उत्पादक और निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर देते हैं। चूंकि मूल्य श्रृंख्ला पूर्ण नहीं है। इसलिए प्राधिकारी उत्पादक के लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने में असमर्थ हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ने एनकेएनएच के लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया है। यह भी नोट किया जाए कि रूस से केवल एक ज्ञात उत्पादक हैं और इसलिए भारत में संपूर्ण आयात एनकेएनएच द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात हैं। तदनुसार, पाटन मार्जिन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

69. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रारंभिक जांच परिणाम जारी के बाद एनकेएनएच ने प्राधिकारी को एक कीमत वचनबद्धता दी है और एनकेएनएच के संबंध में जांच को बंद करने का अनुरोध किया है। एनकेएनएच ने प्राधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में उक्त वचनबद्धता दी है और वचनबद्धता को पूरा करने के लिए समय-समय पर संगत सूचना देने पर सहमत हुआ है और संगत आंकड़े सत्यापित करने की अनुमति दी है। निर्यातक ने यह भी स्वीकार किया है कि कीमत वचनबद्धता के संभावित उल्लंघन के मामले में प्राधिकारी अनंतिम शुल्क लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। निर्यातक ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इस वचनबद्धता का अगोपनीय अंश (एनसीवी) दिया है। घरेलू उद्योग ने कीमत वचनबद्धता की स्वीकृति के लिए सशर्त सहमति दी है जबकि एक्सोनमोबिल ने इस कीमत वचनबद्धता को स्वीकार करने का विरोध किया है। घरेलू उद्योग ने टिप्पणी की है कि वचनबद्धता को तब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक वह कच्ची सामग्री और ऊर्जा कीमतों के लिए समुचित रूप से सूचीबद्ध न हो, एक्सोनमोबिल ने इस आधार पर वचनबद्धता पर आपत्ति की है कि कीमत वचनबद्धता का प्रस्ताव अत्यधिक गोपनीय है जो गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की तर्कसंगत समझ नहीं देता है। प्रश्नावली का उत्तर स्वयं में बिल्कुल अधूरा है। प्राधिकारी को पहले यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या कंपनी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पूर्ण और अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए पर्याप्त है। संबंधित निर्यातक ने कीमत वचबद्धता नहीं दी है और उत्पादक की वचनबद्धता नियम 15 के अंतर्गत नहीं दी गई है, यह वचनबद्धता प्रारंभिक जांच परिणाम में निर्धारित पाटन मार्जिन पर आधारित नहीं हो सकती है।

रूसी उत्पादक / निर्यातक द्वारा दी गई पद्धति गलत है। कीमत वचनबद्धता निगरानी के लिए अव्यवहार्य है और इसलिए अस्वीकृत की जानी चाहिए, क्योंकि इससे प्रवचंना होगी।

70. प्राधिकारी ने एनकेएनएच द्वारा प्रस्तुत कीमत वचनबद्धता और हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच की है । यह नोट किया गया है कि चूंकि कंपनी को अलग पाटन मार्जिन नहीं दिया गया है इसलिए कीमत वचनबद्धता को स्वीकार करना उचित नहीं होगा। इसके अलावा, एनकेएनएच ने अपनी वचनबद्धता के सार्वजनिक अंश में पर्याप्त प्रकटन नहीं है। इस प्रकार अन्य हितबद्ध पक्षकार अपने हितों का बचाव नहीं कर सकते हैं। यह भी नोट किया गया है कि ऊर्जा लागत का प्रमुख तत्व है जैसा घरेलू उद्योग ने बताया है और इसलिए वचनबद्धता को तब तक स्वीकार करना उचित नहीं होगा जब तक वह ऊर्जा लागत में सूचीबद्ध न हो। इसके मद्देनजर प्राधिकारी निर्यातक द्वारा प्रस्तुत कीमत वचनबद्धता को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं।

71. वर्तमान जांच में निर्धारित सामाल्य मूलय, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:

<u>पाटन मार्जिन तालिका</u>

उत्पादक	**सामान्य मूल्य (यूएसडी/एमटी)**	**निर्यात कीमत (यूएसडी/एमटी)**	**पाटन मार्जिन (यूएसडी/एमटी)**	**पाटन मार्जिन (%)**	**पाटन मार्जिन (रेंज)**
सऊदी अरब					
अल-जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी ("केमिया")	***	***	***	***	30-40%
कोई अन्य	***	***	***	***	35-45%
सिंगापुर					
एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड/ एक्सॉनमोबिल केमिकल एशिया पैसिफिक	***	***	***	***	70-80%
कोई अन्य	***	***	***	***	85-95%
संयुक्त राज्य अमेरिका					
एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सल्यूशंस कंपनी	***	***	***	***	35-45%

कोई अन्य	***	***	***	***	40-50%
रूस					
कोई अन्य	***	***	***	***	60-70%
चीन					
कोई	***	***	***	***	10-20%

छ. <u>क्षति का आकलन और कारणात्मक संबंध</u>

छ.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

72. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद उत्पादकों / निर्यातकों / अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि नहीं हुई है और आयात घरेलू उत्पाद की कीमत को प्रभावित नहीं करते हैं। इनमें चीन - जीओईएस में यथा निर्णित कारणात्मक विश्लेषण के लिए पर्याप्त आधार होगा। संबद्ध आयातों की मात्रा या कीमत आवेदक को प्रभावित नहीं करती है। क्षति विश्लेषण को कोई आधार नहीं है क्योंकि आयातों में गिरावट आई है और वे आवेदक की बिक्री कीमत से उच्चतर कीमत पर हुए हैं।

ii. वास्तविक क्षति और वास्तविक मंदी को जोड़ा नहीं जा सकता है। चूंकि उत्पादक एक स्थापित उद्योग है इसलिए उसे आयातों का स्थान लेने वाला नया उद्योग नहीं माना जा सकता है।

iii. रूस से आयात क्षति विश्लेषण के लिए गैर संचयित होने चाहिए, क्योंकि रूस से आयातों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियां अलग हैं क्योंकि आवेदक के प्रमुख रूसी उत्पादक / निर्यातक से संबंधित है, रूसी निर्यातक द्वारा प्रभारित कीमत पर गड़बड़ी है क्योंकि वह एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था है। रूस की आयात कीमत संबद्ध देशों में से सबसे कम है।

iv. प्रयोक्ताओं ने उत्पाद की घरेलू खरीद बढ़ा दी है और आयात कुल खरीद का केवल 20-30 प्रतिशत हिस्सा हैं।

v. यह अनुरोध कि घरेलू उद्योग एक नया प्रवेशक है और उसे कम कीमत पर आयातों की मात्रा से अवश्य प्रतिस्पर्धा करनी होगी, गलत है क्योंकि घरेलू उद्योग की मात्रा बढ़ी है।

vi आयातों की मात्रा अधिक हो सकती है क्योंकि विशिष्ट ग्रेड घरेलू उद्योग के पास नहीं है। आयात मात्राओं में मांग में वृद्धि की तुलना में गिरावट आई है और उत्पादन में मात्रात्मक प्रभाव की कमी है।

vii. गैर पाटित और इसलिए गैर क्षतिकारी आयात को क्षति विश्लेषण से बाहर रखना चाहिए।

viii. आवेदक को रूसी कीमतों का मुकाबला करना पड़ा था क्योंकि उसके द्वारा उत्पादित उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से स्थापनीय था जिसे समान प्रौद्योगिकी की प्रयोग से उत्पादित और समान उपभोक्ताओं को बेचा जाता है।

ix. चूंकि कीमत कटौती ऋणात्मक है इसलिए आवेदक आयातों के स्तर पर अपनी कीमतें बढ़ा सकता था और घाटा कम कर सकता था। ऐसे सौदे जिनमें कीमत कटौती ऋणात्मक है, नकारे नहीं जा सकते हैं क्योंकि कीमत कटौती का समग्र आधार पर आकलन किया जाना चाहिए।

x. यह दावा कि कटौती ऋणात्मक है और असंबद्ध कंपनियों से उच्चतर बिल के सौदों के कारण है, गलत है। कटौती ऋणात्मक है क्योंकि आवेदक के पास आयातों में कटौती करने और बाजार हिस्सा प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतें थीं।

xi. यह दावा कि समान निर्यातक ने विभिन्न कीमतों पर एक ही सामग्री की आपूर्ति की है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अगोपनीय आंकड़े नहीं दिए गए हैं। कीमत में अंतर आर्डर / पोत लदान के समय कच्ची सामग्री की बाजार कीमत के कारण हो सकते हैं। बाजार की गतिशीलता और कच्चे तेल के लिए मांग - आपूर्ति की स्थिति के कारण हो सकते हैं जो रूस - यूक्रेन युद्ध के कारण प्रभावित हुई थीं या उस देश / संयंत्र के कारण जहां से उत्पाद का नौवहन हुआ है।

xii. वर्ष 2019-20 को वास्तविक क्षति का वर्तमान मामला माना जाना चाहिए। आवेदक ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया और 2021 में इष्टतम परीक्षण प्रचालन प्राप्त किया और केवल कोविड-19 के कारण वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा में देरी हुई।

xiii. यद्यपि प्राधिकारी ने उल्लेख किया है कि आधार वर्ष से तुलना अनुचित है। तथापि, उन्होंने घाटे, बंदी, विनिर्देशन से अलग उत्पादन की मात्रा, बाजार हिस्सा और आधार वर्ष से समतुल्य का बिंदु जैसे मापदंडों की जांच की है।

xiv. कोई कीमत ह्रास / न्यूनीकरण नहीं हुआ है। आधार वर्ष में असामान्य लागत और कीमत का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। यदि गैर प्राइम सामग्री का उत्पादन उच्च होता तो लागत उच्च नहीं हो सकती है। आधार वर्ष की तुलना उचित है क्योंकि 2020-21 कोविड-19 के कारण प्रभावित था और इस अवधि के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट आई।

xv. यदि 2020-21 पर भी विचार किया जाए तो कोई कीमत ह्रास / न्यूनीकरण नहीं हुआ है क्योंकि पहुंच कीमत में बिक्री कीमत की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है और 2020-21 की तुलना में जांच अवधि में बिक्री लागत में वृद्धि हुई है।

xvi. घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत की तुलना कच्ची सामग्री की लागत से करनी चाहिए जो तिमाहीवार आधार पर कुल लागत का 70 प्रतिशत हिस्सा है।

xvii. मांग का आकलन आबद्ध खपत को अलग से शामिल करके और हटाकर करना चाहिए जो एक सामान्य प्रक्रिया है। केवल आईआईआर की वाणिज्यिक मात्रा में बेची गई मात्रा जो बाजार में बेची गई थी और आयातित उत्पादों से प्रतिस्पर्धा कर रही थी, को क्षति विश्लेषण के लिए ध्यान में देना चाहिए।

xviii. आरएसईपीएल ने 75,900 एमटी घरेलू बिक्री का उत्पादन किया है और एचआईआईआर के लिए 22,260 एमटी का उत्पादन किया है। आबद्ध खपत की लागत / व्यय को क्षति विश्लेषण से हटाया जाना चाहिए।

xix. उपयोग कम हो सकता है, क्योंकि एक नए प्रवेशकर्ता के रूप में घरेलू उद्योग को लंबी अनुमोदन प्रक्रिया का सामना करना पड़ा।

xx. विनिर्देशन से अलग उत्पाद की आपूर्ति से बिक्री में कटौती हुई है क्योंकि गैर विनिर्देशन उत्पादों की मांग का अभाव है और उन पर कम लाभ मिलता है।

xxi. आवेदक के सामने हुए शटडाउटन आईआईआर और एचआईआईआर के उत्पादन में समेकन की वजह से हुए हैं। संभावित तकनीकी मुद्दे, उत्पादन अनुमोदन, मांग - आपूर्ति परिदृश्य और 2022-23 में कोविड के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

xxii. घरेलू बिक्रियों के लिए उत्पादन मांग से अधिक है और इसलिए यह स्वकारित क्षति है।

xxiii. आर्थिक मापदंडों की तुलना पूर्ववर्ती वर्ष के प्रायोगिक प्रचालन से करना गुमराह करने वाला है क्योंकि इससे कंपनी के मानक और निरंतर वाणिज्यिक प्रचालन का सही प्रतिनिधित्व नहीं होता है। प्रायोगिक और वास्तविक वाणिज्यिक में विसंगति, बाजार आयामों, बाधित उत्पादन पैमानों और ट्रायल रन के दौरान नियंत्रित दशाओं के कारण सभी परिस्थितियों में होगी। घरेलू उद्योग के दावे के विपरीत उसने 1 अप्रैल 2022 को वाणिज्यिक प्रचालन शुरू किया है।

xxiv. 2019-20 में बिक्री लागत सामान्य थी परंतु महामारी के कारण उसके बाद कम हो गई। बिक्री लागत जांच अवधि के दौरान पुन: सामान्य हो गई जो कच्चे तेल की कीमत के अनुसार था। लागत पर पाटन से प्रभाव नहीं पड़ा है।

xxv. परियोजना रिपोर्ट से तुलना गलत है क्योंकि इसे केवल वास्तविक मंदी के मामलों में किया गया है और परियोजना की योजना 2010 में बनी थी और वैश्विक बाजारों में तब से परिवर्तन हुआ है।

xxvi. घरेलू उद्योग के अनुमान और कीमत प्रत्याशा 2010-11 से परियोजना रिपोर्ट पर आधारित थी जिसका महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार माहौल परिवर्तनों विशेष रूप से अप्रत्याशित कोविड महामारी के आलोक में पुन: मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

xxvii. आवेदक ने 2013 से आईआईआर की कीमत के स्रोत को शेयर नहीं किया है। कीमतें सिद्ध करती हैं कि परियोजना रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि नई वैश्विक क्षमताओं की शुरूआत के कारण 2011 में परिदृश्य बदल गया था।

xxviii. वैश्विक और भारतीय दोनों कीमतों ने 2010 और 2022 के बीच कीमतों के समान रूझान का पालन किया इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक के उत्पादन शुरू करने के कारण निर्यातकों ने भारत में पाटन शुरू कर दिया।

xxix. यद्यपि आवेदक ने बताया है कि उसे शेयरधारकों द्वारा बताई गई चिंताओं के कारण संबद्ध आयातों की वजह से परियोजना रिपोर्ट को संशोधित करने पर बाध्य होना पड़ा था। फिर भी प्राधिकारी को शेयरधारकों का सत्यापन करना चाहिए और उनके बीच पत्राचार की जांच करनी चाहिए।

xxx. आवेदक की लाभपद्रता में सुधार हुआ है। प्राधिकारी को यह विचार करना चाहिए कि मूल्यह्रास और ब्याज लागत आरंभिक चरण में अधिक होती है जिससे विशेष रूप से लगभग 50,000 मिलियन के निवेश के साथ घाटा होता है।

xxxi. निर्यात में आवेदक के घाटे गैर प्राइम ग्रेड के निर्यात के कारण हुए थे।

xxxii. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रभावित नहीं हुई थी क्योंकि आवेदक का उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है

xxxiii. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रभावित नहीं हुई थी क्योंकि आवेदक का उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है और यह भारत और रूस के दो सबसे बड़े शेयरधारक समूहों का संयुक्त उद्यम है।

xxxiv. यह संभव है कि घरेलू उद्योग छूट पर या नि:शुल्क अपने प्रायोगिक उत्पादन की आपूर्ति कर रहा था जिससे घाटा हुआ।

xxxv. इस अवधि के दौरान घाटा इसमें घरेलू उद्योग वाणिज्यिक मात्रा में उत्पादन नहीं कर रहा था, अनुमोदित घरेलू आपूर्ति स्रोत की उपलब्धता के कारण हुआ है।

xxxvi. चूंकि मार्च 2022 से पूंजीगत ब्याज को चुकाना शुरू हुआ है इसलिए यह घाटे का एक कारण होता है।

xxxvii. स्टार्ट-अप लागतें स्टार्ट-अप खर्च तक सीमित नहीं होती है परंतु इसमें उच्च मूल्यह्रास और ब्याज लागत शामिल होती है जिससे घरेलू उद्योग ने चुकाया होगा जो विचाराधीन उत्पाद के स्थापित निर्यातकों के मामले में नहीं हो सकता है।

xxxviii. कच्ची सामग्रियों, सुविधाओं और उत्पादन क्षमताओं को ईष्टतम बनाना घरेलू उद्योग के वाणिज्यिक प्रचालन के दौरान संपूर्ण क्षति अवधि में तिमाही वार आधार पर किया जाना चाहिए।

xxxix. आबद्ध खपत पर आवेदक को क्षति एचआईआईआर के गैर अनुमोदन के कारण हुई है। ऐसी क्षति को अलग रखना चाहिए और गैर आरोपण कारकों में शामिल करना चाहिए।

xl. क्षति सीमित उत्पाद रेंज और आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद की गुणवत्ता, वैश्विक अत्यधिक क्षमता के कारण हुई है जिसमें वैश्विक कीमतों में गिरावट आई है, निरंतर उत्पाद रूकावटें और कोविड की वजह से मांग में कमी भी इसका कारण है।

xli. घरेलू उद्योग को क्षति एयर रेटिंग में बताए गए अनुसार कोविड के कारण आईआईआर संयंत्र के बंद होने की वजह से हुई है और वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा में देरी उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया की स्थापना की वजह से हुई थी।

xlii. प्राधिकारी को अलाभकारी निर्यातों तथा घरेलू उद्योग के वित्तीय परिणामों पर कोविड से संबंधित प्रतिबंधों के प्रभाव का विश्लेषण करना चाहिए।

xliii. स्टार्ट-अप प्रचालनों के कारण उच्च स्थिर लागतों को 22 प्रतिशत की क्षतिरहित कीमत आय के निर्धारण के लिए मानकीकृत करना चाहिए जो 3400 - 3500 डॉलर प्रति एमटी की क्षतिरहित कीमत दर्शाएगा जो किसी बाजार में ऐसी कीमत नहीं है और प्राधिकारी को भागीदारी उत्पादकों द्वारा अर्जित वास्तविक आय का सत्यापन करना चाहिए।

xliv. क्षतिरहित कीमत की गणना में स्टार्ट-अप लागतों और अन्य लागतों से संबंधित आंतरिक अक्षमताओं के लिए समायोजन करना चाहिए।

xlv. नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत की आय पर विचार करना अनावश्यक है क्योंकि घरेलू उद्योग ने ऐसी उच्च आय को सिद्ध करने का कोई साक्ष्य नहीं दिया है। विशेष रूप से जबकि उद्योग ने इन वर्षों के दौरान लगभग नगण्य आय दर्ज की है। जबकि वैश्विक रूप से इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और मेसर्स ब्रिज स्टोन टायर मैन्युफैक्चरिंग बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सेस्टेट ने माना है कि आय उद्योग विशिष्ट होनी चाहिए और ऐतिहासिक आय के क्रम में होना चाहिए।

xlvi. यद्यपि प्राधिकारी ने बताया है कि घरेलू उद्योग 43 महीनों से प्रचालन में रहने के बावजूद लागत वसूलने में भी सक्षम नहीं रहा है। तथापि घरेलू उद्योग वाणिज्यिक प्रचालन में केवल 13 महीनों से है।

xlvii. आवेदक आरआईएल से अंतरण कीमत पर एचपी1बी खरीदता है। एचपी1बी की उत्पादन में मेथेनाल की रिकवरी होती है जिसे अन्य उत्पादों के लिए आरआईएल द्वारा आबद्ध रूप से प्रयोग किया जा सकता है। यदि रिकवरी में अंतरण कीमत शामिल नहीं होती है तो आरआईएल बढ़ी हुई कीमत पर आवेदक को बिक्री कर रहा है जिसके कारण आवेदक को घाटे हो सकते है।

छ.2. <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

73. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि रूस के आयात अन्य आयातों और भारतीय उत्पाद से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जिससे आयातों का गैर संचयन हो सकता है। एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में रूस की स्थिति केवल सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए संगत है और न कि संचयी आकलन के लिए।

ii. यद्यपि वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा में आंतरिक नीतियों, लेखा परीक्षकों के विचार और राय, बाजार की स्थिति जैसे कारकों की वजह से समय लग सकता है परंतु वाणिज्यिक मात्राओं में उत्पादन केवल संयंत्र की स्थिरता पर निर्भर करता है।

iii. पाटन के परिणामस्वरूप बाजार में उपलब्ध कीमतों के कारण घरेलू उद्योग का संयंत्र अव्यवहार्य था और उसे बंद करना पड़ा।

iv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के विपरीत आईआईआर और एचआईआईआर संयंत्र के स्वतंत्र प्राचालन है और एचआईआईआर के स्वतंत्र प्रचालन के लिए आईआईआर संयंत्र को बंद करने की आवश्यकता नहीं है।

v. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने समान निर्यातक को एक ही समय एक ही वस्तु के लिए अलग-अलग कीमत पर निर्यात करने की प्रक्रिया को उचित नहीं बताया है। ऐसी कीमतों में अंतर के कारण घरेलू उद्योग को आयातों की न्यूनतम कीमत पर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी थी।

vi कीमत कटौती को बिक्री पश्चात बीजक छूटों के समायोजन के बाद विश्लेषित किया जाना चाहिए। एक्सोन मोबिल ने बताया है कि उसने उपभोक्ताओं को ऐसी छूटें ऑफर की हैं।

vii. संबद्ध देशों में संबंधित खरीद कंपनियां कम कीमतों पर खरीद रही हैं और भारत में कम कीमत पर संबंधित आयातकों को अंतरित कर रही हैं।

viii. केवल सौदा कटौती में घरेलू उद्योग की कीमतों पर विचार किया जाए। ऐसा करने पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है।

ix. संबंधित पक्षकार के व्यय, लाभ और बीजक पश्चात छूटों को समायोजित करने की आवश्यकता है ताकि कीमत कटौती और कीमत ह्रास / न्यूनीकरण को निर्धारित किया जा सके।

x. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के विपरीत घरेलू उद्योग को बाजार में पांव जमाने के लिए न्यूनतम आयात कीमतों का मुकाबला करना पड़ा था।

xi. कीमत ह्रास तब भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जब समायोजनों पर विचार न किया जाए क्योंकि 2020-21 की तुलना में जांच अवधि में बिक्री लागत में 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि बिक्री कीमत में 49 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

xii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तिमाही वार आधार पर लागत की तुलना का कोई कारण नहीं बताया है।

xiii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विरोधाभासी दावे किए हैं क्योंकि उन्होंने बताया है कि स्टार्ट-अप लागतों को समायोजित किया जाना चाहिए और 2019-20 की अनदेखी नहीं करनी चाहिए।

xiv. वर्ष 2019-20 में लागत असामान्य थी क्योंकि घरेलू उद्योग ने सितंबर, 2019 में उत्पादन शुरू किया और 2019-20 में लागत स्टार्ट-अप प्रचालनों से प्रभावित हुई थी और बिक्री कीमत गैर विनिर्देशन सामग्री की बिक्री से प्रभावित हुई थी।

xv. यदि 2019-20 पर विचार किया जाए तो गैर विनिर्देशन सामग्री के उच्च उत्पादन के संबंध में समायोजन करने की आवश्यकता है।

xvi. यद्यपि घरेलू उद्योग के प्रचालन के *** महीनों के भीतर *** प्रतिशत क्षमता उपयोग हासिल करने का अनुमान है। तथापि, उसने घाटे में बिक्री के बावजूद केवल *** प्रतिशत हासिल किया है।

xvii. घरेलू बिक्री के कारण क्षमता उपयोग और भी कम है।

xviii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत घरेलू बिक्री के लिए घरेलू उद्योग का उत्पादन भारत में मांग से कम है।

xix. घरेलू उद्योग अपने बाजार हिस्से को बढ़ाने में सक्षम रहा है क्योंकि उसने घाटे में बिक्री की है।

xx. भारत में एक मात्र उत्पादक भी भारत में पर्याप्त मांग होने पर भी अपनी लागत वसूल करने में असमर्थ है।

xxi. घरेलू उद्योग के घाटों में 2020-21 से वृद्धि हुई है। यद्यपि घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है।

xxii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विपरीत नियम लाभी की जांच का उल्लेख करते हैं और सकल लाभ / घाट पर विचार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

xxiii. ईबीआईडीटीए भी जिसमें उच्च मूल्यह्रास पर विचार नहीं किया जाता, ऋणात्मक है। चूंकि घरेलू उद्योग सीधी रेखा पद्धति से मूल्यह्रास दर्शाता है इसलिए मूल्यह्रास की लागत पूरी क्षति अवधि में स्थिर रही है।

xxiv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के विपरीत घरेलू उद्योग को क्षति नए उद्योग होने के कारण नहीं हो सकती है। कंपनी ने भारत और निर्यात बाजारों में *** एमटी संबद्ध वस्तु की संचयी बिक्री की है।

xxv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की दलील के विपरीत घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है क्योंकि नियोजित पूंजी पर आय में क्षति अवधि के दौरान 25 प्रतिशत की कमी आई है।

xxvi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने व्यापार के माहौल में परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिलाया है जिससे परियोजना रिपोर्ट गैर तुलनीय हो जाएगी। 2011 से लागत में वृद्धि होने के बाद भी यह उम्मीद थी कि कीमत में भी वृद्धि होगी। घरेलू उद्योग ने अनेक बार अपनी परियोजना रिपोर्ट को संशोधित किया है।

xxvii. घरेलू उद्योग को क्षति लंबित उपभोक्ताओं अनुमोदनों के कारण नहीं हुई है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने अनेक उपभोक्ताओं को भारी मात्रा में बिक्री की है।

xxviii. किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई साक्ष्य या 2022-23 में कोविड के प्रभाव की मात्रा नहीं बताई है। भारत में मांग में कोई कमी नहीं थी जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि मांग में वृद्धि हुई है।

xxix. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के विपरीत भारत में कोई अधिक क्षमता नहीं है और घरेलू उद्योग एक संपूर्ण उत्पाद रेंज का उत्पादन कर रहा है।

xxx. घरेलू उद्योग ने घरेलू प्रचालनों के संबंध में अलग से सूचना दी है इसलिए निर्यात बाजार में घाटे असंगत हैं।

xxxi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत आईआईआर की कीमतें पहले काफी अधिक थीं। कीमतों में 4000 यूएसडी से 2000 यूएसडी की गिरावट आई है और यह लागत में गिरावट से न्यायोचित नहीं होती है। इस प्रकार आईआईआर के तर्कसंगत रूप से लाभप्रद उत्पाद रहा है।

xxxii. हितबद्ध पक्षकारों ने 22 प्रतिशत से कम की आय पर विचार करने को उचित ठहराने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

xxxiii. आवेदक को पाटन के अभाव में प्राधिकारी द्वारा तर्कसंगत समझे गए अनुसार निवेश पर आय प्राप्त होती। अनुमानित वापसी भुगतान अवधि *** वर्ष थी।

xxxiv. उत्पाद की उच्च लाभप्रदता भी इस तथ्य से स्पष्ट है कि अन्य उत्पादकों में भारी क्षमताओं को जोड़ा है।

xxxv. उद्योग को वर्तमान में कम आय होना एक्सोन की अत्यधिक क्षमताओं के कारण है और उत्पादक को उच्चतर क्षमता उपयोग पर संयंत्र को चलाने की आवश्यकता है।

xxxvi. चूंकि वर्तमान मामला वास्तविक क्षति का है इसलिए घरेलू उद्योग की वास्तविक उत्पादन लागत पर क्षतिरहित कीमत के निर्धारण हेतु विचार करना होगा।

xxxvii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत घरेलू उद्योग को भी उत्पादन के ईष्टतम स्तर पर क्षति हुई होती।

xxxviii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत घरेलू उद्योग वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से मजबूत स्तर पर उत्पादन कर रहा था और आयातों के कारण उस पर थोड़ा दबाव पड़ा था। कीमतों में कटौती करने का कोई अन्य कारण नहीं था।

छ.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

74. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति - तर्कों की जांच की है और प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के बाद जांच की है। यहां प्राधिकारी द्वारा किया गया विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम में घरेलू उद्योग को हुई क्षति की पहले जांच की थी। वर्तमान प्रकटन विवरण में उस सीमा तक इसकी जांच नहीं की गई है, जहां तक प्रारंभिक जांच परिणाम में इसकी पहले ही जांच की गई है।

75. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति और उसकी स्थापना में वास्तविक बाधा एक साथ नहीं हो सकती है, प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:

क. कानून के अंतर्गत किसी मामले विशेष में क्षति के तीनों रूपों की एक साथ जांच करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वास्तव में यह मुद्दा कि क्या एक ही समय में क्षति के विभिन्न रूप मौजूद हो सकते हैं, पहले से भलिभांति निर्णित है। प्राधिकारी ने पिछली अनेक जांचों में और भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा के संदर्भ में वास्तविक क्षति और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे की जांच की है (घरेलू उद्योग का उल्लेख पीएचपीजी बेस, ड्रेन साल्ट आदि से संबंधित जांच में किया गया है) । इसके अलावा, प्राधिकारी ने एक ही जांच में वास्तविक क्षति और घरेलू उद्योग के विभिन्न घटकों के लिए घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा की जांच की है (घरेलू उद्योग का उल्लेख एसबीआर से संबंधित जांच में किया गया है) । किसी भी तरह कानून के सरल पठन से यह स्पष्ट हो जाता है कि नियमों में यह विनिर्दिष्ट नहीं है कि किसी एक समय पर क्षति का एक प्रकार मौजूद रह सकता है और न ही ऐसी किसी व्यवस्था पर विशेष रूप से विभिन्न घरेलू उत्पादकों द्वारा आयात प्रतिस्पर्धा का सामना करने पर विचार करना उचित होगा। जबकि वे अपने आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

ख. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वास्तविक बाधा के मामलों में घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच में उस सीमा तक उसकी मौजूदगी की जांच करने की स्थापित प्रक्रिया रही

है जिसमें ऐसे विभिन्न मापदंडों पर विचार होता है जिन्हें वास्तविक क्षति के मामले में रखा जाता है। इस प्रकार यदि वास्तविक क्षति की संगत मापदंडों जांच वास्तविक बाधा के मामले में की जा सकती है तो यह दलील नहीं दी जा सकती कि वास्तविक बाधा से संगत मापदंड वास्तविक क्षति के मामलों में पूरी तरह असंगत हैं। प्राधिकारी वास्तविक बाधा के मामलों में क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन की जांच करते हैं और उसकी तुलना अनुमान से करते हैं ताकि यह निर्धारित हो सके कि क्या पीओआई में घरेलू उद्योग के निष्पादन को क्षतिकारी माना जा सकता है। इसी प्रकार से नए उद्योग के निष्पादन पर विचार करना उचित होगा और अनुमानों के साथ उनकी तुलना करना सही होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पहले से निर्धारित अनुमानों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग का निष्पादन क्षतिकारी था।

ग. वर्तमान मामला देश में एक नए उद्योग को पाटित आयातों के कारण हुई वास्तविक क्षति का है। घरेलू उद्योग स्वीकृत रूप से घरेलू बाजार में एक नया प्रवेशकर्ता है और उसने सितंबर, 2019 में उत्पादन तथा मार्च 2022 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यद्यपि आवेदक 2020-21 से वाणिज्यिक मात्रा का उत्पादन और बिक्री कर रहा था फिर भी उसने केवल मार्च 2022 में ही वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा की। इस प्रकार यद्यपि प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध आयातों के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का मूल्यांकन किया है। तथापि, यह नोट करना अनिवार्य है कि वर्तमान मामला भारत में एक नए उद्योग को वास्तविक क्षति का है, जहां घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन करना शुरू किया है और 2019-20 से वाणिज्यिक मात्राओं की बिक्री कर रहा है परंतु मार्च 2022 से ही वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा की है। जांच अवधि अर्थात 2022-23 इस प्रकार से घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा के बाद उत्पादन का पहला पूरा वर्ष है। अत: वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग की स्थिति उस स्थिति से तुलनीय नहीं है, जहां घरेलू उद्योग संपूर्ण क्षति अवधि और उससे पहले भी वाणिज्यिक उत्पादन के घोषणा के बाद उत्पादन करता रहा है। तदनुसार, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का विश्लेषण किया है और घरेलू उद्योग के अनुमानित निष्पादन की तुलना वास्तविक निष्पादन के साथ की है।

76. हितबद्ध पक्षकारों ने दलील दी है कि न केवल वर्तमान क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई है, बल्कि जांच अवधि के बाद भी उसमें और वृद्धि हुई है। इन हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि घरेलू उद्योग पीओआई के बाद अपनी उत्पादन क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम था। दूसरी ओर घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि उसे पीओआई में वित्तीय घाटे होना जारी रहा और पूर्ववर्ती तीन वर्षों की तुलना में पीओआई में कंपनी द्वारा उच्चतर मात्रा में उत्पादन के बाद भी घाटे जारी रहे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि बाद की अवधि में अपनी उत्पादन क्षमता का उपयोग करने में सक्षम रहने की स्थिति में घरेलू उद्योग को फिर भी वित्तीय घाटा उठाना पड़ा है। यह निष्कर्ष होना चाहिए कि घरेलू उद्योग को वाणिज्यिक दृष्टिकोण से क्षति हो रही है और न कि तकनीकी दृष्टिकोण के कारण । जहां तक घरेलू उद्योग के संयंत्र के उत्पाद का संबंध है यह पूर्णत: प्रचालन में थे और घरेलू उद्योग को कोई तकनीकी बाधा नहीं थी जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो। यह बात सिद्ध करती है कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों की वजह से हुई थी।

77. प्रायोगिक उत्पादन, व्यय विनिर्देशन उत्पादन और स्टार्ट-अप लागतों के संबंध में पक्षकारों के बार-बार तर्कों के संबंध में आवेदक के उत्पादन कार्यकलापों की विस्तार से जांच की गई थी। निम्नलिखित नोट किया गया था:

क. आवेदक ने सितंबर, 2019 में वाणिज्यिक मात्रा में उत्पादन शुरू किया था और मार्च 2022 तक प्रायोगिक उत्पादन जारी रखा। आवेदक ने इस अवधि के दौरान कुल *** एमटी का उत्पादन किया। इस उत्पादन को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रायोगिक उत्पादन घोषित किया गया। उस उत्पादन में काफी गैर विनिर्देशन उत्पादन शामिल था।

ख. आवेदक ने मार्च 2022 में वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा की। आवेदक ने जांच अवधि के अंत तक *** एमटी का उत्पादन किया। पीओआई में उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा अच्छे विनिर्देशन का था।

78. नीचे दी गई तालिका संगत अवधि के दौरान बिक्रियों के विभिन्न चरण, बिक्रियों की मात्रा, गैर विनिर्देशन बिक्रियों की मात्रा, अच्छे विनिर्देशन बिक्रियों की मात्रा, गैर विनिर्देशन बिक्रियों मात्रा और मूल्य और अच्छे उत्पादन की बिक्री को दर्शाती है।

वस्तुओं की मात्रा और आवेदक द्वारा गैर विनिर्देशन बिक्रियां

क्र.सं.	विवरण	प्रकार	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	संचयी
क	घरेलू बिक्री	गैर विनिर्देशन	***	***	***	***	***
		अच्छे विनिर्देशन	***	***	***	***	***
		कुल	***	***	***	***	***
		% गैर विनिर्देशन	60-70%	20-30%	10-20%	10-20%	15-25%
ख	निर्यात	गैर विनिर्देशन	***	***	***	***	***
		अच्छे विनिर्देशन	***	***	***	***	***
ग	कुल	गैर विनिर्देशन	***	***	***	***	***
		अच्छे विनिर्देशन	***	***	***	***	***
		कुल	***	***	***	***	***
		% गैर विनिर्देशन	35-45%	10-20%	5-15%	5-15%	10-20%

79. नीचे दी गई तालिका गैर विनिर्देशन और उत्तम विनिर्देशन उत्पाद बिक्रियों की बिक्री कीमत दर्शाती है।

बाजार	प्रकार	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
घरेलू	गैर विनिर्देशन	रू/एमटी	***	***	***	***
	अच्छे विनिर्देशन	रू/एमटी	***	***	***	***
	कुल	रू/एमटी	***	***	***	***

	अच्छे और गैर विनिर्देशन के बीच अंतर	रू/एमटी	***	***	***	***
	औसत कीमत और अच्छे विनिर्देशन कीमत के बीच अंतर	रू/एमटी	***	***	***	***
निर्यात	गैर विनिर्देशन	रू/एमटी	***	***	***	***
	अच्छे विनिर्देशन	रू/एमटी	***	***	***	***
	अच्छे और गैर विनिर्देशन के बीच अंतर	रू/एमटी	***	***	***	***

80. प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

क. आवेदक की कुल बिक्री में विनिर्देशन से अलग बिक्री के हिस्से में भी 2029-20 के बाद तेजी से गिरावट आई। जबकि घरेलू बाजार में कुल बिक्री में विनिर्देशन से अलग बिक्री का हिस्सा आधार वर्ष में 60-70% था, उसमें भी जांच की अवधि में 10-20% तक गिरावट आई।

ख. विनिर्देशन से अलग सामग्री और अच्छी विनिर्देशन वाली सामग्री की कीमतों में बहुत अधिक अंतर है। यह अंतर क्षति की पूरी अवधि के दौरान है। इन दोनों के बीच कीमत में अंतर 15-30% की सीमा तक अलग अलग थी।

ग. चूंकि घरेलू बाजार में विनिर्देशन से अलग बिक्री का हिस्सा 2019-20 में बहुत अधिक (60-70%) था, अच्छी विनर्देशन वाली और विनिर्देशन से अलग बिक्री की भारित औसत बिक्री कीमत अच्छी विनिर्देशन वाली सामग्री की बिक्री से काफी हद तक कमतर थी। औसत बिक्री कीमत और अच्छे विनिर्देशन वाली सामग्री की बिक्री कीमत के बीच अंतर 2019-20 में *** प्रति एमटी तक अधिक थी और उसमें जांच की अवधि में ***प्रति एमटी तक गिरावट आई।

81. चूंकि कीमत में कटौती, कीमत पर दबाव, लाभ, नकद लाभ और निवेशों पर प्रतिफल का निर्धारण औसत बिक्री कीमत पर विचार करते हुए किया जाता है, अत: यह देखा जाता है कि ये मापदंड घरेलू बाजार में विनिर्देशन से अलग सामग्री की बिक्रियों के द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थी। इसके अलावा, चूंकि इस तरह की विनिर्देशन से अलग सामग्री की बिक्री का अनुपात 2019-20 में उच्चतर था, अत: इसमें इन मापदंडों को विरुपित किया है। उसके देखते हुए, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विनिर्देशन से अलग सामग्री की बिक्रियों को बाहर रखने के बाद कीमत ह्रास/न्यूनीकरण, लाभ, नकद लाभ और निवेशों पर प्रतिफल का निर्धारण किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह इस तथ्य पर विचार करते हुए अतिरिक्त रूप से उपयुक्त है कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने विनिर्देशन से अलग सामग्री की बिक्री की है और वह घरेलू उद्योग को क्षति के कारणों में से एक है। यदि घरेलू उद्योग को क्षति का निर्धारण विनिर्देशन से अलग इन सामग्रियों की बिक्री को बाहर रखने के बाद किया जाता है, यह स्पष्ट है कि ये आंकड़े विनिर्देशन से अलग सामग्री की बिक्रियों से विरुपित नहीं होंगे।

82. आवेदक ने विनिर्देशन से अलग उत्पादन की कुछ मात्राओं का निर्यात किया है। हालांकि, आवेदक ने क्षति की अवधि के दौरान विनिर्देशन से अलग सामग्री की ***एमटी की बिक्री की है, जिसमें से केवल ***एमटी की बिक्री अंतर्राष्ट्रीय बाजार में की गई थी। इस प्रकार, विनिर्देशन से अलग बिक्री का लगभग 90-100% घरेलू बाजार में हुई थी।

83. प्राधिकारी यह मानते हैं कि विनिर्देशन से अलग बहुत अधिक उत्पादन और नए संयंत्र से बिक्री तथा विनिर्देशन से अलग तथा अच्छी विनिर्देशन वाली सामग्री की कीमत में बहुत अधिक अंतरों के फलस्वरूप औसत बिक्री कीमत में विरुपण आया है। इसके अलावा, चूंकि घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि इसे 2019-20 में स्टार्ट-अप प्रचालनों के कारण क्षति हुई, उत्पादन की लागत भी इस अवधि में प्रभावित हुई थी। इसके अलावा, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग की स्टार्ट-अप लागतें बहुत अधिक थीं। इन कारणों से, प्राधिकारी ने इस जांच के उद्देश्य से 2019-20 पर विचार नहीं करने तथा कीमत ह्रास/न्यूनीकरण के उद्देश्य से 2020-21 से तुलना करने के लिए इसे उपयुक्त माना।

84. इन अनुरोधों के संबंध में कि जांच उत्पादन के साथ वाणिज्यिक उत्पादन की तुलना उपयुक्त नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग 2019-20 से वाणिज्यिक मात्राओं में

संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करता रहा है और इसने अपनी लेखा बुक में इसकी सूचना जांच शेष के रूप में दी है। चूंकि घरेलू उद्योग ने सितंबर, 2019 से उत्पादन शुरु किया, अत: इस संयंत्र ने आरंभ में विनिर्देशन से अलग उत्पादन की बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया। चूंकि इस संयंत्र ने जांच उत्पादन के चरण के दौरान अर्थात 2019-20 में विनिर्देशन से अलग उत्पाद की बहुत अधिक मात्रा का उत्पादन किया और आगे चूंकि 2019-20 के दौरान बहुत अधिक बिक्री(60-70%) विनिर्देशन से अलग सामग्री की थी, कीमत ह्रास/न्यूनीकरण के निर्धारण के उद्देश्य से 2019-20 को बाहर करना उपयुक्त माना गया था। इस अवधि में बिक्री कीमत और उत्पादन की लागत, दोनों एक नई उत्पादन सुविधा के स्टार्ट-अप प्रचालनों से प्रभावित हुई थी।

85. इन अनुरोधों के संबंध में कि कच्चे माल, उपयोगिताओं और उत्पादन क्षमताओं का ईष्टतम उपयोग क्षति के आकलन के तिमाही आधार पर किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति रहित कीमत को क्षति की अवधि के दौरान सर्वोत्तम लक्ष्य प्राप्त क्षमता उपयोग पर विचार कर तैयार किया गया है क्योंकि वर्तमान मामला घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का मामला है। आवेदक द्वारा सूचित की गई खपत की भी तुलना विदेशी उत्पादकों द्वारा सूचित खपत से की गई थी और यह देखा गया था कि घरेलू उद्योग के खपत कारक विदेशी उत्पादकों द्वारा सूचित किए गए खपत कारकों से अच्छी तरह से मेल खाते हैं।

86. साफ्ट फेराइट कोर्स मामले पर निर्भरता के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह उपयुक्त नहीं है कि कुछ अन्य जांच, विशेषकर जब दोनों जांचों का वास्तविक मैट्रिक्स बिल्कुल अलग अलग हो तब उस पर विचार नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए साफ्ट फेराइट मामले में, घरेलू उद्योग कई वर्षों से प्रचालन में एक स्थापित उद्योग है। वर्तमान मामले में, हालांकि घरेलू उद्योग ने 2019-20 में वाणिज्यिक मात्राओं में उत्पादन शुरु किया और मार्च, 2022 में अर्थात जांच की अवधि के ठीक पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा की। इसके अलावा, साफ्ट फेराइट मामले में, प्राधिकारी ने यह पाया कि इस उत्पाद का कुछ जियो-मैट्रीज से जिनका आयात इस देश में नहीं किया गया है और न ही उसकी आपूर्ति चीन अथवा अन्य देशों से की जा रही है या उसका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा किया जा रहा है। हालांकि, अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादन और आपूर्ति की जा रही उन जियो-मैट्रीज की संभावना अधिक है। वर्तमान मामले में, हालांकि इन विशिष्ट ग्रेडों की कोई मांग नहीं है। इसके अलावा, प्रत्येक प्रकार के साफ्ट फेराइट को एक विशिष्ट उपयोग/अंतिम उपयोग के

लिए बनाया गया है। ट्रांसफार्मर के निर्माता अलग अलग जियो-मैट्रीज के साफ्ट फेराइट कोर्स का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर नहीं कर सकते हैं। हालांकि, वर्तमान मामले में, अलग अलग ग्रेडों विशेषकर उन ग्रेडों, जिनका निर्माण ट्यूब अनुप्रयोगों के लिए किया गया है, के उपयोगों में अधिक्य हो सकता है। वास्तव में, इन पक्षकारों ने तर्क दिया है कि उसी ग्रेड का उपयोग ट्यूब ब्लैडर्स और ट्यूब का निर्माण करने के लिए किया जाता है। यह भी नोट किया जा सकता है कि साफ्ट फेराइट कोर्स से संबंधित जांच एक चालू जांच है और प्राधिकारी को अभी उक्त जांच में अंतिम निर्धारण करना है।

87. यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां तक वाक्य "रूस से आयातों की पहुंच कीमत अन्य संबद्ध देशों की तुलना में अधिक है" का संबंध है, प्रारंभिक जांच परिणामों के पैरा 99 में टंकण संबंधी त्रुटि है। प्रारंभिक जांच परिणाम के पैरा 99 में संदर्भ इस तथ्य का है कि रूस से पहुंच कीमत कुछ संबद्ध देशों से उच्चतर है जबकि वर्तमान जांच की अवधि में यह कुछ संबद्ध देशों से कमतर है।

88. इस तर्क के संबंध में प्राधिकारी को दो पक्षकारों के बीच संबंध के कारण आरआईएल से आवेदक द्वारा आपूर्ति की जा रही कच्चे माल की जांच करनी चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन पक्षकारों ने जोरदार तरीके से यह तर्क दिया है कि इन दोनों साझेदारों के बीच संयुक्त उद्यम करार और उनके द्वारा हस्ताक्षरित संघ के अंतर-नियम आवेदक और आरआईएल दोनों पर पर्याप्त दायित्व डालते हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार का लेन-देन आर्म्स लेंथ पर हैं। इसके अलावा, आवेदक और आरआईएल, दोनों संबंधित पक्षकार के लेन-देन से संबंधित प्रावधानों सहित कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन हैं जिनमें इन पक्षकारों को संबंधित पक्षकारों के साथ सभी प्रकार का लेन-देन घोषित करना तथा यह बताना कि ये लेन-देन आर्म्स लेंथ पर हैं, अपेक्षित है।

छ.3.1 <u>क्षति का संचयी आकलन</u>

89. विश्व व्यापार संगठन के करार के अनुच्छेद 3.3 और इस नियमावली के अनुबंध II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि उस स्थिति में जहां एक से अधिक देश से किसी उत्पाद का आयात की एक ही समय में पाटनरोधी जांच हो रही है, प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से आकलन करेंगे, यदि यह निर्धारित करता हो कि:

क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया दो प्रतिशत से अधिक हो और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत (अथवा उससे अधिक) हो अथवा जहां अलग-अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम हो, ये आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात का सात प्रतिशत से अधिक हो; और

ख. आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन आयात की गई वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों के आलोक में उपयुक्त हो।

90. वर्तमान मामले में, संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा और पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है। जहां तक संचयी आकलन की उपयुक्तता का प्रश्न है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल एक पीसीएन (एचएम) का आयात भारत में किया गया है और उसी ग्रेड की बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा मर्चेंट बाजार में की गई है। जबकि घरेलू उद्योग ने भी एक अन्य पीसीएन (एलएम) का उत्पादन किया है, उसका उपयोग केवल कैप्टिव खपत के लिए किया गया है। केवल सीमित पीसीएन की आपूर्ति उत्पादकों द्वारा संबद्ध देशों और घरेलू उद्योग में की जा रही है। किसी भी पक्षकार ने एक विशिष्ट ग्रेड की मौजूदगी को नहीं दर्शाया है जिसके लिए बाजार में अन्य आपूर्तिकर्ता समान वस्तु नहीं दे रहे हैं। वास्तव में, घरेलू उद्योग ने दावा किया कि ट्यूब खपत का 94% है जबकि अन्य खंड खपत का लगभग 6% है। यह स्पष्ट है कि इस उत्पाद का उत्पादन और बिक्री सीमित प्रकारों के रूप में किया जाता है और बाजार में सभी आपूर्तिकर्ता इन सीमित प्रकारों की पेशकश कर रहे हैं। इसके अलावा, खंड और खंड के भीतर दोनों अर्थों में उपभोक्ताओं की सीमित संख्या है। यह सभी उपभोक्ता विभिन्न बाजारों से और अलग अलग समय पर इन उत्पादों की आपूर्ति कर रहे हैं। यह देखा जाता है कि अलग-अलग आपूर्तिकर्ता इसी बाजार में एक दूसरे से परस्पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

91. यह भी देखा जाता है कि वर्तमान जांच में ऐसा कोई देश नहीं था जिसकी आयात कीमत सभी चार वर्षों में कम से कम थी बल्कि अलग अलग देशों की अलग-अलग वर्षों में कीमतें कम से कम थी। इस प्रकार, ऐसा कोई देश नहीं है जिनकी कीमतें निरंतर रूप से कमतर अथवा उच्चतर थी। वास्तव में, रूस के बाजार चार वर्षों में से तीन वर्षों में शेष संबद्ध देशों

की तुलना में कमतर थी। यह स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि अलग अलग देशों से आयात परस्पर और उसी बाजार में घरेलू उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे।

92. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि रूस से आयातों केा आवेदक के साथ रूस के प्रतिष्ठान के साथ संबंध, रूस का गैर-बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा और रूस से आयातों की मात्रा और कीमत को देखते हुए क्षति आकलन के लिए अलग किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि रूस को वर्तमान जांच के उद्देश्य से, एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं माना गया है। या तो इनमें से अथवा यूरोप द्वारा किए गए निर्धारण वर्तमान जांच के उद्देश्य से प्राधिकारी के लिए संगत नहीं हैं। किसी भी मामले में, प्राधिकारी ने इन स्थितियों में भी आयातों को अलग नहीं किया है, जहां संबद्ध देशों से एक देश गैर-बाजार अर्थव्यवस्था है, जबकि दूसरा बाजार अर्थव्यवस्था देश है। प्राधिकारी ने अन्य देशों के साथ चीन से रूटीन रूप में आयातों की जांच की है जहां चीन के उत्पादकों को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कार्य करने के रूप में माना गया है। इस प्रकार, रूस की विगत कार्य-पद्धति के अनुसार, रूस को वर्तमान जांच के उद्देश्य से एक बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जा रहा है। प्राधिकारी ने संगत खंड में रूस के उत्पादक और आवेदक के बीच संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर पहले ही ध्यान दिया है।

93. इन अनुरोधों के संबंध में कि रूस के आयातों में आवेदक को बाजार पहुंच देने के लिए गिरावट आई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी संबद्ध देशों से आयातों में भारत में उत्पादन के आरंभ होने के बाद गिरावट आई है। यह किसी भी मामले में वर्तमान मामले की तरह नई उत्पादन सुविधाओं में उत्पादन के आरंभ होने का एक साझा परिणाम है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि रूस के उत्पादक आवेदक को बाजार पहुंच उपलब्ध कराने के लिए भारत को निर्यातों में कटौती का सहारा लिए होते तब यह कुछ संबद्ध देशों से कमतर कीमतों पर बिक्री के द्वारा नहीं किया गया होता। रूस के उत्पादकों ने अन्य संबद्ध देशों से प्रतिस्पर्धा करते हुए कीमतें बनाई रखी हैं। ऐसी स्थिति में, आयातों की कीमत आवेदक को उच्चतर कीमत वाला बाजार उपलब्ध कराने के लिए उच्चतर हुआ होता।

94. नीचे दी गई तालिका विभिन्न संबद्ध और गैर-संबद्ध देशों से आयात की कीमतों को दर्शाता है:

क्र.	विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23

स.						
क.	संबद्ध देशों से पहुंच कीमत	रु./एमटी	1,35,678	1,28,882	1,53,915	2,05,267
1	सिंगापुर	रु./एमटी	1,29,089	1,15,377	1,41,623	1,97,909
2	रूस	रु./एमटी	1,35,080	1,30,359	1,54,850	2,13,309
3	सऊदी अरब	रु./एमटी	1,64,976	1,56,690	1,75,929	2,23,423
4	यूएसए	रु./एमटी	1,51,666	1,30,016	1,59,113	2,13,134
5	चीन जन.गण.	रु./एमटी	-	1,08,514	1,34,133	2,14,308

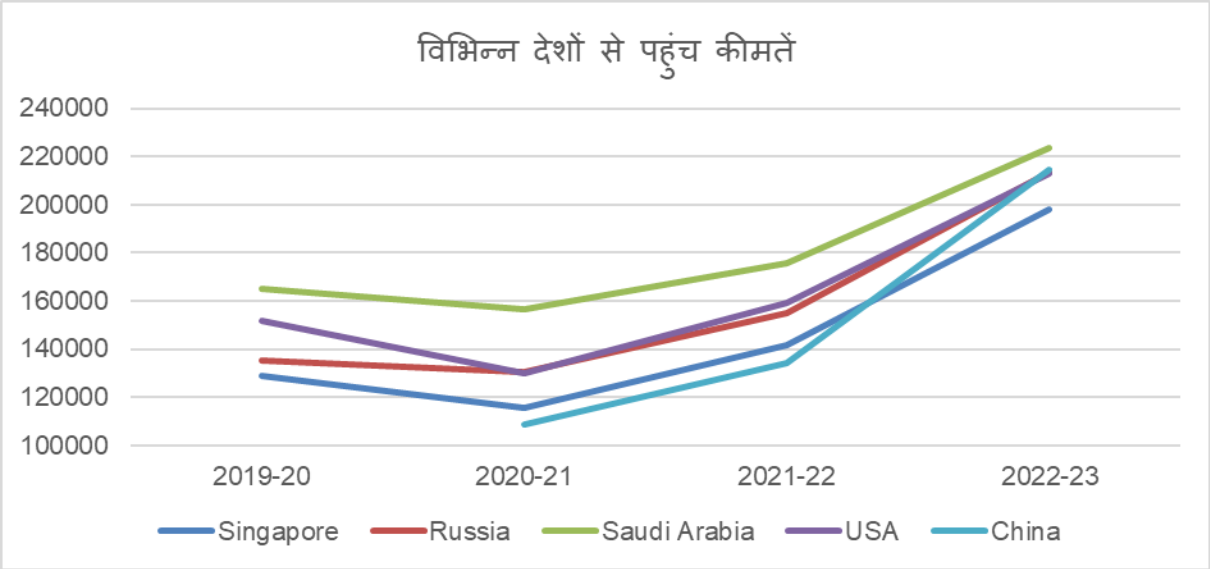

95. इस प्रकार प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रस्ताव करते हैं कि निम्नलिखित कारणों, जिनका सारांश नीचे दिया गया है, से वर्तमान जांच में रूस से आयातों को बाहर रखना उपयुक्त नहीं होगा।

क. संबद्ध वस्तुओं को भारत में संबद्ध देशों से पाटित किया जा रहा है।

ख. संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से पाटन का मार्जिन इस नियमावली के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक है।

ग. संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा अलग अलग रूप में आयातों की कुल मात्रा का तीन प्रतिशत से अधिक है।

घ. आयात के प्रभावों और संचयी आकलन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों के आयात न केवल सीधे तौर पर उनमें से प्रत्येक के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही समान वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करता है बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही समान वस्तुओं से भी प्रतिस्पर्धा करता है।

छ. 3.2.<u>पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव</u>

क) <u>मांग/स्पष्ट खपत का आकलन</u>

96. जैसा कि प्रारंभिक जांच परिणाम के पैरा 101-102 में नोट किया गया है, विचाराधीन उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई। यह देखा जाता है कि इस उत्पाद का देश में बहुत अधिक और सकारात्मक विकास हुआ था। इन अनुरोधों के संबंध में कि मांग का आकलन कैप्टिव खपत और बिना कैप्टिव खपत दोनों के आधार पर किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी ने भारत में आयातों के संबंध में मांग तथा घरेलू उद्योग की मर्चेंट बिक्री पर विचार किया है। ऐसा इस तथ्य के कारण हुआ है कि केवल घरेलू उद्योग की मर्चेंट बिक्री आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है।

ख) <u>संबद्ध देशों से आयात की मात्रा</u>

97. प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में यह पाया कि संबद्ध देशों से संचयी रूप से आयातों की मात्रा में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई। हितबद्ध पक्षकारों ने जोरदार तरीके से यह तर्क दिया है कि कानूनी आवश्यकता यह है कि आयात इस अवधि के दौरान बढ़ना चाहिए था। हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि ऐसी स्थिति जहां आयात की मात्रा में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। हितबद्ध पक्षकारों ने रूस से आयातों को बाहर करने तथा इसका संचयन नहीं करने का भी तर्क दिया है।

98. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संयुक्त राज्य - स्पेन से राइप ओलिव्स पर पाटनरोधी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क (डब्ल्यूटी/डीएस577/आर दिनांक 19 नवंबर, 2021) पर डब्ल्यूटीओ के पैनल ने घरेलू उद्योग को क्षति और आयातों की मात्रा के संबंध में कानूनी आवश्यकताओं

और उसके संबंध में जांच करने वाले प्राधिकारियों के दायित्व की विस्तार से जांच की है। इस पैनल ने स्पष्ट रूप से यह माना कि <u>ये प्रावधान जांच करने वाले अधिकारी को</u> "**इस तथ्य पर विचार करने के लिए अनुदेश देते हैं कि क्या पाटित अथवा सब्सिडीयुक्त आयातों में बहुत अधिक वृद्धि रही है।** "इस तथ्य पर विचार करना कि क्या" **उस अपेक्षा को अनुसूचित करता है जिसे जांच करने वाले अधिकारी को अपने निर्णय पर पहुंचने में आयातों की मात्रा पर विचार करना चाहिए। यह सिद्ध नहीं करता है कि आयातों की मात्रा प्राधिकारी के इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पूर्व आवश्यक रूप से बढ़ जाना चाहिए था कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।** जांच करने वाले अधिकारी यह विचार करना कि क्या मात्रा में "बहुत अधिक वृद्धि" हुई है, इस तथ्य पर विचार किए बिना कि क्या ऐसी मात्रा वास्तव में बढ़ी है, घटी है अथवा स्थिर रही है, मात्रा में परिवर्तनों की जांच से स्पष्ट हो जाती है।

99. इस प्रकार प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी का दायित्व स्वयं क्षति की अवधि के दौरान आयात की मात्राओं की जांच करने के संबंध में है और इसके लिए प्राधिकारी से यह अपेक्षित नहीं है कि वे इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पूर्व उदाहरण के रूप में एक शर्त के रूप में आयातों में निर्णायक रूप से वृद्धि पाएं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। वास्तव में, यह स्पष्ट है कि इस स्थिति में भी जहां आयातों की मात्रा में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है, घरेलू उद्योग को अभी भी देश में पाटन के फलस्वरूप बहुत अधिक वास्तविक क्षति हो सकती थी।

100. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आयातों में गिरावट एक सामान्य घटना/इस तथ्य का परिणाम है कि घरेलू उद्योग का 2019-20 में वाणिज्यिक मात्राओं में उत्पादन हुआ है, यद्यपि मार्च, 2022 में वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा की गई। चूंकि इस उत्पाद की सकल मांग ***एमटी के आसपास थी जब घरेलू उद्योग ने इस उत्पाद की बिक्री शुरु की, यह बढ़कर केवल ***एमटी हो गई तथा आगे चूंकि घरेलू उद्योग के पास 1.20 लाख एमटी की उत्पादन क्षमता है और इसने वर्तमान क्षति की अवधि के दौरान लगभग ***करोड़ रु. के मूल्य का ***एमटी से अधिक संचयी मात्रा का उत्पादन किया है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग अपने उत्पाद को बेचने के लिए हर संभव प्रयास करेगा और उपभोक्ता अब तक पूर्ण रूप से आयातों पर निर्भर उत्पाद में घरेलू आपूर्ति विकसित भी करना चाहेगा। घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक मात्राओं में उत्पादन का परिणाम इस प्रकार से देश में उत्पादन आरंभ करने के बाद हुए आयातों की मात्रा में गिरावट थी। इस कारण से संबद्ध आयातों में

गिरावट यह सिद्ध नहीं करता है कि उसने घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं पहुंचाई होगी।

101. इन अनुरोधों के संबंध में कि आयात भारत में विशिष्ट उत्पादों के उत्पादन के अभाव के कारण बहुत अधिक रही है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विशिष्ट उत्पादों का भारत में आयात किया जा रहा है। लगभग समग्र आयात नियमित ग्रेड के उत्पादों का हुआ है। केवल एक पीसीएन का आयात भारत में किया गया है और उसकी बिक्री घरेलू बाजार द्वारा मर्चेंट बाजार में की गई है। इस प्रकार, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि आयात भारत में विशिष्ट उत्पाद के आयातों के कारण बहुत अधिक हैं। प्राधिकारी उन उत्तरों पर विश्वास करते हैं जो भाग लेने वाले निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

102. प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस तर्क को नोट करते हैं कि चूंकि इसने प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश कर अपनी बिक्री में वृद्धि की, आयातों में गिरावट आई; हालांकि, घरेलू उद्योग को की गई बिक्री में बहुत अधिक कीमत संबंधी क्षति उठानी पड़ी और यह उत्पादन और क्षमताओं की सीमा तक इस सामग्री की बिक्री करने में सक्षम नहीं रहा था। प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस तर्क को भी नोट करते हैं कि यह इतनी लंबी समय अवधि के लिए वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा करने में सक्षम नहीं था।

103. इस प्रकार प्राधिकारी नोट करते हैं कि जबकि यह तर्क दिया गया है कि चूंकि घरेलू उद्योग अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम नहीं था और उसके परिणामस्वरूप, आयातों की मात्रा में गिरावट आई, कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं हुई है, यह वर्तमान बाजार की स्थिति और घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन पूर्ण एवं उचित मूल्यांकन नहीं होगा। यह भी नोट किया जाता है कि जबकि घरेलू उद्योग इस सामग्री की बिक्री करने में सक्षम था और क्षति की अवधि के दौरान अपनी घरेलू बिक्री को बढ़ाने में भी सक्षम था, घरेलू बिक्री में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि से काफी कम था। नीचे दी गई तालिका निम्नलिखित दर्शाती है।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	122	124
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	367	381	516

क्षमता	एमटी	70,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000
कैप्टिव खपत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	646	1,316
कैप्टिव खपत को छोड़कर क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	169	156	140
कैप्टिव खपत को छोड़कर उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	355	307	365
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	510	594	816

104. स्पष्ट रूप से, बिक्री में वृद्धि इस तथ्य के बावजूद कि घरेलू उद्योग के पास बहुत अधिक उत्पादन क्षमता थी, उत्पादन में वृद्धि से कम थी। ***एमटी की घरेलू मांग की तुलना में, जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के पास संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन क्षमताएं 1,20,000 एमटी थी। यदि इसको भी मान लिया जाए कि घरेलू उद्योग ने एचआईआईआर के उत्पादन के लिए ***एमटी आईआईआर की खपत की, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के पास आईआईआर की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए ***एमटी की उत्पादन क्षमता अभी भी उपलब्ध थी।

105. यदि उत्पादन क्षमताओं की उपेक्षा भी कर दी जाती है और केवल उत्पादन की गणना की जाती है, तब यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के पास ***एमटी का उत्पादन था, जिसके विरुद्ध घरेलू बिक्री केवल ***एमटी थी। स्पष्ट तौर पर घरेलू उद्योग बाजार में आयातों के कारण उत्पादन की सीमा तक इन मात्राओं की बिक्री करने में सक्षम नहीं था। यह स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाता है।

छ.3.3 <u>पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव</u>

106. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में न केवल मात्रा संबंधी प्रतिकूल प्रभाव थे क्योंकि घरेलू उद्योग कैप्टिव खपत को बाहर करने के बाद अपना पूर्ण उत्पादन की बिक्री करने में सक्षम नहीं था, घरेलू उद्योग कीमतों के संबंध में बहुत अधिक समझौता करने के बाद ही वर्तमान मात्राओं की बिक्री करने में सक्षम था। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग समग्र

अवधि के दौरान इस उत्पाद की बिक्री उस कीमत पर कर रहा था जो इस उत्पाद की उचित कीमत और उत्पादन की लागत से बहुत कम थी।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
संबद्ध देश	एमटी	44,860	36,272	29,808	19,110
सिंगापुर	एमटी	13,546	6,094	6,830	11,291
रूस	एमटी	25,847	18,642	14,014	3,104
सऊदी अरब	एमटी	1,299	1,577	1,790	1,903
यूएसए	एमटी	4,168	9,943	6,939	1,563
चीन जन.गण.	एमटी	0	17	234	1,249
अन्य देश	एमटी	1,531	566	621	361
कुल आयात	एमटी	46,391	36,838	30,428	19,470
कुल भारतीय उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
निम्नलिखित की तुलना में संबद्ध आयात:					
कुल आयात	%	97%	98%	98%	98%
भारतीय खपत	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	65	55	34
भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	22	17	8

क) कीमत में कटौती

107. कीमत में कटौती का निर्धारण जांच की अवधि के लिए आयातों की पहुंच कीमत के साथ घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से तुलना करके की गई है।

विवरण	इकाई	जांच की अवधि
बिक्री कीमत	यूएसडॉ./एमटी	***
पहुंच कीमत	यूएसडॉ./एमटी	2,541
कीमत में कटौती	यूएसडॉ./एमटी	(***)
कीमत में कटौती	%	(***)

प्रवृत्ति	रेंज	नकारात्मक

108. प्राधिकारी नोट करते हैं कि औसत आधार पर कीमत में कटौती नकारात्मक है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि यह आयातों से प्रतिस्पर्धा करने तथा घरेलू बाजार में अपनी पकड़ बनाने के उद्देश्य से कमतर कीमतों पर बिक्री करने के लिए बाध्य रहा है।

109. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि चूंकि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से उच्चतर थी, अत: घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को आयातों की पहुंच कीमत के स्तर तक बढ़ा सकता था। घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किया:

क. वही निर्यातक किसी उत्पाद की बिक्री उसी आयातक को एक ही समय में काफी हद तक अलग अलग कीमतों पर कर रहा था। घरेलू उद्योग ने इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए अनेक आयात संबंधी लेन-देन की पहचान की है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के इस तर्क का जवाब नहीं दिया है।

ख. चूंकि आयात उसी समय काफी हद तक अलग अलग कीमतों पर हुए हैं, घरेलू उद्योग न्यूनतम कीमत वाले आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बाध्य हुआ है।

ग. घरेलू उद्योग देश में इस उत्पाद के पाटन के कारण ही कमतर कीमत पर बिक्री करने के लिए बाध्य हुआ है।

घ. सीआईएफ आयात कीमत के आधार पर कीमत में नकारात्मक कटौती इस कारण से उपयुक्त नहीं है कि यह भारतीय आयातकों और उनसे संबद्ध व्यापारियों के बीच लेन-देन को दर्शाता है। ये अंतरण कीमतें इस कीमत को नहीं दर्शाते हैं, जिस पर भारतीय उपभोक्ताओं ने इस उत्पाद के लिए मोलभाव किया है और या तो घरेलू उद्योग अथवा विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के पास ऑर्डर दिए हैं। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि चूंकि कुछ भारतीय आयातक अपने संबद्ध विदेशी व्यापारियों से खरीद कर रहे हैं, अत: सीआईएफ आयात कीमत संबद्ध विदेशी व्यापारियों की कीमत है। इस कारण से घरेलू उद्योग ने यह मांग की कि कीमत में कटौती का निर्धारण विदेशी उत्पादक की बिक्री कीमत और न कि ऐसे संबद्ध व्यापारी से सीआईएफ आयात कीमत पर विचार करके किया जाना चाहिए।

ड. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि यह एक सामान्य ज्ञान का मामला है कि विदेशी उत्पादक बीजक तैयार करने के बाद बहुत अधिक छूट दे रहे हैं और आयात की कीमत उन कीमतों को दर्शाती है, जिसे भारतीय सीमा शुल्क को प्रस्तुत की गई वाणिज्यिक बीजकों में सूचना दी गई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि बीजकों को जारी किए जाने के बाद, विदेशी उत्पादकों ने भारतीय आयातक अथवा विदेशी व्यापारी को बहुत अधिक छूट दी है और उन छूटों को आयात कीमतों में नहीं दर्शाया जाता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुछ विदेशी उत्पादकों ने कीमत समायोजनों में से एक समायोजन के रूप में छूट की सूचना दी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि निर्यातकों ने बीजक कीमत पर छूट दी है, भारतीय सीमा शुल्क को सूचित की गई सीआईएफ कीमत उस कीमत का प्रतिनिधित्व नहीं करता है जिसे वास्तव में आयातक द्वारा भुगतान किया गया और निर्यातक द्वारा प्राप्त किया गया।

च. प्राधिकारी ने उस कीमत के आधार पर पाटन मार्जिन का निर्धारण किया, जिस पर विदेशी उत्पादक ने इस माल की बिक्री की है। इस उद्देश्य से, प्राधिकारी ने बीजक बनाने के बाद के छूट सहित सभी खर्च की कटौती करने के बाद एक्स-फैक्टरी कीमतों का निर्धारण किया है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि यदि पाटन मार्जिन उत्पादक के स्तर पर एक्स-फैक्टरी निर्यात कीमत पर आधारित है, यह उपयुक्त नहीं होगा कि क्षति मार्जिन और कीमत में कटौती का निर्धारण कुछ अन्य प्रतिष्ठानों की सीआईएफ कीमतों पर विचार करके किया जाए और विशेष रूप से जब भारतीय आयातकों का ऐसे निर्यातक के संबंध में और इन कीमतों का मोलभाव भारतीय क्रेता और उत्पादक के बीच किया गया हो। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि कीमत में कटौती और क्षति मार्जिन के निर्धारण का उद्देश्य उस सीमा का आकलन करना है जिस सीमा तक विदेशी उत्पादकों ने इस सामग्री की बिक्री उस कीमत पर की जो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत अथवा एनआईपी से कम थी। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि चूंकि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण किसी विदेशी उत्पादक के लिए किया जाता है, यह उपयुक्त नहीं है कि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन अलग अलग प्रतिष्ठानों की कीमतों पर आधारित हैं, विशेषरूप से जब कीमतों के संबंध में मोलभाव प्रयोक्ताओं द्वारा विदेशी उत्पादकों

के साथ किया गया है और प्रयोक्ता इन वस्तुओं का बीजक बनाने वाले निर्यातकों से संबद्ध हों।

छ. बीजक में प्राधिकारी ने उत्तर देने वाले उत्पादकों के लिए उनकी कीमतों पर विचार करके कीमत में कटौती का निर्धारण किया था। संदर्भ व्याख्यात्मक मामले जैसे डिकोर पेपर और कैथोड रे कलर पिक्चर ट्यूब्स से संबंधित जांचों की ओर आकर्षित किया गया था जिनमें कीमत में कटौती का निर्धारण उत्तर देने वाले उत्पादकों के लिए पृथक रूप से किया गया है। यूरोपीय आयोग द्वारा किए गए निर्धारणों की ओर भी संदर्भ आकर्षित किया गया है जिसमें कीमत में कटौती का निर्धारण उत्तर देने वाले विदेशी उत्पादकों और न कि संचयी रूप से केवल संबद्ध देशों के लिए किया गया है।

ज. यदि घरेलू उद्योग अपने पूर्व के अनुमानों पर विचार करते हुए लाभप्रद कीमतें (और इनपुट कीमतों में परिवर्तन करने के बाद) वसूल किया होते तब आयात की मात्राएं वर्तमान मात्राओं की तुलना में बहुत अधिक हुई होती क्योंकि घरेलू उद्योग बाजार से कोई ऑर्डर प्राप्त करने में सक्षम नहीं हुआ होता। यह देखा जाता है कि आयातों की पहुंच कीमत उत्पादन की आदर्शतम लागत से ***% कम और क्षति रहित कीमतों से ***% कम थीं। इस प्रकार, आयातों की मात्रा अधिक रही होती और यह भारत में समग्र मांग को बहुत अधिक संभव रूप में पूरा किया होता। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा घाटे पर की गई बिक्री के फलस्वरूप भारत में आयातों में पूर्ण रूप से अथवा सापेक्ष रूप से गिरावट हुई है।

110. उपर्युक्त को देखते हुए, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी उत्तर देने वाले उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तरों के आधार पर कीमत में कटौती का निर्धारण करते हैं।

111. हालांकि प्राधिकारी यह मानते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि कीमत में कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण प्राधिकारी द्वारा पाटित आयातों के कारण क्षति के होने के निष्कर्ष पर पहुंचने के पूर्व एक ही समय में अवश्य मौजूद होना चाहिए। वास्तव में, यह नोट किया जाता है कि अक्सर कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण एक ही समय में मौजूद नहीं रहता है। इसके अलावा, यह संभव है कि केवल कीमत में कटौती सकारात्मक है और यह घरेलू

कीमतों पर बिना किसी ह्रासकारी/न्यूनकारी प्रभाव के हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क भी नहीं दिया है कि कीमत में कटौती प्राधिकारी द्वारा क्षति के मौजूद होने के निष्कर्ष पर पहुंचने के पूर्व आवश्यक रूप से सकारात्मक होनी ही चाहिए। वास्तव में, प्राधिकारी ने अनेक मामलों में वास्तविक क्षति की मौजूदगी पाई है, जहां कीमत में कटौती नकारात्मक पाई गई थी। अन्य प्रकार से भी, कीमत में नकारात्मक कटौती का होना केवल घरेलू और आयात किए गए उत्पाद के बीच कीमत में प्रतिस्पर्धा को संसूचित करता है। यह बिल्कुल संभव है कि ऐसी स्थिति में वहां, जहां एक नया उद्योग अपनी क्षमता और सामर्थ्य की सीमा तक बाजार में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, घरेलू उद्योग पाटित आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा कर, वैसा करेगा। हालांकि, यदि इस प्रकार की कीमत में नकारात्मक कटौती पाटित आयातों के कारण हुई है, तब यह साक्ष्य है कि पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को अलाभप्रद कीमतों की पेशकश करने के लिए बाध्य किया है। इस कारण से, प्राधिकारी यह मानते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि कीमत में कटौती का निर्धारण भाग लेने वाले निर्यातकों के लिए पृथक रूप से किया जाए। प्राधिकारी किसी भी मामले में अपने प्रारंभिक जांच परिणामों को कीमत ह्रास की मौजूदगी पर आधारित किया है और आगे उसकी जांच वर्तमान प्रकटन विवरण में किया गया है।

112. इन अनुरोधों के संबंध में कि आवेदक रूस की कीमतों का मुकाबला करने के लिए बाध्य थे क्योंकि इसमें रूस से अधिग्रहीत प्रौद्योगिकी के आधार पर संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन किया और यह रूस से इन उत्पादों का व्यापार कर रहा था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन से आयातों की पहुंच कीमत 2020-21 और 2021-22 में रूस की पहुंच कीमत से कमतर थी, जबकि सिंगापुर की पहुंच कीमत 2019-20 और 2021-22 के दौरान रूस की पहुंच कीमत से कमतर थी। आवेदक इस उत्पाद की बिक्री करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों से पहुंच कीमत से कम पर इस उत्पाद की कीमत रखने के लिए बाध्य थे। चूंकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत विभिन्न देशों न कि केवल रूस की पहुंच कीमत से कम थी, ऐसा कहा जा सकता है कि आवेदक रूस से आयातों की पहुंच कीमत का मुकाबला करने के लिए बाध्य थे।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
क	संबद्ध देशों से पहुंच कीमत	रु./एमटी	1,35,678	1,28,882	1,53,915	2,05,267

1	सिंगापुर	रु./एमटी	1,29,089	1,15,377	1,41,623	1,97,909
2	रूस	रु./एमटी	1,35,080	1,30,359	1,54,850	2,13,309
3	सऊदी अरब	रु./एमटी	1,64,976	1,56,690	1,75,929	2,23,423
4	यूएसए	रु./एमटी	1,51,666	1,30,016	1,59,113	2,13,134
5	चीन जन.गण.	रु./एमटी	-	1,08,514	1,34,133	2,14,308

ख) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

113. प्रारंभिक जांच परिणाम में, प्राधिकारी ने यह पाया था कि आयातों के कारण घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ रहा था। प्राधिकारी 2020-21 और जांच की अवधि के बीच लागतों और कीमतों में परिवर्तन पर विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंच थे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने सितंबर, 2019 में ही उत्पादन शुरु किया और इसको उत्पादन की प्रक्रिया स्थापित करने के कारण उत्पाद कि शुरु होने के बाद संयंत्र को बंद करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार, छह से कम महीनों के आंकड़े 2019-20 के लिए उपलब्ध हैं। चूंकि घरेलू उद्योग को भी 2019-20 में उच्च स्टार्ट-अप लागतों, उच्च उत्पादन और विनिर्देशन से अलग माल की बिक्री और कम क्षमता का उपयोग का सामना करना पड़ा, प्राधिकारी ने इसे 2020-21 से कीमत ह्रास/न्यूनीकरण पर विचार करने के लिए संगत माना है। केवल यह तथ्य कि आवेदक ने 2022-23 में वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा की, का आशय यह नहीं होता है कि आवेदक को 2022-23 में स्टार्ट-अप प्रचालनों के कारण हानि हुई।

114. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी ने वर्ष 2019-20, चूंकि यह उत्पादन का प्रथम वर्ष था और वह अवधि थी जब इस संयंत्र को स्टार्ट-अप प्रचालनों और विनिर्देश से अलग बहुत अधिक माल की बिक्री के कारण हानि हो रही थी, की उपेक्षा कर कीमत ह्रास की स्थिति को माना। नीचे दी गई तालिका वास्तविक स्थिति को दर्शाती है:

2019-20 की अवधि की उपेक्षा कर कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	आधार वर्ष के साथ जांच की अवधि में

						परिवर्तन
1	बिक्री की लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	129	156	56%
3	बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	149	49%

115. यह देखा गया है कि:

क. यदि 2019-20 की उपेक्षा की जाती है, जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में ***रु. प्रति एमटी तक वृद्धि हुई, घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतों को केवल ***रु. प्रति एमटी तक वृद्धि की।

ख. अवधि जो भी रही हो, बाजार में पाटित आयातों के न होने के कारण, घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतों को दो कारणो से बढ़ाई होती - (i) इसका बहुत अधिक वित्तीय हानि का सामना करना पड़ा, जब इसने इस उत्पाद को शुरु किया और इसके लिए यह अपेक्षित था कि यह ऐसी हानि से उबरे और उचित लाभ अर्जित करे (ii) उत्पादन की लागत में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई थी। प्राधिकारी ने उत्पादन की लागत में वृद्धि के कारण की जांच की। यह देखा गया है कि इनपुट लागतों में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग से यह अपेक्षित था कि वह उस कीमत को प्राप्त करने, जो उसकी लागतों को वसूलने की अनुमति देगा, निवेशों पर कुछ लाभ अर्जित करने और इसके साथ ही क्षति की अवधि के दौरान लागतों में वृद्धि को पूरा करने के उद्देश्य से अपनी कीमतों में वृद्धि करे।

116. इस प्रकार यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग हानि से उबरने के लिए तथा बिक्री की लागत में वृद्धि का निवारण करने के लिए अपनी कीमतों में वृद्धि करने में वृद्धि करने में सक्षम नहीं हुआ है। इसके अलावा, संबद्ध देशों से संचयी रूप से 2020-21 और जांच की अवधि के बीच आयातों की पहुंच कीमत में वृद्धि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में वृद्धि और घरेलू उद्योग द्वारा घाटे पर की जाने वाली अपनी बिक्री से बाहर निकलने के लिए कीमतों

में अपेक्षित वृद्धि से कमतर है। इस प्रकार, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के परिणामस्वरूप अपनी कीमतों पर ह्रासकारी प्रभाव के कारण हानि हुई है।

117. जबकि प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस तथ्य का निर्धारण करने के लिए कि क्या पाटित आयातों के कारण इत्य के मद्देनजर कि घरेलू उद्योग ने 2019-20 में वाणिज्यक उत्पादन शुरु किया, कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण हुआ, के उद्देश्य से 2019-20 को बाहर करना उपयुक्त होगा, वैकल्पिक रूप से प्राधिकारी ने क्षति की समग्र अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि जबकि उत्पादन की लागत में 2019-20 और 2020-21 के बीच बहुत अधिक हद तक गिरावट आई, उसमें बाद में वृद्धि हुई। हालांकि बिक्री की कीमत में जांच की पूरी अवधि के दौरान वृद्धि हुई। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को 2019-20 और 2020-21 के बीच कोई कीमत ह्रास नहीं हुआ। हालांकि उसके बाद जबकि लागतों और कीमतों, दोनों में वृद्धि हुई, बिक्री कीमत में वृद्धि उत्पादन की लागत में वृद्धि से बहुत कम थी। अन्य शब्दों में, जबकि घरेलू उद्योग को 2019-20 और 2020-21 के बीच कोई कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण के कारण हानि नहीं हुई, घरेलू उद्योग को उसके बाद कीमत में ह्रास के कारण हानि हुई। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में घरेलू उद्योग को इन कीमतों में वृद्धि करने से रोका जो देश में पाटित आयातों के नहीं होने पर हुआ होता।

118. प्राधिकारी ने इस तथ्य की भी जांच की कि क्या घरेलू उद्योग बाजार में पाटित आयातों के नहीं होने की स्थिति में अपनी कीमतों में वृद्धि की होती। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि चूंकि घरेलू उद्योग और विदेशी उत्पादक उस उत्पाद की आपूर्ति करने के एकमात्र स्रोत हैं, अत: घरेलू उद्योग इस उत्पाद के उत्पादन की लागत और उचित कीमत पर विचार करते हुए कीमत वसूली होती। घरेलू उद्योग ने कमतर कीमत की पेशकश की जब इसने इस उत्पाद की शुरुआत की क्योंकि ये एक नए उत्पादक द्वारा बिक्री थे। हालांकि, चूंकि घरेलू उद्योग को बाजार में इसकी स्वीकार्यता मिली, अत: घरेलू उद्योग से यह अपेक्षित था कि वह घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई बहुत अधिक वित्तीय हानि से बाजार निकलने के उद्देश्य से अपनी कीमतों को बढ़ाए। हालांकि, घरेलू उद्योग उत्पादन की लागत से बहुत अधिक हद तक कम कीमत वसूलने के लिए बाध्य था, जब इसने उस उत्पाद की बिक्री करना शुरु किया। पाटित आयातों के अभाव में, घरेलू उद्योग वास्तव में लागत में वृद्धि की मात्रा, वित्तीय हानि और निवेशों पर अपेक्षित उचित लाभ के द्वारा अपनी कीमतें बढ़ाई होती। इस प्रकार, यह नोट

किया जाता है कि पाटित आयातों में घरेलू उद्योग को इसकी कीमतों में वृद्धि करने से रोका है।

119. इन अनुरोधों के संबंध में कि 2020-21 कोविड के कारण प्रभावित हुआ था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो विचाराधीन उत्पाद का निर्माण करने वाले उद्योग के कार्यनिष्पादन पर कोविड के संभावित प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाता है। विचाराधीन उत्पाद के आयातों में उसी दर से 2020-21 में गिरावट आई, जिस दर से 2021-22 में उसमें गिरावट आई थी। इसके अलावा, 2020-21 का केवल एक हिस्सा और न कि पूरी अवधि कोविड के कारण प्रभावित हुई थी। इस प्रकार, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि कुल मिलाकर 2020-21 कोविड के कारण प्रभावित हुआ था और इस प्रकार इसकी तुलना जांच की अवधि से नहीं की जा सकती है।

120. इन अनुरोधों के संबंध में कि 2020-21 कच्चे तेल की कीमत में अत्यधिक गिरावट के कारण प्रभावित हुआ था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में परिवर्तन ने घरेलू उद्योग तथा निर्यातकों, दोनों को प्रभावित किया है। चूंकि, उक्त घटना ने घरेलू उद्योग और निर्यातकों, दोनों को प्रभावित किया, अत: 2020-21 और जांच की अवधि में बिक्री की लागत, बिक्री कीमत और पहुंच कीमत की तुलना करना वर्तमान जांच के लिए उपयुक्त है।

छ.3.4 <u>घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड</u>

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

121. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता का उपयोग नीचे दिए गए अनुसार थे:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
संस्थापित क्षमता	एमटी	70,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	171	171	171
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	367	381	516
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	214	222	301
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	510	594	816
निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	611	357	212
कैप्टिव खपत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	646	1,315
उत्पादन बंद होने के दिनों की संख्या	दिन	***	***	***	***

122. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि यदि कुल मिलाकर जांच की अवधि में कुल उत्पादन क्षति की अवधि के दौरान अधिकतम था, तब भी जांच की अवधि में उत्पादन को भी देश में इस उत्पाद के पाटन के कारण हानि हुई। आवेदक ने अपने आवेदन पर विश्वास किया जिसमें मासिक उत्पादन, क्षमता का उपयोग, भंडार, कैप्टिव खपत और घरेलू तथा निर्यात बिक्री के आंकड़े दिए गए थे। यह देखा गया था कि आवेदक का उत्पादन ***में ***एमटी था। उसके बाद इसमें गिरावट आई और यह ***में ***एमटी था जो सबसे कम था। आवेदक को मालसूची के जमा होने के कारण *** से *** तक संयंत्र को बंद करना पड़ा। उत्पादन में उसके बाद *** में वृद्धि हुई और यह ***एमटी था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक का जांच की अवधि के कुछ भाग में उत्पादन जांच की अवधि के अन्य कुछ भागों में प्राप्त उत्पादन की तुलना में बहुत अधिक हद तक कमतर था। यदि आवेदक को *** अवधि में उत्पादन की हानि नहीं हुई होती, तब आवेदक जांच की अवधि में लगभग अतिरिक्त ***एमटी संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन किया होता।

123. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया कि घरेलू उद्योग ने देश में इस उत्पाद के पाटन के कारण नहीं बल्कि तकनीकी बाधाओं के कारण अपना उत्पादन स्थगित किया। हितबद्ध पक्षकारों के अनुसार, कंपनी ने अन्य उत्पाद (एचआईआईआर) का उत्पादन शुरु किया और इस कारण से उसे एचआईआईआर संयंत्र शुरु करने के उद्देश्य से अपना उत्पादन स्थगित करना पड़ा था। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि ऐसा कोई कारण नहीं था कि क्यों इसके लिए एचआईआईआर का उत्पादन शुरु करने के लिए आईआईआर हेतु उत्पादन बंद करना अपेक्षित था, ये दोनों संयंत्र पूर्ण रूप से अलग अलग धाराएं हैं और ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।

124. यह भी नोट किया जाता है कि आवेदक घरेलू उद्योग ने ***में अपना उत्पादन स्थगित किया था जब इसको ***एमटी की मालसूची का सामना करना पड़ा था। यह घरेलू उद्योग द्वारा धारित मालसूची का उच्चतम स्तर था। इस कारण से, प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस अनुरोध में सत्यता पाते हैं कि घरेलू उद्योग के पास अधिक भंडार था जिसने इसे उत्पादन को स्थगित करने के लिए बाध्य किया और न कि एचआईआईआर संयंत्र शुरु करने के लिए यह एक तकनीकी अपेक्षा थी।

125. किसी भी स्थिति में यदि यह मान भी लिया जाता है कि घरेलू उद्योग से एचआईआईआर का उत्पादन शुरु करने के उद्देश्य से उत्पादन को स्थगित करना अपेक्षित था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास ***एमटी का भंडार था जब उसने उत्पादन को स्थगित कर दिया। इस प्रकार घरेलू उद्योग इस सामग्री की आपूर्ति करने की स्थिति में था जब उसने उत्पादन स्थगित कर दिया था। घरेलू उद्योग की बिक्री को इस कारण से हानि नहीं हो सकती थी।

126. बिक्री के संबंध में, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया था कि यह प्रचालन के तीसरे वर्ष के लिए अनुमानित ***एमटी की तुलना में जांच की अवधि में केवल ***एमटी मात्रा की बिक्री करने में सक्षम था।

127. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग ने भारत में घरेलू मांग से अधिक उत्पादन किया है और तद्नुसार इसका अपने ही कारण से क्षति उठानी पड़ी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का उत्पादन ***एमटी था जिसमें कैप्टिव खपत के उद्देश्य से उत्पादन भी शामिल है। यदि कैप्टिव खपत के उद्देश्य से उत्पादन को बाहर कर दिया जाता है तब घरेलू उद्योग का उत्पादन जांच की अवधि के दौरान ***एमटी था जबकि जांच की अवधि के दौरान मांग ***एमटी थी। इस प्रकार, मर्चेंट बाजार के लिए घरेलू उद्योग का उत्पादन भारत में मांग से कम था।

128. इन अनुरोधों के संबंध में कि कैप्टिव खपत को क्षति के विश्लेषण के लिए निकाल दिया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति के विश्लेषण से कैप्टिव खपत को शामिल करना अथवा उसे बाहर रखना वर्तमान जांच में स्थापित तथ्यों के उद्देश्य को नुकसान नहीं पहुंचाता है। प्राधिकारी ने कैप्टिव खपत को शामिल कर और उसे बाहर रखकर इन मानदंडों की जांच की है।

ख) बाजार हिस्सा

129. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि यद्यपि इसके बाजार हिस्से में क्षति की अवधि के दौरान सुधार आया, फिर भी यह अभी भी उस बाजार हिस्से से बहुत अधिक हद तक कमतर था जो घरेलू उद्योग पाटित आयातों के नहीं होने की स्थिति में प्राप्त किए होते। घरेलू उद्योग का यह अनुरोध था कि यदि उसने उस सीमा तक मात्रा की बिक्री की होती, जिस सीमा तक उसेन उत्पादन किया था (कैप्टिव खपत को बाहर करने के बाद), यह तब भी ***% बाजार हिस्से को प्राप्त कर लिया होता। हालांकि घरेलू उद्योग देश में अपने उत्पाद की मांग नहीं होने के कारण केवल ***एमटी उत्पादन का निर्यात करने के लिए विवश था क्योंकि उपभोक्ता संबद्ध देशों से उसे प्राप्त कर रहे थे।

130. घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादन के तीसरे वर्ष तक ***% के बाजार हिस्से का अनुमान लगाया था। हालांकि, आवेदक ने वर्तमान अवधि में केवल ***% बाजार हिस्सा प्राप्त किया जिसे घाटे पर बिक्री कर प्राप्त किया गया था। इस प्रकार, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि इस उत्पाद का पाटन में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

ग) मालसूची

131. मौके पर सत्यापन के समय, घरेलू उद्योग ने विशिष्ट रूप से इस बात पर बल दिया कि घरेलू उद्योग के पास मालसूची का स्तर इतना अधिक हद तक बढ़ गया था कि आवेदक को उत्पादन को बंद करना पड़ा था। आवेदक ने अपने आवेदन, जिसमें माह-वार मालसूची का उल्लेख था, का उल्लेख किया। नीचे दी गई तालिका क्षति की अवधि के दौरान और जांच की अवधि के लिए माह-वार मालसूची के स्तर को दर्शाता है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के पास मालसूची के स्तर में ***एमटी तक वृद्धि हुई थी। यही समय था जब आवेदक उत्पादन बंद करने के लिए बाध्य था। उसके बाद मालसूची के स्तर में गिरावट आई थी। हालांकि, भंडार का अंतिम स्तर अभी भी बहुत अधिक है।

अवधि	**माल सूची (एमटी)**
2019-20	***
2020-21	***
2021-22	***
पीओआई	***

अप्रैल-22	***
मई-22	***
जून -22	***
जुलाई-22	***
अगस्त -22	***
सितंबर-22	***
अक्तूबर-22	***
नवंबर-22	***
दिसंबर 22	***
जनवरी-23	***
फरवरी-23	***
मार्च-23	***

घ) लाभप्रदता, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल

132. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिफल और नकद लाभ नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
लाभ/ (हानि)	लाख रु.	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-114	-236	-349
नकद लाभ	लाख रु.	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-114	-236	-263
निवेश पर प्रतिफल	%	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-25	-92	-125
प्रति इकाई लाभ/हानि	रु./एमटी	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-22	-40	-43

133. यह देखा जाता है कि (क) घरेलू उद्योग को क्षति की पूरी अवधि के दौरान वित्तीय हानि हुई है, और (ख) कुल घरेलू बिक्री पर हानि की सीमा इतनी अधिक थी कि कुल घरेलू बिक्री पर हुई हानि क्षति की अवधि के दौरान बढ़ती रही। अन्य शब्दों में, घरेलू उद्योग ने अधिक माल की बिक्री की परंतु अधिक हानि हुई।

134. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि घरेलू उद्योग को हुई प्रति इकाई हानि में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई। यह देखा जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में, प्रति इकाई हानि 2020-21 की तुलना में जांच की अवधि में बढ़ गई है। हालांकि यदि बिक्री कीमत का निर्धारण केवल अच्छे विनिर्देशन वाले उत्पादन के लिए किया जाता है और लागतों का समायोजन स्टार्ट-अप प्रचालनों के लिए किया जाता है तब यह देखा जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में प्रति इकाई हानि में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, घरेलू बिक्री पर हुई कुल हानि में वृद्धि हुई है। जब उत्पादन और घरेलू बिक्री में भी क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई, घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई हानि में वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग को अपेक्षाकृत अधिक बिक्री के साथ अपेक्षाकृत अधिक हानि हुई। इसके अलावा, क्षति की अवधि के दौरान प्रति इकाई हानि केवल इस कारण से गिरावट को दर्शाती है कि आधार वर्ष में लागतें और कीमतें स्टार्ट-अप प्रचालनों और विनिर्देशन से अलग उत्पाद की बिक्री के कारण प्रभावित हुई थी।

135. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह नोट किया है कि निर्यात बाजार में आवेदक को हानि विनिर्देशन से अलग वस्तुओं के निर्यात के कारण हुई थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा अच्छी विनिर्देशन वाले उत्पादों का भी किया गया निर्यात घाटे पर हुआ था। हालांकि, क्षति की जांच घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन के लिए की गई है और इस कारण से निर्यात बाजार में प्रदर्शन संगत नहीं है।

136. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि परियोजना रिपोर्ट के साथ तुलना वास्तविक क्षति के मामले में उपयुक्त नहीं है। हालांकि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि घरेलू उद्योग एक नया घरेलू उत्पादक है और उसने 2019-20 में ही उत्पादन शुरु किया और जांच की अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा की, यह उपयुक्त है कि क्षति की अवधि के दौरान वास्तविक प्रदर्शन पर विचार कर तथा इस उत्पाद के लिए लगाए गए अनुमानों के साथ उसकी तुलना, दोनों कर घरेलू उद्योग के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाए। वास्तविक

क्षति की जांच में अनुमान के साथ घरेलू उद्योग की लाभप्रदता की तुलना पर इस नियमावली के अंतर्गत कोई प्रतिबंध नहीं है।

137. इन अनुरोधों के संबंध में कि 2011 में बनाई गई परियोजना रिपोर्ट के साथ तुलना व्यापार के परिदृश्य, कच्चे माल की कीमतों ओर मांग-आपूर्ति की स्थिति में परिवर्तनों के कारण उपयुक्त नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक की मूल परियोजना रिपोर्ट 2011 में बनाई गई थी। हालांकि, बाजार के परिदृश्य और कच्चे माल की कीमतों में परिवर्तन के साथ, आवेदक ने परियोजना रिपोर्ट को दो बार संशोधित किया था। संशोधित अनुमानों जिसे क्षति की अवधि के ठीक पहले बनाया गया था, के साथ तुलना करने पर भी, घरेलू उद्योग का प्रदर्शन प्रतिकूल है। जबकि घरेलू उद्योग ने दूसरे संशोधित अनुमानों में लाभ, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर सकारात्मक प्रतिफल का अनुमान लगाया था, उसे वास्तव में वित्तीय हानि हुई है और इसने जांच की अवधि में लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस तर्क को भी नोट करते हैं कि अनुमानों में संशोधन अपने आप में इस उत्पाद के पाटन का परिणाम था जो विश्व में अधिक क्षमता और उसके फलस्वरूप विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण बाजार में शुरु हुआ था। इसके अलावा, नई क्षमताएं विकसित होने के साथ, विदेशी उत्पादकों ने अपनी मात्राओं को बनाए रखने तथा नए उत्पादकों के प्रवेश को रोकने के उद्देश्य से अनुचित प्रतिस्पर्धा और पाटन का सहारा लेना शुरु कर दिया।

138. इन अनुरोधों के संबंध में कि प्राधिकारी को हितधारकों का सत्यापन करना चाहिए जिसके लिए परियोजना रिपोर्ट का संशोधन तथा पत्राचारों की जांच करना अपेक्षित था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि परियोजना रिपोर्ट में संशोधन पाटनरोधी जांच के लिए इस आवेदन को प्रस्तुत करने के बहुत पहले हुआ था। इस प्रकार, स्टेकहोल्डरों की आवश्यकताओं के आधार पर परियोजना रिपोर्ट में संशोधन केवल व्यापारित उद्देश्य से हुई थी और ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इसे वर्तमान जांच के उद्देश्य से बनाया गया था। यदि ऐसा मान भी लिया जाता है कि ऐसे अन्य कारक थे जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे थे, यह अवश्य दर्शाया जाना चाहिए कि ऐसे अन्य कारकों का प्रभाव इतना अधिक है जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि पाटित आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले प्रमुख कारणों में से एक कारण नहीं है।

139. प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस तर्क को नोट करते हैं कि इसने प्रचालन के पहले वर्ष में ही लाभ अर्जित करने तथा ***वर्षों की पेबैक अवधि के अनुमानों के साथ इस संयंत्र को स्थापित किया था। जब इन परियोजनाओं को समय समय पर संशोधित भी किया गया था तब घरेलू उद्योग द्वारा बनाए गए बिल्कुल हाल के अनुमान भी यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को उत्पादन के प्रथम वर्ष में ही लाभ अर्जित हुआ होता और उसमें प्रचालन के तीसरे वर्ष तक वृद्धि हुई होती। वर्तमान मामले में, हालांकि घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन शुरु करने के बाद चाथे वर्ष में भी वित्तीय हानि हो रही है।

140. जैसाकि उपर्युक्त पैरा में नोट किया गया है, आयातों ने कीमत में वृद्धि को रोक दिया है जो पाटित आयातों के नहीं होने पर बाजार में हुआ होता। पाटित आयातों के नहीं होने की स्थिति में घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को इस उत्पाद की उचित कीमत के अनुसार रखा होता। हालांकि, घरेलू उद्योग इस माल की बिक्री उस कीमत पर करने के लिए बाध्य हुआ है जो काफी हद तक उचित कीमत से कम। उसके बाद, घरेलू उद्योग को बिक्री की लागत में वृद्धि की सीमा तक अपनी कीमतें बढ़ाने को रोका गया था।

ड.) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

141. चूंकि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन से संबंधित प्रारंभिक निर्धारण के बारे में आगे कोई अनुरोध नहीं प्राप्त हुआ है, प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों के पैरा 134-135 की पुष्टि करने का प्रस्ताव करते हैं।

च) विकास

142. चूंकि घरेलू उद्योग के विकास के संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकारों से कोई नया अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है, अत: प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणाम के पैरा 136 की पुष्टि करने का प्रस्ताव करते हैं।

छ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव

143. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रभावित नहीं हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है और आवेदक रूस तथा भारत में दो सबसे बड़े शेयरहोल्डर समूहों का एक संयुक्त उद्यम है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है, फिर भी घरेलू उद्योग को 2019-20 में उत्पादन के आरंभ होने के समय से *** करोड़ रु. की

संचयी हानि हुई है। घरेलू उद्योग ने नकद हानि और लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया है। इन हानियों में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

144. यदि आवेदक दो बड़ी कंपनियों का एक संयुक्त उद्यम भी है तब आवेदक एक स्वतंत्र कंपनी है और इसे हुई संचयी हानि बहुत अधिक है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।

ज) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

145. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि वैश्विक बाजार में अन्य मापदंड हैं, जिन्होंने कीमतों को प्रभावित किया है। हालांकि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन मार्जिन बहुत अधिक है जो दर्शाता है कि संबद्ध विदेशी उत्पादक उस कीमत पर बिक्री कर रहे थे जो सामान्य मूल्य से कम थी। इस प्रकार, कथित वैश्विक कारक घरेलू उद्योग को अलाभप्रद कीमतों पर बिक्री करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। घरेलू उद्योग को पाटन नहीं होने की स्थिति में तर्कसंगत रूप से लाभप्रद कीमतें प्राप्त हुई होती। यह भी नोट किया जाता है कि ये वैश्विक कारक भारतीय बाजार को चयनित रूप में प्रभावित कर सकते थे और विदेशी उत्पादकों का अपना बाजार ऐसे कारकों से अप्रभावित नहीं रह सकता था।

झ) पाटन का आकार

146. प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों में इस बात की पुष्टि करने का प्रस्ताव करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का बहुत अधिक पाटन हुआ है जिसने बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को नष्ट कर दिया है।

गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संपर्क

147. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों की क्षति, मात्रात्मक और कीमत प्रभावों की मॉजूदगी की जांच करने पर, प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति नियमावली के तहत सूचीबद्ध किए गए अनुसार पाटित आयातों को छोड़कर किसी अन्य कारक के कारण हो सकती है।

क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य

148. यह नोट किया गया है कि किसी अन्य देश से आयात नगण्य है। संबद्ध देशों से आयात भारत में आयातों का 97% है। अत: क्षति तीसरे देशों से आयातों के कारण नहीं है।

ख) मांग में संकुचन

149. विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग निरंतर बढ़ी है और जांच की अवधि के दौरान यह उच्चतम थी । संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग बढ़ते रहने की उम्मीद है । घरेलू उद्योग को मांग में संभावित संकुचन के कारण क्षति नहीं हुई है।

ग) खपत का पैटर्न

150. यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंच सकती हो ।

घ) प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ और व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

151. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियों अथवा व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियों का कोई साक्ष्य नहीं है जो घरेलू उद्योग को क्षति का दावा करने के लिए जिम्मेदार हों।

ड.) प्रौद्योगिकी में विकास

152. संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए एक नया संयंत्र स्थापित किया है।

च) उत्पादकता

153. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। अत:, घरेलू उद्योग को इस कारण कोई क्षति नहीं हुई है।

छ) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

154. यहां ऊपर जांच की गई क्षति संबंधी सूचना घरेलू उद्योग के घरेलू बाजार के अनुसार घरेलू उद्योग के निष्पादन से ही संबंधित है। इस प्रकार, हुई क्षति को घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के के कारण नहीं हो सकती ।

155. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग के गैर लाभकारी निर्यातों की जांच की जानी चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति आईआईआर

की बिक्री के लिए घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के निष्पादन के संबंध में सत्यापित सूचना सूचना के आधार पर है । अत: गैर-लाभकारी निर्यातों का प्रभाव वर्तमान जांच में संगत नहीं है।

ज) अन्य उत्पादों का निष्पादन

156. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर ही विचार किया है। अत:, उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

157. इन अनुरोधों के संबंध में कि घरेलू उद्योग परीक्षण उत्पादन को छूट अथवा निशुल्क आपूर्ति कर रहा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग 2020-21 से वाणिज्यिक मात्राओं घरेलू उद्योग में उत्पादन और बिक्री करता आ रहा है। ये मात्राएं परीक्षण बिक्री नहीं थी और निशुल्क नहीं दी गई थी। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का सत्यापन किया है और नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री वाणिज्यिक मात्राओं में थी और नमूना बिक्री नहीं थी। घरेलू उद्योग ने परीक्षण नमूनों के रूप में कुछ सामग्री भी दी थी। तथापि, यह प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए आंकड़ों का भाग नहीं बनते।

झ) उत्पाद और उत्पाद रेंज का अनुमोदन न होना

158. अन अनुरोधों के संबंध में कि घरेलू उद्योग को क्षति एचआईआईआर का अनुमोदन न होने जाने के कारण हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच आईआईआर के संबंध में घरेलू उद्योग के आयात और निष्पादन से संबंधित है। घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के निष्पादन पर विचार करते हुए क्षति विश्लेषण किया गया है। तथापि हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के मद्देनजर, प्राधिकारी ने ग्राहकों और उस अवधि को देखने के लिए जब से घरेलू उद्योग ने उत्पाद आरंभ किया, घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा की जांच की है ।

159. इन अनुरोधों के संबंध में कि घरेलू उद्योग को क्षति ग्राहकों द्वारा उत्पाद का अनुमोदन न किए जाने के कारण है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक की ग्राहक-वार बार-बार बिक्री क्षति की अवधि के दौरान विभिन्न पक्षकारों को काफी बिक्री मात्रा दर्शाती है ।

क्र. सं.	ग्राहक का नाम	नियमित खरीद शुरू करने का माह/वर्ष	बिक्री की कुल मात्रा
			पीओआई तक (केटी)
1	[जेके टायर्स	मार्च 2020	19.541

2	एमआरएफ लि.	जनवरी 2021	12.970
3	सिएट लि.	जून 2020	12.942
4	क्लास्कि इंडस्ट्री	अगस्त 2020	9.176
5	टीवीएस	जून 2020	5.587
6	रबड़ किंग	अक्टूबर 2020	4.838
7	अग्रवाल रबड़	अप्रैल 2019	4.156
8	जयम इंडस्ट्री	अप्रैल 2019	4.000
9	रालसन	मई 2019	2.881
10	एक्सल रबड़	मई 2020	2.116

160. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद रेंज के कारण क्षति के संबंध में, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और विदेशी उत्पादकों की उत्पाद रेंज की जांच की । यह देखा जाता है कि लगभग सभी विदेशी उत्पादकों ने केवल एक ग्रेड से संबंधित अधिकतर बिक्री सूचित की है। घरेलू उद्योग भारत में आयातित समान वस्तु का उत्पादन करता है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित न किया गया उत्पाद पहले ही विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग कर दिया गया है । इस प्रकार, क्षति घरेलू उद्योग के सीमित उत्पाद पोर्टफोलियो के कारण क्षति नहीं हो सकती है।

ञ.) कोविड-19 का प्रभाव

161. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को क्षति कोविड के कारण हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि में कोविड-19 के कोई प्रभाव नहीं थे और जांच की अवधि में कोविड-19 में कोविड के प्रभाव के संबंध में रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य नहीं रखे गये हैं।

ट) वैश्विक अतिक्षमताएं

162. इन अनुरोधों के संबंध में कि क्षति वैश्विक रूप से अधिक क्षमताओं के कारण है, प्राधिकरण ने नोट करते हैं कि (क) आवेदक भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है, (ख) भारत में कोई अतिक्षमता नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो, (ग) वैश्विक बाजार में अतिक्षमता को संबद्ध भारत में उन संबद्ध वस्तुओं का पाटन करने के लिए संबद्ध देशों में उत्पादकों के लिए औचित्य के रूप में नहीं माना जा सकता है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

ठ) संबंधित पक्षकारो से कच्ची सामग्री की खरीद

163. आरआईएल द्वारा बढ़ी हुई कीमतों पर कच्ची सामग्री के अंतरण और मेथानल से वसूली का कारक न होने के संबंध में, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा सूचित खपत कीमत का सत्यापन किया है। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया गया है कि दोनों पक्षकारों ने आस-पास की कीमतों पर उपर्युक्त लेन-देन को सूचित किए हैं। इसके अतिरिक्त,हितबद्ध पक्षकारों ने खुद ही यह तर्क दिया है कि एओए के प्रावधान कोई कीमत लगाने से आरआईएल और घरेलू उद्योग को कोई कीमत देने से रोकते हैं; तथा संयुक्त उद्यम भागीदार के पास उन लेन-देनों को रोकने की काफी शक्तियां हैं जो आस-पास की नहीं हैं।

ड) स्टार्ट-अप लागत और हाई ऑफ-स्पेसिफिकेशन उत्पादन

164. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग कम था और 2019-20 में नए संयंत्र के स्टार्ट-अप प्रचालन के कारण 2019-20 में आफ स्पैक सामग्री का काफी उत्पादन था क्योंकि संयंत्र में उत्पादन शुरू हो गया था तथा उत्पाद को काफी मात्रा में बेचा जा रहा था। वास्तव में, संयंत्र ने मार्च 2022 तक 1,24,683 मीट्रिक टन की संचयी मात्रा का उत्पादन किया था। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। इस प्रकार, प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग को स्टार्ट-अप लागत की क्षति 2019-20 में हुई थी, न कि 2022-23 में।

165. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की प्रति युनिट हानियां पूर्व वर्षों और आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में बढ़ी हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि, किसी भी नए उत्पादक की हानियां क्षमता उपयोग में वृद्धि से कम होती हैं, तथापि, यह स्थिति वर्तमान घरेलू उद्योग के मामले में नहीं है । इसके बजाए घरेलू उद्योग की हानियां पूर्ण दृष्टि से (प्रति युनिट आधार पर भी) बढ़ रही थी। इस प्रकार, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन में वृद्धि से हानिया बढ़ी हैं ।

166. नकद हानियां भी क्षति की अवधि में बढ़ी हैं और घरेलू उद्योग ने नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की है। जांच की अवधि में नकद हानियां उच्चतम थीं और नियोजित पूंजी पर आय इस अवधि में न्यूनतम रही है ।

कारणात्मक संबंध संबंधी निष्कर्ष

167. यद्यपि नियमावली के तहत सूचीबद्ध तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभिज्ञात कारक अन्य ज्ञात कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है, तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि

निम्नलिखित मानदंड यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है।

i. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का पाटन है।

ii. चूंकि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान उत्पादन शुरू किया, अत: क्षमता उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। तथापि, पाटन से उत्पादन क्षमताओं का इष्टतम उपयोग रूका है।

iii. यहां तक कि जब नए उत्पादन के परिणामस्वरूप आयात की मात्रा में गिरावट आई है, मात्रा काफी अधिक है और इसने घरेलू उद्योग को उसके उत्पादन और स्थापित क्षमताओं की सीमा तक बिक्री करने से रोका है।

iv. घरेलू उद्योग के निर्यात बाजारों को आपूर्ति करने और उसकी कैप्टिव खपत के लिए उपलब्ध कराने के बाद भी भारतीय मांग को पूरा करने की क्षमता होने के बावजूद आयातों का बाजार हिस्सा काफी रहा है।

v. घरेलू बिक्री के लिए उपयोग में लाई गई जांच अवधि के दौरान केवल 37% है। घरेलू उद्योग केवल कैप्टिव खपत और निर्यात बिक्री के कारण ही अपनी क्षमताओं का अधिकतर हिस्सा उपयोग में लाने में सक्षम रहा है।

vi. घरेलू उद्योग को अपनी मालसूची का निपटान करने के लिए हानियों पर निर्यात करने के लिए मजबूर था।

vii. आयातों ने कीमत वृद्धि रोकी है, जो अन्यथा हुई होती।

viii. घरेलू उद्योग को पूरी क्षति अवधि में भारी हानियां हुई हैं, और जांच की अवधि के दौरान इसकी हानियां बढ़ी हैं।

ix. घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित पूंजी पर आय और नकद प्रवाह इस अवधि में घटे हैं और नकारात्मक हैं।

x. यद्यपि घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों ने सकारात्मक वृद्धि दर्शाई, तथापि, लाभप्रदता मापदंडों में गिरावट आई।

xi. आयातों ने और अधिक पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित की है।

168. इस प्रकार, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध मौजूद है।

169. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद रेंज के कारण क्षति के संबंध में, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और विदेशी उत्पादकों के उत्पाद रेंज की जांच की। यह देखा जाता है कि प्राय: सभी विदेशी उत्पादकों ने केवल एक ग्रेड से संबंधित अधिकांश बिक्री की सूचना दी है। घरेलू उद्योग भारत में आयात किए गए उत्पादों के समान वस्तु पर उत्पादन करता है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन नहीं किए गए उत्पाद को पहले ही विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इस प्रकार, क्षति घरेलू उद्योग के सीमित उत्पाद पोर्टफोलियो के कारण नहीं हो सकती है।

170. बढ़ाई गई कीमतों पर आरआईएल द्वारा कच्चे माल के अंतरण और मिथानोल से रिकवरी पर विचार नहीं करने के संबंध में, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा सूचित की गई खपत कीमत का सत्यापन किया है। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि दोनों पक्षकारों ने स्वतंत्र कीमतों पर उक्त लेन-देन की सूचना दी है। इसके अलावा, विविध पक्षकारों ने स्वयं यह तर्क दिया है कि संघ के अंतरनियम के प्रावधान औरआईएल को किसी कीमत को वसूलने और घरेलू उद्योग को किसी कीमत का भुगतान करने से रोकता है और संयुक्त उद्यम दावेदार के पास उन लेनदेन को रोकने की पर्याप्त शक्तियां हैं जो स्वतंत्र रूप में नहीं की गई हैं।

ज. <u>क्षति मार्जिन का आकार</u>

171. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित इस नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है। संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमत का निर्धारण जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को लेकर किया गया है। क्षति रहित कीमत पर क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना करने पर विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए, क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल का सर्वोत्तम उपयोग, उपयोगिताएं और उत्पादन क्षमता पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी असाधारण अथवा अनावर्ती व्यय उत्पादन की

लागत में वसूला जाता है। विचाराधीन उत्पाद के लिए लगाई गई औसत पूंजी पर उचित प्रतिफल (कर-पूर्व 22% की दर से) (अर्थात औसत निवल निर्धारित परिसंपत्ति योग औसत कार्यशील पूंजी) की अनुमति इस नियमावली के अनुबंध-III में यथा-निर्धारित क्षति रहित कीमत तय तय करने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में दी गई थी और उसका अनुसरण किया जा रहा है।

172. सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत का निर्धारण निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर किया गया है। संबद्ध देशों से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत का निर्धारण किया है।

173. इस तर्क के संबंध में कि स्टार्ट-अप प्रचालनों के कारण, उच्च लागतों को सामान्य बनाया ही जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि वर्तमान मामला वास्तविक क्षति का मामला है अत: जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन की वास्तविक लागत पर विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर किया गया है।

174. इस तर्क के संबंध में कि लगाई गई पूंजी पर 22% प्रतिफल आवश्यक नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि लगाई गई पूंजी पर उचित प्रतिफल जो 22% है, के आधार पर घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने की प्राधिकारी की निरंतर कार्य-पद्धति है जिसमें यह शामिल नहीं है कि रिकॉर्ड पर जो साक्ष्य उपलब्ध है वह यह है कि 22% पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और कुछ अन्य आंकड़े अधिक उपयुक्त हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने *** वर्षों की पेबैक अवधि पर विचार किया था जिसका अभिप्राय *** की नियोजित पूंजी पर औसत प्रतिफल से है। प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल उस प्रतिफल से कम है जिस पर आवेदक द्वारा विचार किया गया और जो प्राधिकारी की निरंतर कार्य-पद्धति के अनुसार है।

175. ऊपर में निर्धारित पहुंच कीमत और क्षति रहित कीमत के आधार पर, उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया है और उसे नीचे तालिका में दिया गया है:-

उत्पादक	**क्षति रहित कीमत**	**पहुंच कीमत**	**क्षति मार्जिन**	**क्षति मार्जिन**	**क्षति मार्जिन**
	(यूएसडॉ./एमटी)	**(यूएसडॉ./एमटी)**	**(यूएसडॉ./एमटी)**	**(%)**	**(रेंज)**
सऊदी अरब					

अल-जुबैल पैट्रोकेमिकल कंपनी("केईएमवाईए")	***	***	***	***	15-25%
कोई अन्य	***	***	***	***	20-30%
सिंगापुर					
एक्सोन मोबिन एशिया पैसिफिक प्रा.लि./ एक्सोन मोबिल केमिकल एशिया पैसिफिक	***	***	***	***	40-50%
कोई अन्य	***	***	***	***	45-55%
संयुक्त राज्य अमेरिका					
ऐक्सोन मोबिल प्रोडक्ट साल्युशंस कंपनी	***	***	***	***	25-35%
कोई अन्य	***	***	***	***	30-40%
रूस					
कोई	***	***	***	***	75-85%
चीन					
अन्य	***	***	***	***	25-35%

झ. <u>भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे</u>

झ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध</u>

176. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रारंभिक जांच परिणामों को जारी किए जाने के बाद भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से प्रतिस्पर्धा पर रोक लगेगी, एकाधिकार उत्पन्न होगा और इसके फलस्वरूप प्रयोक्ताओं के लिए उच्चतर कीमतें होंगी।

ii. प्रयोक्ताओं को संभावित नुकसान की उपेक्षा करने के लिए औचित्य के रूप में सीमित प्रयोक्ता प्रतिक्रिया पर विश्वास करना सही नहीं है।

iii. प्रभाव का मूल्यांकन टायरों के बजाए ट्यूब और टायर क्यूरिंग ब्लेडर्स के संबंध में किया जाना है क्योंकि इस उत्पाद का उपयोग सीधे तौर पर टायरों में नहीं किया जाता है। यदि 30% शुल्क लगाया जाता है तब टायर इनरट्यूब की लागत 15% तक

बढ़ जाएगी। यदि 500 डॉलर औसत प्रति एमटी कीमत वृद्धि है तब केवल एसआरटीसी पर प्रभाव लगभग 1 करोड़ रु. प्रति वर्ष है।

iv. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से ट्यूब और टायर क्यूरिंग ब्लेडर्स के उत्पादन की लागत में वृद्धि होगी जिसके फलस्वरूप आशियान और कोरिया से टायर इनरट्यूब और ब्लेडर्स के आयातों में शून्य सीमा शुल्क पर वृद्धि होगी।

v. ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग का कार्य एमएसएमई क्षेत्र से करवाया जाता है और ऐसा क्षेत्र प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा क्योंकि यह 5% से कम लाभ मार्जिन पर कार्य करता है। इसके फलस्वरूप व्यापक स्तर पर बेरोजगारी होगी और फैक्टरी बंद होंगी।

vi ब्लेडर के उपयोग के लिए आवेदक द्वारा उत्पादन किए गए आईआईआर के उपयोग के फलस्वरूप ब्लेडर के जीवन-काल में 40% की हानि होगी। चूंकि यह सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है, अत: इसके फलस्वरूप संभावित दुर्घटनाएं हो सकती हैं जो टायर बनाने के दौरान मानव जीवन को हानि पहुंचा सकता है।

vii. चूंकि घरेलू उद्योग ने इस बात पर बल दिया है कि ब्लेडर में अनुप्रयोग मात्रा का केवल 10% है, किसी अपवर्जन पर प्रभाव भी बहुत कम होगा और इस प्रकार यह घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाएगा।

viii. प्रयोक्ताओं ने घरेलू उद्योग से विचाराधीन उत्पाद की घरेलू खरीद में वृद्धि की है और आयात कुल खरीद का केवल 20-30% है। हालांकि, प्रयोक्ताओं का घरेलू उत्पाद के संबंध में कुछ व्यापारी चिंताएं हैं।

ix. घरेलू उद्योग, घरेलू आपूर्ति पर अपनी कैप्टिव आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता है जो घरेलू उद्योग की एकाधिकार वाली प्रवृत्तियों को दर्शाता है और यह भी दर्शाता है कि प्रयोक्ता को इस उत्पाद की सीमित उपलब्धता के कारण उच्च लागतों का सामना करना पड़ सकता है।

x. इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि प्रयोक्ता को घरेलू उद्योग के उत्पादन में किसी रुकावट की स्थिति में हानि उठानी पड़ सकती है। संबद्ध देशों में उत्पादक अपनी आपूर्ति अन्य वैश्विक बाजारों को किए होते। गैर-संबद्ध देशों से आयात भी

एक विकल्प नहीं है क्योंकि जापान में सीमित क्षमता के कारण भारत को आईआईआर का निर्यात करना बंद कर दिया है जबकि आस्ट्रेलिया और बेल्जियम ने निर्माण सुविधाएं बंद कर दी हैं।

xi. घरेलू उद्योग के इस तर्क के ठीक विपरीत कि फीड-स्टॉक संयंत्र को स्थापित करने के संबंध में बहुत अधिक मात्रा में निवेश किया गया है, आरआईएल का पहले से ही एक मिथाईल टरसरी बुटाइल इथर (एमटीबीई) सुविधा थी और केवल निवेश मिथाईल टरसरी बुटाइल इथर (एमटीबीई) को हाई प्युरिटी आइसोबुटाइलीन (एचपीआईबी) में परिवर्तन तक सीमित था।

झ.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध</u>

177. घरेलू उद्योग ने प्रारंभिक जांच परिणामों को जारी किए जाने के बाद भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. आवेदक भारत में आईआईआर का उत्पादन शुरु करने वाला पहला उत्पादक है। आईआईआर के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी नि:शुल्क रूप से उपलबध नहीं थी और बहुत अधिक बाधाओं का सामना आवेदक द्वारा भारत को उच्च प्रौद्योगिकी लाने के लिए किया गया है।

ii. जबकि यह परियोजना लाभप्रद थी जब परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी, वैश्विक स्तर पर उत्पादकों ने भारत में इस उत्पाद का पाटन शुरु कर दिया जिसके फलस्वरूप आईआईआर और एचआईआईआर की कीमतों में तीव्र गिरावट आई। बहुत अधिक निवेश करने के बाद स्थापित परियोजना भारत में गहन पाटन के कारण गैर-अर्थक्षम हो गई है।

iii. उपभोक्ता पाटनरोधी के लगाए जाने से चिंतित नहीं हैं क्योंकि केवल सीमित उपभोक्ताओं उत्तर प्रस्तुत किया है। जबकि एटीएमए ने भाग लिया है, उपभोक्ता इस जांच के बारे में पूरी तरह से अवगत थे परंतु पाटनरोधी शुल्क के लगाए जाने के किसी प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाने के उद्देश्य से ईआईक्यू का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

iv. जबकि भारत में एसबीआर की कोई आपूर्ति नहीं हुई थी और पाटनरोधी शुल्क क्षमताओं को स्थापित किए जाने के बाद एसबीआर के आयातों पर लगाया गया था। इसके फलस्वरूप, भारत इस उत्पाद में आत्मनिर्भर बन गया था। इसी प्रकार का शुल्क इस वर्तमान मामले में भी अपेक्षित है, विशेषकर क्योंकि आईआईआर का निर्माण करने की प्रौद्योगिकी को निकटता से देखा जाता है।

v. टायर उद्योग का 2029 तक 256.24 मिलियन की मात्रा तक पहुंचते हुए 5.54% का सीएजीआर है। टायर के एक लघु कच्चे माल पर शुल्क लगाए जाने का क्षतिकारक प्रभाव नहीं पड़ता।

vi आवेदक द्वारा स्थापित ये क्षमताएं भारत में दीर्घ अवधि की मांग को ध्यान में रखकर हैं। भारत में क्षमताएं भारत में समग्र मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

vii. वैश्विक स्तर पर संबद्ध वस्तुओं के केवल 10 उत्पादक हैं। भारत में घरेलू उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है। यदि घरेलू उद्योग अपने संयंत्र बंद कर देते हैं तब उपभोक्ताओं को पूर्ण रूप से आयातों पर निर्भर होना पड़ेगा।

viii. भारतीय उत्पादकों के विपरीत, सिंगापुर जैसे देशों में उत्पादकों के पास वास्तव में बिना किसी घरेलू खपत के उत्पादन सुविधाएं हैं और ऐसी क्षमताओं का उद्देश्य केवल निर्यात करना है।

ix. इस परियोजना की अवधारण के समय से, आईआईआर के लिए प्रमुख कच्चे माल पर डेल्टा बहुत अधिक था। घरेलू उत्पादन की स्थापना के कारण ऐसे डेल्टा में गिरावट आई है।

x. यदि घरेलू उत्पाद को आयात किए गए उत्पादों की तुलना में ज्यादा पसंद किया जाता है तब बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा को संरक्षित रखा जाएगा और यह भुगतान के अनुकूल संतुलन के प्रति एक कदम होगा।

xi. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग को अपनी लागत वसूल करने, लाभप्रद कीमतों पर बिक्री करने और बाजार में बने रहने की अनुमति मिलेगी।

xii. आत्म निर्भर भारत को बढ़ावा देने में इस देश की कल्पना और लक्ष्य इस देश में हो रहे पाटन का निवारण करने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है।

xiii. घरेलू उद्योग से खरीद करने के फलस्वरूप बाजार में सही कीमतों की स्थिरता, बिना किसी बाधा के आपूर्ति, डाउनस्ट्रीम उद्योग का विकास और प्रयोक्ताओं के लिए एक विश्वसनीय व्यापारिक साझेदार बनेगा।

xiv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के विपरीत, यह प्रभाव अंतिम उत्पाद के आधार पर ही होना चाहिए क्योंकि ट्यूब के निर्माता लागत में वृद्धि को नहीं सहन करेंगे बल्कि कीमत में वृद्धि अपने उपभोक्ताओं पर डालेंगे। प्रयोक्ताओं ने अनुरोध किया है कि इस उत्पाद की कीमतें कच्चे तेल की कीमतों के अनुरूप अलग अलग है और इस कारण से ऐसे प्रयोक्ता कीमत में उतार-चढ़ाव के अभ्यस्त हैं।

xv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इन अनुरोधों के विपरीत, उत्पादक के ट्यूब का राजस्व 100 करोड़ों से भी अधिक है और ये एमएसएमई के नहीं हैं।

xvi. यदि कैप्टिव खपत पर विचार भी किया जाता है तब घरेलू उद्योग के पास भारत में समग्र मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है।

xvii. संबद्ध देशों में उत्पादक अपने उत्तर के अनुसार अनुचित कीमत निर्धारण व्यवहार में लिप्त हैं। इस कारण से, यह शुल्क बाजार में किसी अनुचित कीमत निर्धारण के प्रभाव को निष्क्रिय करने के सीमित उद्देश्य को ही पूरा करेगा।

xviii. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के फलस्वरूप बाजार में एकाधिकार उत्पन्न होगा क्योंकि यह भारत में आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। इस मामले में भी, घरेलू उद्योग ऐसे व्यवहार में लिप्त है, प्रयोक्ता भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग तक पहुंचने के लिए स्वतंत्र हैं।

झ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

178. इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के फलस्वरूप एकाधिकार और प्रयोक्ताओं के लिए उच्चतर कीमतें होंगी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाना केवल यह सुनिश्चित करता है कि भारत में उचित कीमतें निर्धारित हों और यह

आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर सीमित संख्या में उत्पादक हैं और प्रमुख रूप से संबद्ध देशें में सभी उत्पादकों ने वर्तमान जांच में भाग लिया है। प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारित निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों के आधार पर और न कि उपलब्ध तथ्यों के अनुसार किया है। ऐसी स्थिति में, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में उचित बाजार कीमतें सुनिश्चित होंगी।

179. विचाराधीन उत्पाद की कीमतें घरेलू उत्पादन के शुरु होने के पहले भारत में उच्चतर थी। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में पाटन की अनुचित कार्य-पद्धति का निवारण होगा और सभी उत्पादकों के लिए यह समान अवसर सुनिश्चित करेगा।

180. आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) उत्तर एमआरएफ लिमिटेड और सीएट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। प्राधिकारी यह मानते हैं कि इन उत्तरों को प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई समय सीमा के समाप्त होने के बाद बहुत देर से प्रस्तुत किए गए थे। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि एटीएमए प्राधिकारी द्वारा किए जा रही विभिन्न जांचों में भाग लेता रहा है और यह स्वयं पाटन और सब्सिडी कानूनों के अंतर्गत राहत मांग करने वाला एक आवेदक रहा है। इस कारण से, कार्यवाहियों के ऐसे विलंबित चरण में प्रस्तुत किए गए ईआईक्यू के उत्तर को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह भी नोट किया जाता है कि ऐसे विलंबित उत्तर के लिए कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं दिए गए हैं। इस कारण से, प्राधिकारी ने एमआरएफ लिमिटे और सीएट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए ईआईक्यू को स्वीकार नहीं किया है। हालांकि यह नोट किया जाता है कि ईआईक्यू किसी भी तरह से ऐसा कुछ भी सिद्ध नहीं करता है जो वर्तमान मामले में स्थापित तथ्यों में किसी परिवर्तन को आवश्यक बनाए।

181. जहां तक बेल्जियम और आस्ट्रिया से आयातों के संदर्भ का प्रश्न है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयात का आंकड़ा इन देशों से आयातों को दर्शाता है। यह मानना उपयुक्त है कि इन देशों से सामग्री की आपूर्ति की है। हालांकि, प्राधिकारी ने इन पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर ध्यान दिया है कि इन देशों के पास कोई उत्पादन क्षमताएं नहीं हैं। हालांकि प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह वर्तमान प्रकटन विवरण में स्थापित आवश्यक तथ्यों को नुकसान नहीं पहुंचाता है।

182. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने टायरों के एक सैट के रूप में उपयोग किए जाने वाले ट्यूबों की कीमत पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा का उल्लेख किया है। विरोधी

हितबद्ध पक्षकारों ने ट्यूब की लागत और कीमत पर शुल्क के प्रभाव की मात्रा का उल्लेख किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का अधिकांश रूप से उपयोग ट्यूब के उत्पादन में किया जाता है। उपभोक्ताओं द्वारा दी गई सूचना दर्शाती है कि आईआईआर के कारण लागत ट्यूब में अधिक है। हालांकि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ट्यूब का अनिवार्य रूप से उपयोग टायरों के साथ किया जाता है जबकि टायरों का उपयोग ट्यूब के बिना किया जाता सकता है। इसके अलावा, अधिकांश ट्यूब की बिक्री टायरों के साथ की जाती है। यह नोट किया जाता है कि ट्यूब के कारण लागत टायर, ट्यूब और फ्लैप के सैट की कीमत की तुलना में बहुत कम है। इस प्रकार, जहां तक अंतिम उत्पाद में आईआईआर की खपत का प्रश्न है, आईआईआर के कारण लागत टायर सैट की समग्र लागत का एक छोटा सा हिस्सा बनता है। यद्यपि, विचाराधीन उत्पाद के कारण लागत ट्यूब की कीमत में बहुत अधिक हिस्सा बनता है।

183. रिकॉर्ड पर यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के फलस्वरूप भारत में एकाधिकार उत्पन्न होगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी अनेक जांच रही हैं, जहां पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है, यद्यपि देश में एकमात्र उत्पादक और भारत से बाहर एकमात्र आपूर्ति करने वाला देश था। ऐसी स्थिति में बाजार की एकाधिकारवाद की कोई शिकायतें नहीं थी। किसी भी मामले में प्रयोक्ता प्रतिस्पर्धा आयोग तक पहुंचने के लिए स्वतंत्र हैं यदि घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धारोधी व्यवहार में लिप्त होता है अथवा अंतरिम समीक्षा की मांग करता है। यदि हितबद्ध पक्षकार यह पाते हैं कि कीमतें अतार्किक हैं।

184. इस तर्क के संबंध में कि प्रयोक्ता की प्रतिक्रिया नहीं होने पर किया गया विश्वास सही नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच की शुरुआत की गई थी और उसे इस उत्पाद के प्रयोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था। चूंकि प्रयोक्ता संघ (एटीएमए) ने वर्तमान जांच में भाग लिया है, यह तर्कसंगत रूप से आशा की जाती है कि इस उत्पाद के प्रयोक्ता को जांच की जानकारी थी। प्रयोक्ता को अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के किसी प्रतिकूल प्रभाव को रिकॉर्ड पर रखने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए थे। हालांकि, सीमित संख्या में प्रयोक्ताओं ने वर्तमान जांच में आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और ये उत्तर इस उत्पाद के प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बड़े प्रभाव को सिद्ध नहीं करता है।

185. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि प्रभाव का मूल्यांकन ट्यूब पर और न कि टायरों पर किया जाना है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस उत्पाद का उपयोग ट्यूब का निर्माण करने के लिए किया जाता है, जिसका आगे उपयोग टायरों के साथ किया जाता है। इसके अलावा, ट्यूब अपने आप में टायरों की कीमत का एक छोटा हिस्सा है।

186. प्रयोक्ताओं ने यह उल्लेख किया है कि विचाराधीन उत्पाद की कीमत कच्चे तेल की कीमत पर आधारित है और चूंकि कच्चे तेल की कीमत घटती बढ़ती रहती है, आईआईआर की कीमत भी नियमित रूप से घटती-बढ़ती रहती है और इस तरह की अस्थिरता भारत में प्रयोक्ताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करती है। विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमतों में लगभग 50% तक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के मामले में कीमत में वृद्धि (अच्छी विनिर्देशन वाली सामग्री के लिए) लगभग 45% थी। डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कीमत में वृद्धि के किसी सतत प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाने के लिए यह पर्याप्त था। हालांकि यह देखा जाता है कि न तो खपत में गिरावट आई है और नही घरेलू उद्योग ने आईआईआर की कीमत में वृद्धि के किसी प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाया है। इस कारण से, प्राधिकारी यह मानते हैं कि डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रतिकूल प्रभाव को सिद्ध नहीं किया गया है। तद्नुसार, प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों में पैरा 161 की पुष्टि करने का प्रस्ताव करते हैं।

187. इस तर्क के संबंध में कि डाउनस्ट्रीम उद्योग एमएसएमई का एक हिस्सा है और इसे पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण हानि होगी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड पर साक्ष्य के अनुसार, विनिर्माता बड़ी कंपनियां हैं और एमईएमएस क्षेत्र का हिस्सा नहीं बनता है। उत्तर देने वाले प्रयोक्ता उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्ट यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग की तुलना में बहुत बड़ी कंपनियां हैं जिसका बहुत अधिक निवेश और कारोबार है। इन कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट प्रयोक्ता उद्योग द्वारा अर्जित निरंतर लाभ को दर्शाता है। किसी भी स्थिति में पाटनरोधी शुल्क लगाना भारत में उचित कीमतों को केवल सुनिश्चित करेगा और यह किसी भी उद्योग चाहे वह एमएसएमई हो अथवा कोई अन्य के हित पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव नहीं डालेगा।

188. इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के फलस्वरूप ट्यूब की लागत में वृद्धि होगी और ऐसे उत्पादों का आयात होगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसके संबंध में रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। क्षति की अवधि के दौरान आईआईआर की आयात कीमतों में 50% वृद्धि होने के बावजूद, प्रयोक्ता उद्योग ने या तो डाउनस्ट्रीम उद्योग पर

अथवा व्यापक रूप से आम जनता पर प्रतिकूल प्रभाव को नहीं दर्शाया है। दूसरी ओर, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संभवत: अनुचित व्यापार कार्य-पद्धतियों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति का निवारण किया जाएगा।

189. सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए इस उत्पाद के उपयोग के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने भारत में तथा निर्यात बाजार में विचाराधीन उत्पाद की पहले ही आपूर्ति की है और वह भी पर्याप्त मात्राओं में की गई है तथा अपेक्षाकृत लंबी अवधि तक की गई है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य नहीं रखा है कि सुरक्षा संबंधी पहलुओं से घरेलू उद्योग के उत्पाद के उपयोग के कारण समझौता किया गया। सत्यापन के समय, घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया कि आरंभ से उनके द्वारा बेची गई संचयी उत्पादन लाखों ट्यूब का उत्पादन किया होता और प्रयोक्ता उद्योग द्वारा सुरक्षा संबंधी खतरे की सूचना दी गई थी।

190. इस तर्क से संबंध में कि घरेलू उद्योग मर्चेंट बाजार की तुलना में अपनी निजी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास घरेलू बाजार तथा कैप्टिव खपत को पूरा करने के लिए 1,20,000 एमटी की कुल क्षमता है। घरेलू उद्योग द्वारा एचआईआईआर के लिए स्थापित क्षमता लगभग 60,000 एमटी है। जबकि एचआईआईआर के आयातों की समानांतर पाटनरोधी जांच चल रही है, यदि अनुमानित प्रदर्शन पर विचार भी किया जाता है, तब प्राधिकारी नोट करते हैं कि एचआईआईआर के लिए घरेलू उद्योग की अनुमानित क्षमता उपयोग ***% है। चूंकि आईआईआर और एचआईआईआर के बीच परिवर्तनकारक 1:1 है, घरेलू उद्योग के पास लगभग ***एमटी की अतिरिक्त क्षमताएं हैं जो भारत में मांग का 97% तक पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क को लगाए जाने के फलस्वरूप भारत में संबद्ध वस्तुओं की अनुपलब्धता नहीं होगी।

191. इस तर्क के संबंध में कि आरआईएल के पास पहले ही मिथाइल टरसरी बुटाइल इतर (एमटीबीई) सुविधा थी और उच्च शुद्धता वाली आइसोबुटाइलीन (एचपीआईबी) में परिवर्तन के लिए सीमित निवेश किया गया है, प्राधिकारी मौके पर सत्यापन के समय घरेलू उद्योग के इस अनुरोध को नोट करते हैं कि आरआईएल में अप-स्ट्रीम उत्पाद में *** करोड़ रु. का निवेश किया है। यह राशि मामूली नहीं है। किसी भी स्थिति में प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान जांच आईआईआर के पाटन और आईआईआर के संबंध में और न कि फीडस्टॉक के

संबंध में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन के संबंध में हुई है। अत:, फीडस्टॉक में निवेश वर्तमान जांच के संगत नहीं है।

192. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि आयातों के अन्य स्रोत गैर-अर्थक्षम हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2019-20 में आयातों का 20% गैर-संबद्ध स्रोतों से हुआ था। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के पास भारत में समग्र मांग को पूरा करने के लिए क्षमता है।

193. प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि यह आवश्यक है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू निर्माण को संरक्षण प्रदान किया जाए। विचाराधीन उत्पाद की कीमतें घरेलू उत्पाद से शुरु होने के पूर्व अपेक्षाकृत अधिक थी। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि इसे बहुत अधिक हानि हुई है और इसने लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया है और यह संयंत्र ऐसी स्थिति में गैर-अर्थक्षम हो सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि, घरेलू उद्योग द्वारा प्रचालनों को बंद किए जाने की स्थिति में, प्रयोक्ता पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर हो जाएंगे।

ञ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

प्राधिकारी ने 21 जून, 2024 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को केन्द्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों वाले प्रकटन विवरण को परिचालित किया। प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की जांच उस सीमा तक की है, जिस सीमा तक उसे संगत माना गया। कोई भी अनुरोध जो पूर्व के अनुरोध को केवल फिर से प्रस्तुत किया गया था और जिसकी समुचित रूप से जांच प्राधिकारी द्वारा की गई थी, को संक्षिप्तता के वास्ते दोहराया नहीं गया है।

ञ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दृष्टिकोण

194. अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रकटीकरण के बाद निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं।

i. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है।

ii. चूंकि प्रारंभिक जांच परिणामों को वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, उस पर कोई विश्वास नहीं किया जाना चाहिए।

iii. उत्पाद के अपवर्तन के संबंध में एटीएमए द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियों को विलंबित नहीं माना जा सकता है क्योंकि उन्हें प्रारंभिक जांच परिणामों के जारी किए जाने और मौखिक सुनवाई के पूर्व प्रस्तुत किया गया था। विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र को विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन अधिसूचना में अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वह एक राजपत्र दस्तावेज नहीं है और प्रारंभिक जांच परिणामों में भी, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र को अनंतिम रूप से निर्धारित किया गया है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार के हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है क्योंकि उन्हें उत्पाद के अपवर्तन के लिए अनुरोध करने हेतु उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय दिये गए थे।

iv. ब्लेडर अनुप्रयोग के लिए आईआईआर के अपवर्जन और तकनीकी विवरण के लिए अनुरोध एक्सोन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत किए गए ईक्यूआर में किया गया था।

v. विचाराधीन उत्पाद के विशिष्ट ग्रेड का आयात टायर प्यूरिंग ब्लेडर का निर्माण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए संबद्ध वस्तुओं के नियमित ग्रेड की गुणवत्ता की दृष्टि से और अनुपयुक्तता के कारण एटीएमए के सदस्यों द्वारा आयात किया गया है।

vi. प्राधिकारी ने एक ग्राहक को बिक्री तथा ब्लेडर के अनुप्रयोग के लिए इसके संतोषजनक फीडबैक पर विश्वास किया है। आवेदक ने भारत में प्रमुख ओईएम, जो ब्लेडर के लिए आईआईआर का उपयोग करते हैं, से संपर्क नहीं किया है जो इस उत्पाद की अनुपयुक्तता को दर्शाता है। आवेदक अपवर्जन अनुरोधों को नहीं मानने के लिए गैर महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के वास्ते ब्लेडर के निर्माण के लिए आईआईआर की कम मात्रा की आपूर्ति की होगी। प्राधिकारी को क्रेता द्वारा खरीदी गई मात्रा; डेटा का आकार और ब्लेडर के निर्माण की इसके कार्यकलाप; खरीदी गई मात्रा का वास्तविक उपयोग; क्षति की अवधि के दौरान ऐसी खरीद की निरंतरता और जांच की अवधि; क्रेता द्वारा निर्मित ब्लेडरों के प्रकार और आकारों की अवश्य जांच करनी चाहिए।

vii. चूंकि विशिष्ट ग्रेडों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर नहीं किया जा सकता है, प्राधिकारी को इस तथ्य की अवश्य जांच करनी चाहिए कि क्या नियमित और विशेष ग्रेड "समान वस्तु" हैं। एक्सोन मोबिल ने अपेक्षित उत्पादन सुविधाओं में अंतर का विवरण और उनके कारण दिए हैं कि क्यों आवेदक उसका निर्माण करने में सक्षम नहीं है।

viii. एक्सॉनमोबिल समूह ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के पास डंप की गई वस्तु के रूसी उत्पादक/निर्यातकों के साथ अपने अंतर्निहित संबंधों के कारण एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने के लिए याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं था, और इसलिए, जांच शुरू से ही समाप्त कर दी जानी चाहिए थी।

ix. विवाद हमेशा रिलायंस से याचिकाकर्ता द्वारा HPIB और ऊर्जा की किसी भी संबंधित पार्टी खरीद को वीटो करने के लिए SIBUR की शक्ति के बारे में रहा है, न कि क्या SIBUR याचिकाकर्ता को उसके द्वारा पहचाने गए स्रोत से HPIB खरीदने के लिए मजबूर कर सकता है। रिलायंस के साथ आइसोब्यूटिलीन आपूर्ति अनुबंध तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि एसआईबीयूआर याचिकाकर्ता के एओए के संदर्भ में अपनी मंजूरी नहीं देता है जो इसके व्यवसाय के संचालन और इसके आंतरिक मामलों के प्रबंधन को नियंत्रित करता है। यह प्रमुख इनपुट और ऊर्जा की याचिकाकर्ता की खरीद पर SIBUR के नियंत्रण को दर्शाता है।

x. विनिर्दिशन शीट, मासिक उत्पादन और मालसूची के आंकड़े जिन्हें अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ बाद के चरण में साझा किया गया था, की अवश्य उपेक्षा की जानी चाहिए।

xi. प्राधिकारी द्वारा उपयोग किए गए एक दूसरे के स्थान पर का अभिप्राय स्पष्ट नहीं है। इस तथ्य को स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि क्या आवेदक के संयंत्र और मशीनरी का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर अलग अलग ग्रेडों का उत्पादन करने के लिए किया जा रहा है अथवा क्या प्रयोक्ता ट्यूब और ब्लेडरों का उत्पादन करने के लिए एक दूसरे के स्थान पर उसी श्रेणी का उपयोग कर रहे हैं।

xii. आइसोबुटाइलीन आपूर्ति संविदा को एसआईबीयूआर के अनुमोदन के बिना लागू नहीं किया जा सकता है। यह प्रमुख इनपुट और ऊर्जा की खरीद पर नियंत्रण को दर्शाता है।

xiii. प्राधिकारी ने आवेदक और रूस के उत्पादक के सहयोगी प्रयासों की जांच करने में रूस से आयातों की मात्रा में गिरावट पर विचार नहीं किया है। जांच की अवधि के पिछली दो तिमाहियों में रूस से कोई आयात नहीं हुआ था।

xiv. एक ही समय में निर्यातकों की अलग अलग कीमतों को दर्शाने वाला आयात आंकड़ों का अगोपनीय रूपांतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किया जाना चाहिए।

xv. परियोजना रिपोर्ट का विश्लेषण प्रारंभिक जांच परिणामों में प्राधिकारी की इस जांच का खंडन करते हैं कि वर्तमान जांच में कोई वास्तविक शिथिलता नहीं है। चूंकि इस दावे को प्रकटन चरण में फिर से प्रस्तुत किया गया, अत: अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका खंडन करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए।

xvi. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में विनिर्देशन से अलग सामग्री का 10-20% बिक्री की है, यह दर्शाता है कि आवेदक की उत्पादन प्रक्रिया अब भी अस्थिर है, और इस प्रकार विनिर्देशन से अलग होने के कारण क्षति को अलग अलग किया जाना चाहिए और गैर-आरोपण विश्लेषण में उस पर विचार किया जाना चाहिए।

xvii. कोविड, स्टार्ट-अप संबंधी मुद्दों, वैश्विक स्तर पर अत्यधिक क्षमताएं, फीडस्टॉक की कीमतों में परिवर्तन, उत्पादों का अनुमोदन देने में विलंब और उत्पाद ग्रेडों की सीमित रेंज तथा आईआईआर और एचआईआईआर संयंत्रों के एकीकरण जैसे कारकों के कारण क्षति अलग अलग की जानी चाहिए।

xviii. प्राधिकारी न पिक एंड चूज दृष्टिकोण अपनाया है क्योंकि प्राधिकारी ने वर्तमान मामले को वास्तविक क्षति के मामले के रूप में विचार करते हुए तिमाही आधार पर कच्चे माल का ईष्टतम उपयोग, उपयोगिताओं और क्षमताओं पर विचार नहीं किया है लेकिन उन्होंने परियोजना रिपोर्ट की तुलना वास्तविक प्रदर्शन से की है। प्राधिकारी ने पीयू लैदर से संबंधित जांच में तिमाही आधार पर कच्चा माल का ईष्टतम उपयोग, उपयोगिताओं और क्षमताओं पर विचार, यद्यपि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि से दो वर्ष पूर्व उत्पादन शुरु किया।

xix. जबकि प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव किया है कि मात्रा संबंधी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, मौखिक सुनवाई के दौरान घरेलू उद्योग के अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि घरेलू उद्योग को केवल कीमत संबंधी क्षति हो रही है।

xx. यह निष्कर्ष कि घरेलू बिक्री में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि से कम थी, इस तथ्य के आलोक में सही नहीं है कि आयातों की मात्रा में गिरावट आई है। वर्तमान मामले में मात्रा संबंधी कोई क्षति नहीं हुई है।

xxi. यह निष्कर्ष कि घरेलू उद्योग आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के उद्देश्य से कमतर कीमतों पर बिक्री करने के लिए विवश था, सही नहीं है क्योंकि कीमत में कटौती नकारात्मक

है। घरेलू उद्योग को क्षति पहुंच कीमत से कम कीमतों पर बिक्री करने के उसके अपने निर्णय के कारण है।

xxii. प्राधिकारी को क्षति के निर्धारण के लिए विश्लेषण की अवधि के संबंध में एकमात्र दृष्टिकोण बनाए रखना है। जबकि प्राधिकारी ने कीमत ह्रास/न्यूनीकरण के निर्धारण के लिए 2019-20 को बाहर रखा है, इसे क्षति के निर्धारण में शामिल किया गया है।

xxiii. प्राधिकारी को ह्रास/न्यूनीकरण के लिए 2020-21 को भी निकाल देना चाहिए क्योंकि लागत और कीमत कोविड-19 और विनिर्देशन से अलग सामग्री से अधिक उत्पादन के कारण इस वर्ष में असामान्य था। यदि 2020-21 पर विचार भी किया जाता है तब कोई ह्रास नहीं हुआ है क्योंकि पहुंच कीमत में घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में वृद्धि की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है।

xxiv. जबकि संबद्ध आयातों की मात्रा 2019-20 में अधिकतम थी और इस अवधि में कोई ह्रास नहीं हुआ था, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि जांच की अवधि में आयातों की कमतर मात्रा घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों को बढ़ाने से रोक सकता है।

xxv. घरेलू उद्योग ने निर्यात बाजारों में कोई कीमत न्यूनकारी प्रभाव नहीं होने के बावजूद घाटे पर निर्यात किया और इस प्रकार यह जांच की कि घरेलू उद्योग की कीमतों का घरेलू बाजार में ह्रास हुआ था, सही नहीं है।

xxvi. कोविड के प्रतिकूल प्रभाव को घरेलू उद्योग द्वारा दिनांक 30 सितंबर, 2022 की 10वीं वार्षिक आम सभा में स्वीकार किया गया है।

xxvii. यह कथन कि एचआईआईआर और आईआईआर संयंत्र पूरी तरह से अलग हैं, सही नहीं है।

xxviii. रूस की कीमत की प्रवृत्तियां जिस पर प्राधिकारी द्वारा विश्वास किया गया है, सही नहीं हैं और उसकी फिर से जांच की जानी चाहिए।

xxix. घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है क्योंकि परियोजना रिपोर्ट के संशोधन का वर्ष और मासिक उत्पादन का अगोपनीय रूपांतर साझा नहीं किया गया है।

xxx. निवेश पर 22% प्रतिफल पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह घरेलू उद्योग के हाल के प्रतिफल और न कि अनुमानित प्रतिफल पर आधारित होना चाहिए।

xxxi. अनेक उपभोक्ता कम कीमत वाले पैसेंजर वाहनों के लिए ट्यूब की खरीद करते हैं। इस उत्पाद का उपयोग वाणिज्यिक वाहनों में किया जाता है और सामान्य तौर पर ट्रक अथवा बसों के लिए टायरों को लगभग 7 बार टायरों के जीवन-काल में रिथ्रेड किया जाता है और

ट्यूब को बदला जाता है। पाटनरोधी शुल्क लगाना इन ट्यूबों की लागत में वृद्धि करेगा, जो प्रत्यक्ष उपभोक्ताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।

xxxii. प्राधिकारी ने आइआईआर के प्रयोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए ईआईक्यू के उत्तरों की प्रभाव के विश्लेषण के वास्ते उपेक्षा की है।

xxxiii. यह जांच परिणाम भी विचाराधीन उत्पाद की कीमतें घरेलू उत्पादन के शुरु होने के पूर्व उच्चतर थी, त्रुटिपूर्ण और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के प्रतिकूल है।

xxxiv. आवेदक का संबंध आरआईएल ग्रुप से है, जिसने ऐतिहासिक रूप से बाजार में एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न करने और बाजार का बड़ा हिस्सा प्राप्त करने के लिए अपने उत्पादों की कीमतों को जानबूझकर कम रखा है। अत:, इन हानियों से बचा जा सकता था यदि विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देशों से आयातों की कीमतों के करीब के स्तर पर कीमत लगाई गई होती।

xxxv. चूंकि प्रारंभिक जांच परिणामों के जारी किए जाने के बाद किसी भी तथ्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अत: एनकेएनएच द्वारा प्रस्तुत किया गया उत्तर अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। यदि, आंकड़ों की पर्याप्तता के संबंध में कोई चिंताएं थीं तो उसे प्रारंभिक जांच परिणामों में व्यक्त किया जा सकता था। प्राधिकारी के पास भारत को लदान किए गए कुल मात्राओं तथा आयातकों को अंतिम कीमत की पूरी जानकारी है, यदि मध्यवर्तियों ने उत्तर प्रस्तुत नहीं भी किया हो। सहयोगी निर्यातकों को उन बातों के लिए दंड नहीं दिया जा सकता है जो उनके नियंत्रण में नहीं थे। विगत में प्राधिकारी ने तब भी उत्तरों को स्वीकार किया है जब संबंधित पक्षकारों ने इसमें भाग लिया है।

xxxvi. सामान्य मूल्य के संबंध में एनकेएनएच द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पूर्ण है और उस पर विचार किया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने जिप्सम बोर्ड/लेमिनेशन के साथ टाइल्स में निर्यातकों में से एक निर्यातक की निर्यात कीमत को स्वीकार किया था, यद्यपि सामान्य मूल्य से संबंधित सूचना अस्वीकार कर दी गई थी।

xxxvii. प्राधिकारी ने इस तथ्य के आधार पर कीमत अंडरटेकिंग को अस्वीकार किया है कि अगोपनीय रूपांतर पर्याप्त नहीं था, हालांकि निर्यातक ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को इसके ऑपरेटिव हिस्से के बारे में पूर्ण रूप से बता दिया था और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इसके संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं।

xxxviii. एनकेएनएच ने संशोधित अंडरटेकिंग प्रस्तुत की है और वह प्राधिकारी को उसे स्वीकार करने का अनुरोध करता है।

xxxix. प्राधिकारी को इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि उचित लाभ मार्जिन के रूप में 5% माना गया है। ईएमएपीपीएल, ईएमपीएससी और केमिया के लिए उत्पादन की लागत में दावा किए गए समायोजन पर विचार किया जाना चाहिए।

xl. प्राधिकारी ने पहुंच कीमत के सऊदी अरब की कीमत से कम होने के बावजूद भाग न लेने वाले चीन के उत्पादकों को कमतर पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है। प्राधिकारी ने उपलब्ध प्रतिकूल तथ्यों के विपरीत उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों का विकल्प चुना है।

xli. चूंकि सभी लागतें और कीमतें प्रारंभिक जांच परिणामों की तुलना में प्रकटन विवरण में वही थी, क्षति रहित कीमत में वृद्धि का कोई कारण नहीं है जिसके फलस्वरूप क्षति मार्जिन में वृद्धि हुई हो।

<u>ञ.2 घरेलू उद्योग के विचार</u>

195. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:

i. निर्यातकों द्वारा दी जा रही बीजक बनाने के बाद की छूट, एक ही समय में उसी उपभोक्ता को उसी निर्यातक द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की पहुंच कीमत में बहुत अधिक अंतर और क्रेडिट लागतों जिन्हें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में शामिल नहीं किया गया है परंतु पहुंच कीमत में शामिल किया गया है, पर कीमत में कटौती के निर्धारण के लिए अवश्य ही विचार किया जाना चाहिए।

ii. घरेलू उद्योग भारतीय बाजार में न्यूनतम प्रचलित कीमतों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बाध्य है। उसी निर्यातक द्वारा कीमतों में परिवर्तन के कारण, औसत आधार पर कीमत में कटौती की जांच भ्रम उत्पन्न करने वाली है।

iii. निर्यातकों ने बीजक बनाने के बाद की सभी छूटों की सूचना नहीं दी है और इसका सत्यापन अवश्य किया जाना चाहिए। ऐसी छूट के कारण, ग्राहकों की खरीद कीमत संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत से कमतर है। इसके अलावा, भुगतान का प्रमाण भी निर्यातकों द्वारा बीजक मूल्य का समर्थन करने के लिए नहीं दिया गया है।

iv. भारत में अनेक उपभोक्ताओं ने संबद्ध देशों में खरीद संबंधी प्रविष्टियों को संबद्ध किया है जो इस उत्पाद के उत्पादकों से कमतर कीमतों पर खरीद करते हैं और भारत को उच्चतर कीमतों पर निर्यात करते हैं। पहुंच कीमत इन उत्पादकों और न कि निर्यातकों द्वारा वसूली जाने वाली कीमत पर आधारित होना चाहिए।

v. उच्चतर कीमतों पर आयात इस बाजार में इस उत्पाद की बिक्री करने में घरेलू उद्योग के लिए संगत नहीं है। कीमत में कटौती का निर्धारण केवल उन लेनदेन पर आधारित होना चाहिए जहां आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है।

vi. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण का भी निर्धारण इस अवधि में स्टार्ट-अप लागतों और अक्षमताओं के लिए समायोजन करने के बाद 2019-20 को विचार करते हुए किया जाना चाहिए।

vii. आवेदक ने स्टार्ट-अप प्रचालनों के लिए समायोजन के बाद उत्पादन की लागत उपलब्ध कराई है। उसका निर्धारण करने के उद्देश्य से, आवेदक ने सत्यापित सूचना पर विचार किया है और क्षति की अवधि में अधिकतम क्षमता उपयोग पर लागत की गणना की है। इस लागत की गणना बंद करने के दिनों को छोड़ने के बाद की गई है। कच्चे माल और उपयोगिताओं की लागत का निर्धारण क्षति अवधि में सर्वोत्तम उपयोग पर आधारित और संगत अवधि में लागत पर विचार करते हुए किया गया है।

viii. समायोजित लागतों के आधार पर, बिक्री कीमत में क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री की लागतों में वृद्धि से कम वृद्धि हुई है और पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम थी। इस प्रकार, संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग को अपनी कीमत उस हद तक बढ़ाने से रोका है जिस हद तक आयातों के न होने पर कीमतें बढ़ गई होती।

ix. घरेलू उद्योग को क्षति की जांच स्टार्ट-अप लागतों के लिए समायोजन करने के बाद किया जाना चाहिए। स्टार्ट-अप लागतों के लिए समायोजन करने के बाद यह देखा जाएगा कि घरेलू उद्योग की प्रति इकाई हानि में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। इस प्रकार, उत्पादन में वृद्धि के साथ घरेलू उद्योग को उच्चतर हानि हुई है। निवेश पर प्रतिफल न्यूनतम है और नकद हानि जांच की अवधि में अधिकतम है। यदि स्थिति में बदलाव नहीं आता है तब यह घरेलू उद्योग के संयंत्र को गैर-अर्थक्षम बना देगा।

x. यह नियमावली लाभ का और न कि प्रति इकाई लाभ का उल्लेख करता है। घरेलू उद्योग की सकल हानि पर क्षति के विश्लेषण के लिए विचार किया जा सकता है।

xi. यह आवश्यक नहीं है कि घरेलू उद्योग के सभी मापदंड क्षति को अवश्य दर्शाएं। प्राधिकारी संबद्ध आयातों के पाटन के कारण गिरावट को दर्शाने वाले एकमात्र आर्थिक मापदंड के मामले में भी क्षति के संबंध में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यदि यह मान भी लिया जाता है कि प्रति इकाई हानि में गिरावट भी आई है, तब नकद हानि और निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाता है।

xii. चूंकि घरेलू उद्योग को आधार वर्ष में क्षति स्टार्ट-अप लागतों तथा संबद्ध देशों से आयातों के कारण हुई थी, अत: कारणात्मक संबंध स्थापित करने के लिए स्टार्ट-अप लागत का समायोजन करना महत्वपूर्ण है। यूएस-हॉट रोल्ड स्टील में अपीलीय निकाय ने यह माना कि यदि पाटित आयातों के क्षतिकारक प्रभाव को अन्य कारकों के क्षतिकारक प्रभावों से अलग अलग नहीं किया जाता है तब प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम नहीं होंगे कि यह क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है।

xiii. घरेलू उद्योग ने अपेक्षित स्टार्ट-अप लागतों और समायोजनों की सूचना दी है। पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का आकलन करने के उद्देश्य से, उस पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए।

xiv. आधार वर्ष और जांच की अवधि की कीमत ह्रास/न्यूनीकरण के लिए तुलना का अधिकार इस नियमावली के अंतर्गत नहीं दिया गया है और यह चीन की जनतांत्रिक गणतंत्र के मूल के फेरो मोलिब्डेनम तथा अल्जीरिया, बेलारूस, लिथुआनिया, रूस और यूक्रेन के मूल के यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट में ईसी द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार उपयुक्त नहीं होगा। मध्यवर्ती अवधि के आधार पर भी कीमत ह्रास/न्यूनीकरण का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

xv. स्टार्ट-अप का लागतों का समायोजन किए बिना भी, घरेलू उद्योग को 2020-21 के बाद बिक्री की इसकी लागत में वृद्धि के स्तर तक अपनी कीमतों को बढ़ाने से रोका गया है।

xvi. आवेदक ने परियोजना रिपोर्ट में अनेक बार संशोधन किया। जबकि यह संयंत्र उत्पादन के शुरु होने के पूर्व 2019 में अनुमानों संशोधन के बाद भी अर्थक्षम था, घरेलू उद्योग भारतीय बाजार में सघन पाटन के कारण निवेश पर प्रतिफल अर्जित करने में सक्षम नहीं है।

xvii. केवल एक जांच में सभी तीनों प्रकार की क्षति की जांच पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस प्रकार, प्राधिकारी पहले ही जांच की गई मापदंडों के अलावा घरेलू उद्योग के वास्तविक प्रदर्शन के साथ अनुमानित प्रदर्शन की तुलना कर सकते हैं।

xviii. इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा जांच किए गए मापदंडों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। घरेलू उद्योग की अपना लक्ष्य प्रदर्शन प्राप्त करने की अर्थक्षमता घरेलू उद्योग द्वारा पहचान किया गया एक मापदंड है। हालांकि, प्राधिकारी ने यह कहते हुए न तो सूचना को अस्वीकार किया है कि यह अनुमत्य नहीं है जिसने इस संबंध में सूचना का विश्लेषण किया है।

xix. घरेलू उद्योग अपने अनुमानित प्रदर्शन को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। जबकि घरेलू उद्योग ने लाभ, नकद लाभ और निवेश पर सकारात्मक प्रतिफल का अनुमान लगाया है, इसे हानि, नकद हानि और निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुआ है। घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग भी इसके लक्षित प्रदर्शन से कम है।

<u>ञ.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच</u>

196. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जाँच की है और नोट करते हैं कि कुछ टिप्पणियाँ पुनरावृति की हैं जिनकी अंतिम जांच परिणाम के संगत पैराओं में उपयुक्त रूप से पहले ही जांच कर दी गई है और उन्हें पर्याप्त रूप से हल कर दिया गया है । हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की नीचे जाँच की गई है।

197. जहां तक टिप्पणियाँ दायरे करने के लिए दिए गए समय का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो भारतीय नियमावली और न ही डब्ल्यूटीओ करार में किसी न्यूनतम समय का प्रावधान है जिसे टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए पक्षकारों को दिया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त, कुछ हितबद्ध पक्षों ने अतिरिक्त समय मांगा था जो प्राधिकारी द्वारा दिया गया

था । एटीएमए ने उत्तर दायर करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं मांगा। किसी भी दशा में, एटीएमए ने व्यापक अनुरोध दायर किए हैं, और उन पर वर्तमान निर्धारण के लिए विचार किया जा रहा है। एटीएमए ने इस संबंध में उनके प्रति हुआ कोई पूर्वाग्रह नहीं दर्शाया है।

198. इन अनुरोधों के संबंध में कि प्रारंभिक जांच परिणामों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह दावा कानूनी आधार के बिना है। प्रारंभिक जांच परिणाम जांचों में एक चरण है और यदि प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों के चरण में कुछ तथ्य पहले से ही स्थापित किए हैं, तो हितबद्ध पक्षकारों को उन तथ्यों पर पुनर्विचार अथवा समीक्षा के लिए कारण दर्शाने चाहिए। यह तथ्य कि अभी तक प्रारंभिक जांच परिणामों पर वित्त मंत्रालय द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया है, पूर्णत: । इसके अतिरिक्त, चूंकि प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में कुछ जांचं की हैं, अत: उसे प्रकटन विवरण में पुष्ट किए जाने का प्रस्ताव है और इस अंतिम जांच परिणाम में निश्चित रूप से निष्कर्ष निकाला गया है। न्यायिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत और संक्षिप्तता भी यह मांग करते हैं कि प्रारंभिक जांच परिणाम में दर्ज किए गए तथ्य और कारणों का विवरण की प्रकटन अथवा अंतिम जांच परिणामों में एक बार फिर पुनरावृति न हो ।

199. उत्पाद को अलग करने के संबंध में टिप्पणियों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपनी-अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए उचित अवसर प्रदान किया गया था और उन टिप्पणियों पर विचार करने के बाद जांच की गई है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिया गया था और प्राधिकारी के विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन के क्षेत्र को अधिसूचित किए जाने के चरण तक एपीएं द्वारा कोई टिप्पणियां दायर नहीं की गई थीं। पाटनरोधी जांच प्रकृति में समयबद्ध है और पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात भी एटीएमए से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से उत्पाद प्रकार को बाहर करने का अनुरोध करने वाली कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं **ह।** इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह भी एटीएमए अथवा कानूनी परामर्शदाता का मामला नहीं है कि कोई भी कानून के तहत प्रक्रिया अथवा अपेक्षाओं के संबंध में अनभिज्ञ हैं। इस प्रकार, क्षेत्र को अंतिम रूप दिए जाने के बाद दायर की गई टिप्पणियों पर देरी से विचार किया जाता है। किसी भी दशा में, प्राधिकारी ने एटीएमए द्वारा किए गए दावे की जांच की है और इस अंतिम जांच परिणाम के संगत भाग में इसकी जांच की है।

200. इस अनुरोध के संबंध में कि टायर क्योरिंग ब्लैडर के विनिर्माण के लिए विशेषीकृत ग्रेड का आयात किया जाता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे विशेषीकृत ग्रेड की कोई विशिष्टियां उपलब्ध नहीं कराई हैं। इसके अतिरिक्त, जैसा कि इस अंतिम जांच परिणाम के संगत भाग में जांच की गई है, घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में तथा निर्यात बाजार में टायर क्योरिंग ब्लैडर के विनिर्माण के लिए उत्पाद की आपूर्ति की है और उसके लिए सकारात्मक फीडबैक प्राप्त किया है। इस प्रकार, इस उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

201. यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी के आधार पर वर्तमान मामले की जांच नहीं की है। इसके अतिरिक्त, ऐसी स्थिति में जहां घरेलू उद्योग के चार वर्षों से प्रचालन हों, प्राधिकारी ने अनुबंध-III के प्रावधानों को निरंतर लागू किया है, जिसमें प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि जांच अवधि में खपत कारकों पर विचार करें और पूर्व वर्षों के साथ उनकी तुलना करें। इसे वर्तमान मामले में अपनाया गया है। ऐसी स्थिति होने पर, क्षतिरहित कीमत की मात्रा में अदृढ़ता नहीं है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं दर्शाया है कि कच्ची सामग्री, उपयोगिताओं अथवा उत्पादन क्षमताओं को ईष्टतम बनाने का कार्य तिमाही आधार पर किया जाना चाहिए था, विशेष रूप से जब अनुबंध-III में जांच अवधि के लिए आंकड़ों पर विचार किए जाने और पूर्व तीन वर्षों के साथ तुलना किए जाने का स्पष्ट रूप से प्रावधान है। वस्तुत:, वर्तमान मामले में तिमाही खपत कारकों पर विचार किया जाना अनुबंध-III के प्रावधानों के सीधे ही असंगत होता। जहां तक पीयू लैदर मामले के संदर्भ का संबंध है, प्राधिकारी यह मानते हैं कि प्रत्येक मामले में उस मामले में विद्यमान विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में विचार किया जाना अपेक्षित है। हितबद्ध पक्षरकारों ने यह नहीं सिद्ध किया कि दोनों मामले कैसे तुलनीय हैं और किसी विशेष मामले में उनको लागू करना कैसे संगत, उपयुक्त और आवश्यक है । प्राधिकरण नोट करता है कि जबकि पीयू चमड़े के मामले में एक विस्तृत पीसीएन शामिल था, जिसे सूक्ष्म विश्लेषण की आवश्यकता थी, वही वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक नहीं है ।

202. घरेलू उद्योग के उत्पाद की स्वीकार्यता अथवा अन्यथा के संबंध में दोनों पक्षकारों के बीच पत्राचार के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपर्युक्त पत्राचार दो पक्षों के बीच है और घरेलू उद्योग के साथ पत्राचार नहीं है। जब तक घरेलू उद्योग को संबोधित करके कोई

पत्राचार नहीं होता, तब तक यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि घरेलू उद्योग अपने उत्पाद अथवा इसके निष्पादन की गुणवत्ता के संबंध में उस पत्राचार का उत्तर देगा देगा। यह नोट किया जाता है कि इस उत्पाद के उत्पादक को घरेलू उत्पाद में पाए गए तथाकथित अंतरों के लिए वास्तिवक स्थिति और कारण को स्पष्ट करने का अवसर भी नहीं दिया गया था। यह किन्हीं अन्य कठिनाइयों को छिपाना भी हो सकता है जिसका किसी पक्षकार द्वारा सामना करना पड़े । इस प्रकार प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की जानकारी के बिना दो पक्षकारों के बीच तथाकथित रूप से लिखा गया पत्राचार यह सिद्ध नहीं करता है कि घरेलू उद्योग ब्लैडर एप्लीकेशन के लिए उत्पादनकरने और आईआईआर की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं है ।

203. इन अनुरोधों के संबंध में कि केवल एक ग्राहक को बिक्री पर विश्वास किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कि घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में विभिन्न ग्राहकों को विचाराधीन उत्पाद की बिक्री और भारी मात्रा में बिक्री दर्शायी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वही ग्रेड घरेलू उद्योग द्वारा ब्लाडर अनुप्रयोग और ट्यूब के विनिर्माण के लिए आपूर्ति किया गया है । ग्राहक ने ब्लैडर प्रयोग के लिए अपने उत्पाद के उपयोग के लिए विशेष रूप से घरेलू उद्योग को सकारात्मक सूचना उपलब्ध कराई है। अत: , चूंकि घरेलू उद्योग ने ब्लैडर अनुप्रयोग में प्रयोग के लिए गुणवत्ता के उत्पाद उत्पाद का उत्पादन करने और बिक्री करने में अपनी अपनी क्षमता दर्शायी है, अत: उपर्युक्त उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
204. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि विशेषता वाले ग्रेड परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, प्राधिकारी ने संगत भाग में पहले ही नोट कर लिया है कि रेगुलर ग्रेड का ब्लैडर अनुप्रयोगों तथा ट्यूबों के विनिर्माण के लिए परस्पर से प्रयुक्त किया जा रहा है। एक्सॉन ग्रुप द्वारा पहचाने गए विशेषता उत्पादों के संबंध में, भारत में उस उत्पाद की कोई मांग नहीं है और इसलिए, भारत में उस उत्पाद का कोई आयात नहीं है। भारत में कोई आयात नहीं होने की स्थिति में, घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित समान वस्तु के निर्धारण की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी दशा में, प्राधिकारी ने नोट किया है कि मूनी लचीलेपन और अस्थिर स्तर की सीमा, जिसे घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किया जा सकता है, एक्सॉन ग्रुंप द्वारा पहचाने गए विशेषता वाले ग्रेड के समान है।

205. इन अनुरोधों के संबंध में कि विनिर्देश शीटों, मासिक उत्पादन और मालसूची आंकड़ों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे देरी से दायर किए गए थे, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा साझा की गई विनिर्देशन तालिकाएं उन्हीं समान विनिर्देशों को दर्शाती हैं जैसा कि प्रौद्योगिकी लाइसेंस करार में हैं, जो घरेलू उद्योग द्वारा प्रारंभिक जांच परिणामों को जारी किए जाने से पूर्व साझा की गई थी । मासिक उत्पादन और मालसूची आंकड़े घरेलू उद्योग द्वारा याचिका के चरण में साझा किए गए थे, इस प्रकार ऐसे अनुरोध देरी से किए गए नहीं माने जा सकते किसी भी दशा में अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किया गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उस पर टिप्पणी करने का अवसर प्रदान कियागया है । इस प्रकार, इस सूचना पर विचार करके किसी हितबद्ध पक्षकार के हित में कोई पूर्वाग्रह नहीं किया गया है ।

206. रूसी उत्पादक के साथ आवेदक के संबंध पर प्रस्तुतियों के संबंध में, प्राधिकरण ने धारा के तहत संबंध मुद्दे की फिर से जांच की है - **घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति** ।

207. इस अनुरोध के संबंध में कि "परस्पर परिवर्तनीय" शब्द का प्रयोग स्पष्ट नहीं है, प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि घरेलू उद्योग उसी संयंत्र और मशीनरी पर संबद्ध वस्तुओं के विभिन्न ग्रेडों का विनिर्माण परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर सकता है। इसके अलावा, उत्पाद के प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं ने घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और आपूर्ति किए गए आईआईआर के उसी ग्रेड का प्रयोग ट्यूबों और टायर क्यूरिक ब्लाडरों के विनिर्माण के लिए किया है।

208. जहां तक इन अनुरोधों का संबंध है कि रूस से आयातों की मात्रा में गिरावट पर विचार किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी संबद्ध देशों से आयात में गिरावट आई है जो घरेलू उत्पादन के प्रारंभ होने के सामान्य परिणामस्वरूप है। चूंकि रूसी आयातों ने भी वही प्रवृत्ति का अनुसरण किया है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक और रूसी उत्पादक के बीच किसी प्रकार का कोई सहयोगी प्रयास किया गया था।

209. आवेदक द्वारा दावा की गई गोपनीयता के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा विश्वास किए गए आंकड़े तीसरे पक्षकार की सूचना है जो प्रकट करने के लिए वह प्रधिकृत नहीं है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने उन आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया है और इस प्रकार, किसी भी हितबद्ध पक्षकार के हित को कोई पूर्वाग्रह नहीं किया गया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने परियोजना की शुरुआत से कई बार अपनी परियोजना रिपोर्ट

संशोधित की है। संशोधन के वर्ष व्यापार स्वामित्व वाली जानकारी है और इसलिए, अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा नहीं की गई है ।

210. प्राधिकारी ने स्प्ष्ट किया है कि वर्तमान मामला वास्तविक क्षति के मामले के रूप में माना गया है न कि घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी के रूप में । घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन के साथ परियोजना रिपोर्ट/अनुमानित निष्पादन की तुलना करना यह सिद्ध नहीं करता कि वर्तमान मामला वास्तविक मंदी का मामला है । पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध ॥ के पैरा 4 में निम्नलिखित उल्लेख है:

> *(iv) संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों का मूल्यांकन और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय और क्षमता के उपयोग में प्राकृतिक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; पाटन मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, मानलसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले तत्व शामिल होंगे ।*

नियमावली में प्राधिकारी के लिए अपेक्षित है कि वे रिकॉर्ड में लाए गए घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के किसी भी मापदंड की जांच करें। उपरोक्त प्रावधान में सूचीबद्ध क्षति मानदंड पूरे नहीं हैं, बल्कि केवल व्याख्यात्मक और न्यूनतम हैं जिनकी प्राधिकारी को आवश्यक रूप से जांच करनी चाहिए। चूंकि आवेदक भारत में इस उत्पाद का एकमात्र पहला उत्पादक है, अत: वास्तविक क्षति को दर्शाने वालो अनुमानित निष्पादन के साथ वास्तविक निष्पादन की तुलनाएक क्षति मानदंड के रूप में अभिज्ञातकी गइ्र है अत: प्राधिकारी ने इसकी जांच की है।

211. इस तर्क के संबंध में कि ऑफ-ग्रेड उत्पाद की बिक्री को अलग किया जाना चाहिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि वास्तव में इसे अलग किया गया है। इसके अलावा, यह देखा गया था कि क्षति अवधि में ऑफ ग्रेड उत्पाद की बिक्री कम हो गई है। यद्यपि, ऑफ-ग्रेड उत्पाद की बिक्री आधार वर्ष में अधिक थी, तथापिवह क्षति अवधि में इसमें कमी आई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद की प्रकृति ऐसी है कि ऑफ-स्पेसिफिकेशन सामग्री का कुछ उत्पादन होता है। तथापि, शुरुआत में ऑफ-स्पेसिफिकेशन उत्पादन शुरूआत में अधिक था क्योंकि

संयंत्र स्वयं ही नया था। अत: , इसे समायोजित करना आवश्यक था। तथापि, ऑफ-स्पेक सामग्री का उत्पादन और बिक्री जांच की अवधि में अधिक नहीं थी। घरेलू उद्योग को हुई क्षति का विश्लेषण करने के लिए जांच की अवधि में ऑफ-स्पेसिफिकेशन और गुड स्पेसिफिकेशन को अलग करने की आवश्यकता नहीं थी।

212. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि अन्य कारकों के प्रभाव को अलग किया जाना चाहिए, जांच की अवधि में ऐसे मापदंडों की पहचान की गई है और प्राधिकारी ने इस अंतिम जांच परिणाम के संगत पैराओं में उसकी विस्तृत जांच की है।

213. यह तर्क कि घरेलू उद्योग में मात्रात्मक क्षति का दावा नहीं किया, वास्तव में गलत है। यह स्पष्ट किया जाता है कि वास्तव में, घरेलू उद्योग ने याचिका स्तर से ही पाटित किए गए आयातों के कारण होने वाली क्षति को दर्शाने वाले कारक के रूप में मात्रात्मक क्षति का तर्क दिया है। घरेलू उद्योग ने विशेष रूप से कम क्षमता, उपयोग, बढ़ती हुई मालसूची, देश में काफी मांग के बावजूद निर्यात, अप्रयुक्त उत्पादन क्षमताओं और काफी लंबी अवधि के लिए संयंत्र की बंदी मात्रात्मक क्षति दर्शाते हुए विशेष रूप से उल्लेख किया है। घरेलू उद्योग ने अपनी सुनवाई के बाद अपने लिखित अनुरोधों में भी वर्तमान मामले में मात्रात्मक क्षति की मॉजूदगी को दोहराया है ।

214. हितबद्ध पक्षकारों ने यह ने तर्क दिया है कि प्राधिकारी की यह जांच कि घरेलू उद्योग को कम कीमतों पर बिक्रीकरने के लिए मजबूर रहा है, गलत है। उसके लिए कारण के रूप में नकारात्मक कीमत कटौती को कारण बताया गया है। प्राधिकारी ने नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने कई कारकों पर उल्लेख कियाहै कि कीमत कटौती नकारात्मक क्यों है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग बाजार में एक नया व्यापारी होने के नाते, आयात कीमतों से कम कीमत पर बिक्री करके बाजार हिस्सेदारी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तथापि, आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री की लागतों से कम थी । इसके अलावा, जैसा कि इस अंतिम जांच परिणाम के संगत भाग में जांच किए गए अनुसार घरेलू उद्योग उच्चतर कीमत वाले लेनदेन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है, परंतु घरेलू बाजार में आयातों की न्यूनतम कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर रहा है। इस प्रकार, औसत आधार पर कीमत कटौती बाजार में कीमतों पर आयात के प्रभाव का निर्धारक नहीं है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग देश में एक नया उद्योग था जिसने 2019-20 में ही काफी मात्रा में उत्पादन शुरू किया था। इसके अलावा, आयात कीमतों से कम कीमतों पर कथित रूप

से बिक्री करने के बावजूद, घरेलू उद्योग काफी मात्रा में निर्यात करने के लिए मजबूर था, मालसूची का भंडार बनाने की समस्या उसके सामने थी और काफी अवधि तक कम उत्पादन क्षमताओं का काफी कम उपयोग और उत्पादन कर रहा था । यह तथ्य यह कि घरेलू उद्योग वाणिज्यिक उत्पादन को जांच की अवधि के आरंभ में भी विलंब के रूप में घोषित करने के लिए विवश था, यह भी दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को पाटित किए गए आयातों के कारण क्षति हुई ।

215. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी को क्षति विश्लेषण के लिए केवल एक सतत अवधि पर विचार करना चाहिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि वास्तव में प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए पूरी क्षति अवधि पर विचार किया है। तथापि, क्षति अवधि के रूप में चार वर्ष के निर्धारण का यह अर्थ नहीं है कि प्राधिकारी को जाच वर्ष की तुलना आधार वर्ष से करनी चाहिए । बीच की अवधि की भी जांच किया जाना अपेक्षित है और ये समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त वह स्थिति जिसमें हितबद्ध पक्षकार ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग के प्रचालन 2019-20 में स्टार्टअप प्रचालनों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे, यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए इसे अलग करना उचित माना गया था कि कया घरेलू उद्योग पाटित आयातों द्वारा न्यूनीकृत/ ह्रासमान प्रभाव से घरेलू उद्योग को क्षति हुई । इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि स्र्टाटअप प्रचाननों का प्रभाव उस अवधि के दौरान उच्चतर लागतों पर था । ऐसी स्थिति होने पर कीमत न्यूनीकरण/ह्रास के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए उस अवधि में लागत पर विचार करना पूरी तरह से अनुप्रयुक्त होगा । इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य रूप में हितबद्ध पक्षकार और विशेष एटीएमए ने यह तर्कदिया है कि स्र्टाटअप प्रचालनों को उपयुक्त रूप से हल किया जाना चाहिए।

216. संबद्ध आयातों की मात्रा वर्ष 2019-20 में उच्चतम थी, क्योंकि पहले छह महीनों तक देश में कोई घरेलू उत्पादन नहीं हुआ था। यहां तक कि बाद छह महीनों में भी, घरेलू उद्योग ने महत्वपूर्ण मात्रा में उत्पादन शुरू किया और इसलिए आयात की मात्रा अधिक थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2019-20 और 2020-21 के बीच आंकड़ों पर विचार किए जाने के कारण, जो स्टार्टअप लागतों और ऑफ-स्पेक स्पेसिफिकेशन सामग्री की बिक्री के अधिक हिस्से से प्रभावित । निम्नलिखित तालिका तथ्यात्मक स्थिति दर्शातीहै जब आधार वर्ष के लिए आंकड़े

स्टार्ट अप लागतों और उच्च उत्पादन तथा आफ स्पेसिफिकेशन सामग्री की बिक्री के लिए समायोजित किए जाते हैं ।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई	2019-20 की तुलना में पी.ओ.आई में परिवर्तन
स्र्टाटअप लागतों के लिए अलग करने के बाद बिक्री लागत	₹/मी.ट.	1,53,364	1,28,670	1,64,805	2,18,927	65,563
बिक्री की लागत	सूचीबद्ध	100	84	107	143	-
बिक्री कीमत	₹/मी.ट.	1,13,654	1,16,592	1,38,996	1,74,084	60,429
बिक्री कीमत	सूचीबद्ध	100	103	122	153	-
ऑफ स्पेश को हटाकर लागत	₹/मी.ट.	1,31,665	1,29,979	1,51,334	1,87,022	55,357
ऑफ स्पेश को हटाकर लागत	सूचीबद्ध	100	99	115	142	-
पहुंच कीमत	₹/मी.ट.	1,35,678	1,28,882	1,53,915	2,05,267	69,589
पहुंच कीमत	सूचीबद्ध	100	95	113	151	-

217. जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में हुई वृद्धि से काफी कम बढ़ी है। इसके अतिरिक्त, आयातों की पहुंच कीमत इस अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम थी ।

218. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग ने निर्यात बाजार में कीमत न्यूनीकरण प्रभाव न होने के बावजूद हानियों पर निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के निष्पादन का मूल्यांकन केवल घरेलू बाजार में परिचालनों के संबंध में किया गया है, और इस प्रकार, हानियों में निर्यात बिक्री प्राधिकारी द्वारा स्थापित तथ्य अथवा जारी जांच परिणाम को कम नहीं करते ।

219. इन अनुरोधों के संबंध में कि कोविड का प्रतिकूल प्रभाव घरेलू उद्योग द्वारा स्वीकार किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में कोविड का कोई संदर्भ नहीं दिया है। घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि में कोविड का संदर्भदिया है। इसके अलावा, जांच की अवधि में कोविड के प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य नहीं है। यहां तक कि यदि अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर विचार किया जाए कि पिछले वर्षों में कोविड का प्रभाव था, तो घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में हानियां, नकद हानियां और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय हुई है। इस संबंध में अनुरोधों पर विचार करने पर, हानियों की प्रवृति नकद हानियां और निवेश पर आय आयातों के प्रतिकूल प्रभाव पर भी दर्शाएंगे ।

220. घरेलू उद्योग ने आंकड़े दिए हैं और यह दर्शाया है कि एचआईआईआर और आई आई आर दो अलग-अलग संयंत्र हैं और एचआईआईआर संयंत्र ने उसे एकीकृत करने के लिए आईआईआर संयंत्र में उत्पादन बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

221. जहां तक निवेश पर 22% आय की अनुपयुक्तता का संबंध है , प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियोजित पूंजी पर 22% आय प्रदान करना प्राधिकारी की सतत परिपाटी रही है। इस विशेष मामले में, चूंकि घरेलू उद्योग को वित्तीय हानियां हो रही हैं, इसका अर्थ है कि घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित पिछली आय निवेश पर उपयुक्त आय की मात्रा बताने के लिए भी उपलब्ध है ।

222. इन अनुरोधों के संबंध में कि आवेदक आरआईएल समूह का हिस्सा है, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से अपने उत्पाद की कीमतें बाजार में एकाधिकार बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा से कम रखता है, ,

प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसका कोई साक्ष्य नहीं है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि वह बाजार में सबसे कम कीमत वाले आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर किया गया था, यहां तक कि यदि यह मानाजाऐ कि वह आयात मूल्य के स्तर पर बिक्री कर सकता था, , प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक को ऐसी स्थिति में भी घाटा हानियां हुई होतीं, क्योंकि पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है।

223. इन अनुरोधों के संबंध में कि ऐसे ग्राहक हैं जो लो-एंड वाले वाहनों के लिए सीधे ही ट्यूब खरीदते हैं, , प्राधिकारी नोट करते हैं कि एटीएमए ने उत्पाद के लिए कुल बाजार की तुलना में ऐसे ग्राहकों के आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। यह नहीं दर्शाया गया है कि ऐसे ग्राहाकें की हिस्सा उन उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी की तुलना में काफी है जो टायर के साथ ट्यूब खरीदते हैं। इसी प्रकार, एक्सॉन ग्रुप ने वाणिज्यिक वाहनों के ग्राहकों के आकार के संबंध में कोई संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है और यह सूचना भी नहीं दी कि आईआई आर की प्रमुख खपत करने वाले ऐसे ग्राहक कैसे हैं । प्राधिकारी ने भारत में अधिकांश उपभोक्ताओं के आधार पर प्रभाव का विश्लेषण किया है।

224. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एनकेएनएच की कीमत संबंधी वचनबद्धता इस तथ्य के आधार पर निरस्त की गई है कि यह ऊर्जा लागतों के उचित प्रयोग से जुड़ी हुई नहीं थी जो विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए एक प्रमुख लागत है और कोई अलग-अलग माध्यम अपूर्ण मूल्य श्रृंखला के कारण उपर्युक्त उत्पादक निर्धारित नहीं की गई थी ।

225. प्राधिकारी इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस जांच में विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, सामान्य मूल्य के निर्माण के लिए एक उचित लाभ मार्जिन पर विचार किया गया है।

226. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद वास्तविक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और इसलिए एनकेएनएच के उत्तर को रद्द नहीं किया जा सकता है, प्राधिकारी मानते हैं कि प्रश्नावली का उत्तर प्रारंभिक जांच परिणामों के लिए किसी सतयापन के बिना स्वीकार किया गया था । तथापि, प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करनेके प्राधिकारी ने प्रश्नावली के उत्तर का विस्तृत सत्यापन किया। इस सत्यापन के समय ऐसा हुआ कि प्राधिकारी निर्यातक द्वारा दायर उत्तर में काफी कमियों से अवगत हुए । वास्तव में, निर्यातक ने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया है कि प्रश्नावली का उत्तर कमी पूर्ण था था। उत्तर देने वाले उत्पादक/निर्यातक को पूर्ण उत्तर दायर करने के लिए कई अवसर दिए गए थे।

इसके अलावा 11 जून 2024 को प्रश्नावली के उत्तर में कमियों पर चर्चा करने के लिए उत्पादक /निर्यातक के प्रतिनिधि के साथ व्यक्तिगत रूप से एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, एनकेएनएच द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उनके निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर अपूर्ण थे और उनमें आवश्यक सूचना का अभाव था । यह तथ्य कि अंतिम आयात कीमत प्राधिकारी के पास उपलब्ध थी, सीमाशुल्क आंकड़े संबंधित निर्यातकों से प्रश्नावली के उत्तर की संगतता और महत्ता को कम नहीं करते । प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे केवल आयातों की पहुंच कीमत ही न निकाले बल्कि कारखानागत निर्यात कीमत भी निकाले ताकि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित किया जा सके । इसके अतिरिक्त निर्यातक से प्रश्नावली का उत्तर निर्यात कीमत स्पष्ट रूप से निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण है । यदि भारतीय सीमाशुल्क को सूचित सीआईएफ कीमत निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए पर्याप्त तो निर्यातकों से प्रश्नावली के उत्तर जहां तक पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का संबंध है, निर्यातकों प्रश्नावली के उत्तर पूर्णत: अनावश्यक होते । तथापि, यह अच्छी तरह से समझा जाता है कि प्राधिकारी के पास पाटन और क्षति मार्जिनस्पष्ट रूप से निर्धारित करने के लिए पूरी सूचना होनी चाहिए । इसके अतिरक्त निर्यातक ने यह नहीं दर्शाया है कि रिकॉर्ड में संगत सूचना लाने के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए थे । यद्यपि, निर्यातक ने यह तर्कदिया है कि संबंधित निर्यातक की ओर से प्रश्नावली का उत्तर उसके नियंत्रण से बाहर था, तथापि, निर्यातक ने उन प्रयासों को सिद्ध करने के लिए कोई भी सामग्री नहीं दर्शायी है जो संगत सूचना मंगाने के लिए किए गए थे और संगत सूचना प्राप्त करना उनके नियंत्रण से बाहर कैसे था, विशेष रूप से जब उत्पादक निरंतर और नियमित आधार पर संबंधित निर्यातक को काफी मात्रा में बिक्री कर रहा है।

227. इस प्रस्तुतीकरण के संबंध में कि प्राधिकरण ने एनकेएनएच और एसआईबीयूआर द्वारा दायर प्रतिक्रियाओं की अस्वीकृति के लिए वास्तविक आंकड़ों का खुलासा नहीं किया है, प्राधिकरण नोट करता है कि उसने पहले ही उन व्यापारियों के नाम प्रदान कर दिए हैं जिन्होंने भारत को संबंधित वस्तुओं का निर्यात किया है। इसके अलावा, प्राधिकरण ने यह भी खुलासा किया है कि ट्रिगॉन इंटरनेशनल एस (पीटीई) लिमिटेड द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख मात्रा है। ये नंबर सीधे एनकेएनएच और एसआईबीयूआर द्वारा दायर जवाबों से लिए गए हैं और अन्य इच्छुक पक्षों से गोपनीय हैं और इसलिए सभी इच्छुक पक्षों के साथ साझा किए गए खुलासे विवरण में इसका खुलासा नहीं किया गया है। इसलिए, इच्छुक पार्टी पहले से ही प्राधिकरण द्वारा उपयोग की जाने वाली जानकारी से अवगत है।

इसलिए, प्राधिकरण नोट करता है कि चूंकि निर्यातक द्वारा रिपोर्ट किए गए समान आंकड़ों पर विचार किया गया है, इसलिए प्राधिकरण द्वारा विचार किए गए वास्तविक आंकड़ों का खुलासा न करने से एनकेएनएच या एसआईबीयूआर के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

228. प्राधिकारी मानते हैं कि निर्यातक द्वारा दी गई संशोधित कीमत वचनबद्धता पर भी इस कारण से विचार नहीं किया जा सकता है कि प्राधिकारी ने निर्यातक के लिए अलग पाटन मार्जिन से से इनकार कर दिया है। वस्तुत:, निर्यातक ने प्राधिकारी की इस चिंता का समाधान नहीं किया है कि कीमत वचनबद्धता को उस स्थिति में में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जहां प्रश्नावली का उत्तर स्वीकार नहीं किया गया है।

229. जहां तक गैर-भागीदारी चीनी उत्पादकों और प्रतिभागी सऊदी उत्पादकों के बीच पाटन मार्जिन में अंतर का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों के लिए पाटन मार्जिन सिद्धांत ऊपर निर्धारण में पर्याप्त रूप से बताया गया है। प्राधिकारी ने प्राधिकरण के पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर चीनी उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया है । केवल इस कारण किसी पक्षकार ने असहयोग किया है, इसका अर्थ यह नहीं है कि प्राधिकारी नियम 6(8) के प्रावधानों की अनदेखी करेगें, जिसके तहत प्राधिकारी के लिए अपेक्षित है कि वे उपलब्ध तथ्यों को लागू करें ।

<u>निष्कर्ष एवं सिफारिशें</u>

230. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के पश्चात, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि:

i. चीन जन., रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए जाने वाले आइसोब्यूटिलीन-आइसोप्रीन रबर ("आईआईआर") के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच आरंभ करने के लिए आवेदन पत्र रिलायंस सिबुर इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था।

ii. विचाराधीन उत्पाद आइसोब्यूटिलीन-आइसोप्रीन रबर (आईआईआर) है, जो कि एक सिंथेटिक रबर है, जिसका सामान्य रूप से टायरों तथा अन्य उच्च दाब ट्यूबों के लिए भीतरी ट्यूबों के निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। च्यूइंग गम के उत्पादन में प्रयुक्त फूड -ग्रेड आईआईआर को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अलग किया गया है।

iii. प्राधिकारी ने पीसीएन पद्धति अपनाई है तथा उसे अधिसूचित किया है। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है कि आयातित तथा घरेलू उत्पाद की तुलना उचित है, पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन वह उचित तुलना करके निर्धारित किए गए हैं। पीसीएन सिद्धांत सभी हितबद्ध पक्षकारोंको उचित अवसर देने के बाद और विभिन्न इच्छुक पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों और टिप्पणियों को ध्यान में रखने के बाद तैयार किया गया था ।

iv. संबद्ध सामानों के लिए मांग क्षति की अवधि में बढ़ी है और जांच की अवधि के दौरान यह सबसे अधिक थी।

v. क्षति अवधि के दौरान आयातों में गिरावट आई है। प्राधिकारी मानते हैं कि कि आयातों में यह गिरावट घरेलू उद्योग द्वारा नई उत्पादन सुविधाओं से अपना उत्पाद बेचने के लिए पेश की गई कम कीमतों का परिणाम थी। चूंकि याचिकाकर्ता एक नई कंपनी है और उसने सितंबर, 2019 में ही काफी मात्रा में उत्पादन शुरू किया और इसके अलावा चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा पेश की गई सामग्री की मात्रा मांग में वृद्धि की तुलना में बहुत अधिक थी, अत: याचिकाकर्ता ने कम कीमतों की पेशकश करके आयातों की कुछ मात्रा को अलग कर दिया। इस प्रकार, आयातों में गिरावट नई उत्पादन सुविधाओं में उत्पादन की शुरूआत से घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्तियां और बाजार में उसकी सामग्री बेचने के घरेलू उद्योगद्वारा प्रयास दर्शाता है । तथपि, यह भी नोट किया जाता है कि यदि घरेलू उद्योग अत्यधिक हानिप्रद कीमतें पेश करने के लिए मजबूर था । यह भी नोट किया गया था कि यहां तक कि यदि घरेलू उद्योग ने आयात कीमतों से मेल खाती हुई कीमत पर उत्पाद बेचा होता तो घरेलू उद्योग को ऐसी बिक्री से भी वित्तीय हानियां हुई होती ।

vi. जहां तक घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर इस पाटन के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग एक नया उद्योग है और उसे वास्तविक क्षति हुई है। इस संबंध में निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचा जाता है:

क. घरेलू उद्योग, कुल 1280 दिन (रखरखाव बंदी को छोड़कर) में से क्षति अवधि के दौरान 256 दिनों के लिए संचयी रूप से, पाटन के आरण अपने प्रचालनों को बंद करने के लिए

मजबूर था । इससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग को क्षति अवधि के दौरान अपने परिचालन दिवसों के लगभग 20% में बंदी का सामना करना पड़ा।

ख. घरेलू उद्योग को पूरी क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमताओं के काफी कम उपयोग से नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा, उत्पादन, घरेलू बिक्री मात्रा और क्षमता उपयोग, वास्तविक रूप से उससे कम हैं जो घरेलू उद्योग पाटित आयातों के अभाव में हासिल कर सकता था ।

ग. चूंकि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान उत्पादन शुरू किया है, अत: उसका बाजार हिस्स क्षति अवधि के दौरान बढ़ गया है। तथापि, वह कैप्टिव खपत और निर्यात बिक्री को अलग करने के बाद घरेलू उद्योग की क्षमताओं के अनुरूप नहीं है।

घ. घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। मालसूची में वृद्धि देश में उत्पाद के लिए काफी मांग और उस अतयधिक हानिप्रद कीमतों के बावजूद है जिस पर घरेलू उद्योग सामग्री की बिक्री कर रहा है ।

ड. घरेलू उद्योग को हानियां, नकद हानियां और नकारात्मक आय हुई है। घरेलू उद्योग को हुई हानियां बढ़ती हुई बिक्री की मात्रा से बढ़ी हैं । इस प्रकार, घरेलू उद्योग ने अधिक हानियां होने के लिए अधिक सामग्री बेची। इसके अलावा, वित्तीय हानियों की मात्रा, नकद हानियां क्षति की अवधि में बढ़ी। घरेलू उद्योग आधार वर्ष से निवेश पर नकारात्मक आय अर्जित कर रहा था और वह क्षति की अवधि के दौरान कम हुए।

च. ब्याज पूर्व आय और घरेलू उद्योग का मुख्य ह्रास पूरी क्षति अवधि में नकारात्मक रहा है। इस प्रकार प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कि उत्पाद की कीमत इतनी रही है कि घरेलू उद्योग अपना ब्याज और मूल्यह्रास लागतों को भी वसूल नहीं करने में सक्षम नहीं पाया है, निवेश पर उपयुक्त आय को तो एक तरफ रख दें ।

छ. घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मानदंडों में सुधार हुआ है परंतु लाभप्रदता मानदंडों में गिरावट आई है । घरेलू उद्योग अपना उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री मात्राएं बढ़ाने में सक्षम रहा है । तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त उत्पादन का स्तर का स्तर क्षमता उपयोग और घरेलू

बिक्री मात्रा उससे बहुत कम हैं जो घरेलू उद्योग द्वारा परिकल्पित किया गया था और जो प्राप्त किया जा सकता था, परंतु देश में पाटन के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका।

ज. आयातों ने आगे निवेश बढ़ाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित की है । घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद में लगभग 3000 करोड़ रूपए के कुल निवेश के विरूद्ध मार्च, 2023तक 500 करोड़ रूपए से अधिक की संचयी वित्तीय हानियां हुई हैं ।

vii. प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित सामानों के परिणामस्वरूप वास्तविक क्षति हुई है ।

viii. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति रहित कीमत के साथ आयातों की पहुंच कीमत की तुलना यह दर्शाती है कि क्षति मार्जिन संबद्ध देशों से विभिन्न उत्तरदाता निर्यातकों के संबंध में पूरी तरह से काफी और सकारात्मक है ।

ix. जांच से यह बात सामने आई है कि किसी अन्य कारक से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकता है ।

x. प्राधिकारी नोट करते हैं कि लागतों और एनआईपी से वास्तविक रूप से कम आयात कीमतें, उत्पाद क्षमताओं का कम उपयोग और उत्पादन से कम घरेलू बिक्री जैसे मानदंड सामूहिक रूप से और संचयी रूप से यह सिद्ध करते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के परिणामस्वरूप वास्तवित क्षति हुई है ।

xi. पाटनरोधी शुल्क व्यापक जनहित में है, जैसा कि निम्नलिखित से सिद्ध है :

क. घरेलू उद्योग ने संबद्ध सामानों के विनिर्माण और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संयंत्र में भारी निवेश किया है ।

ख. संबत्र सामान निचले स्तर के उद्योग में प्रमुख लागत नहीं है ।

ग. संबद्ध सामानों के लिए प्रमुख अनुप्रयोग टायर उद्योग में है । तथापि, टायर उद्योग में उत्पाद बास्केट पर शुल्कों का काफी प्रतिकूल प्रभाव नहीं दर्शाया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि ट्यूबों पर मात्र संभावित प्रतिकूल प्रभाव अपर्याप्त है, जब ट्यूबों का प्रयोग अनिवार्य रूप से टायरों के साथ किया जाए और ट्यूब उनके निचले स्तर के उद्योग द्वारा उपभोग में लाए गए अंतिम उत्पाद का छोटा भाग बनता हो ।

घ. शुल्क लगाए जाने से उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। घरेलू उद्योग के पास भारतीय मांग को पर्याप्त रूप से पूरा करने की क्षमता है । किसी भी दशा में आयातों को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव नहीं है और प्रस्तावित उपाय का अर्थ मात्र उचित कीमत पर आयातों की संभावना है ।

ङ. विचाराधीन उत्पाद की कीमतें घरेलू उत्पादन शुरू होने से पूर्व भारत में अधिक थीं ।

च. कैप्टिव मांग को अलग करके घरेलू उद्योग की क्षमताएं भारत में मांग का पर्याप्त हिस्सा (लगभग 97 प्रतिशत) पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं ।

231. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने और जांच करने पर प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी शुलक लगाया जाना पाटन और क्षति को दूर करनेके लिए अपेक्षित है । अत: प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

232. इस प्रकार, प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के सभी आातों पर पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाए गए आंकड़ों के बराकर निश्चयात्मक शुल्क जारी रखने की सिफारिश करना उचित और आवश्यक मानते हैं। अत:, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, जैसा कि ऊपर सिद्ध किया गया है, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 दर्शायी गई राशि के बराबर प्रतिकारी शुल्क चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के सभी आयातों पर, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष	विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	40023100	आइसोबुटालीन-आइसोप्रेन रबड़	चीन	चीन सहित कोई देश	कोई भी	325	मी.ट.	अम.डॉ.

2	-वही-	-वही-	चीन, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमरीका को छोड़कर कोई देश	चीन	कोई भी	325	मी.ट.	अम.डॉ.
3	-वही-	-वही-	रूस	रूस सहित कोई देश	कोई भी	931	मी.ट.	अम.डॉ.
4	-वही-	-वही-	चीन, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमरीका को छोड़कर कोई देश	रूस	कोई भी	931	मी.ट.	अम.डॉ.
5	-वही-	-वही-	सऊदी अरब	सऊदी अरब	अल-जुबेल पैट्रोकैमिकल कंपनी	594	मी.ट.	अम.डॉ.
6	-वही-	-वही-	सऊदी अरब	सऊदी अरब सहित कोई देश	क्र.सं. (5) पर उल्लिखित को छोड़कर कोई उत्पादक	653	मी.ट.	अम.डॉ.
7	-वही-	-वही-	चीन, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमरीका को छोड़कर कोई देश	सऊदी अरब	कोई भी	653	मी.ट.	अम.डॉ.
8	-वही-	-वही-	सिंगापुर	सिंगापुर	ऐसोनमोबिल एशिया पीटीई लि.	1047	मी.ट.	अम.डॉ.
9	-वही-	-वही-	सिंगापुर	सिंगापुर सहित कोई देश	कं. सं. (8) पर उल्लिखित के अलावा अन्य कोई उत्पादक	1152	मी.ट.	अम.डॉ.

			को छोड़कर कोई देश					
11	-वही-	-वही-	संयुक्त राज्य अमरीका	संयुक्त राज्य अमरीका	एक्सोनमोबिल प्रोडक्ट सॉल्युशन कंपनी	781	मी.ट.	अम.डॉ.
12	-वही-	-वही-	संयुक्त राज्य अमरीका	संयुक्त राज्य अमरीका सहित कोई देश	क्र.सं. (11)में उल्लिखित को छोड़कर कोई उत्पादक	859	मी.ट.	अम.डॉ.
13	-वही-	-वही-	चीन, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमरीका को छोड़कर कोई देश	संयुक्त राज्य अमरीका	कोई भी	859	मी.ट.	अम.डॉ.

ठ. आगे की प्रक्रिया

233. इन अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी